C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.VII, Fourth Session, 2015/1936 (Saka)
No.5, Friday, February, 27, 2015/Phalguna 8, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.61 to 65	11-64
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.66 to 80	65-181
Unstarred Question Nos.691 to 920	182-901

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	902-907
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
12th Report	908
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 256th Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on recommendations/observations contained in the 243rd Report of the Committee on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises	
Shri Anant Gangaram Geete	908
BUSINESS OF THE HOUSE	909-913
PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357	
Shri Ravi Shankar Prasad	914
CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2015	915-916
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS	936-1016
Shri Harish Meena	937-938
Shrimati Anju Bala	939-941
Shri Prasanna Kumar Patasani	942-945
Shri Dushyant Singh	946-951
Shri Ashwini Kumar Choubey	952-954
Shri B. Vinod Kumar	955-958
Shri Arjun Ram Meghwal	959
Shrimati Ranjanben Bhatt	960-961
Shri Ramsinh Rathwa	962-963
Shri Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor	964-965
Shri Vinod Kumar Sonkar	966-968

Shri Jagdambika Pal	969-971
Shri Sunil Kumar Singh	972-973
Dr. Yashwant Singh	974-975
Shri Narendra Modi	976-995

MOTION RE: COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 1017

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced 1017-1035

(i)	Compulsory Military Training Bill, 2014 By Dr. Bhola Singh	1017-1018
(ii)	Rural Electrification Bill, 2014 By Dr. Bhola Singh	1018
(iii)	Non-Resident Indians (Voting Rights and Welfare) Bill, 2014 By Dr. Bhola Singh	1018-1019
(iv)	Right to Work Bill, 2014 By Dr. Bhola Singh	1019
(v)	Intangible Cultural Heritage (Protection, Preservation and Promotion) Bill, 2015 By Shri Baijayant Jay Panda	1019-1020
(vi)	Medical Therapy Practitioners and Clinics (Regulation and Control) Bill, 2014 By Shrimati Supriya Sule	1020
(vii)	Free and Compulsory Education for Children of Parents Living Below Poverty Line Bill, 2014 By Shrimati Supriya Sule	1020-1021

(viii) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 148) 1021
By Shri Baijayant Jay Panda

(ix) Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operations) Bill, 2015 1021-1022
By Shri Raju Shetty

(x) Two Child Norm Bill, 2014 1022
By Shrimati Supriya Sule

(xi) Children Protection Bill, 2014 1022-1023
By Shrimati Supriya Sule

(xii) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new article 14A, etc.) 1023
By Shri Bhartruhari Mahtab

(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new article 21B) 1024
By Shri Sushil Kumar Singh

(xiv) Insurance (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 2, etc.) 1024
By Shri Sushil Kumar Singh

(xv) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of Order XXI) 1024
By Shrimati Meenakshi Lekhi

(xvi) High Court of Madhya Pradesh (Establishment of a Permanent Bench at Bhopal) Bill, 2015 1025
By Shri Alok Sanjar

(xvii) Domestic Workers (Welfare and Regulation of Employment) Bill, 2015 1025
By Shri Bhartruhari Mahtab

(xviii) Constitution (Amendment) Bill , 2015 (Insertion of new article 21B) 1026
By Shri Janardan Singh Sigriwal

(xix)	Constitution (Amendment) Bil, 2015 (Amendment of the Eighth Schedule) By Shri Janardan Singh Sigriwal	1026
(xx)	Special Financial Assistance to the State of Uttarakhand Bill, 2015 By Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khanduri, AVSM	1027
(xxi)	Electronic Waste (Handling and Disposal) Bill, 2015 By Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khanduri, AVSM	1027-1028
(xxii)	Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new section 56A) By Shri C.R. Patil	1028
(xxiii)	Free and Compulsory Education for Disabled and Needy Children Bill, 2015 By Shri Gopal Shetty	1028-1029
(xxiv)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new article 21B) By Shri Gopal Shetty	1029
(xxv)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of the Preamble, etc.) By Shri Gopal Shetty	1029
(xxvi)	Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015 By Shri M. Murli Mohan	1030
(xxvii)	Children Belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation and Compulsory Display of Seats by Educational Institutions) Bill, 2015 By Shri Sadashiv Lokhande	1030-1031
(xxviii)	Prohibition on Religious Conversion (By Inducement or Force) Bill, 2015 By Shri Sadashiv Lokhande	1031

(xxix)	Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Compulsory Notification and Filling up of Reserved Vacancies) Bill, 2015 By Shri Sadashiv Lokhande	1031-1032
(xxx)	Central Universities (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 3, etc.) By Shri Alok Sanjar	1032
(xxxi)	Prevention of Influx of Foreign Nationals into the Country Bill, 2015 By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	1033
(xxxii)	Youth Welfare Bill, 2015` By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	1033
(xxxiii)	Eradication of Unemployment Bill, 2015 By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	1034
(xxxiv)	Promotion of Two Child Norm Bill, 2015 By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	1034
(xxxv)	Beedi Workers Welfare Bill, 2015 By Shri Sunil Kumar Singh	1035
(xxxvi)	Private Schools (Regulation) Bill, 2015 By Shri Sunil Kumar Singh	1035

THE SENIOR CITIZENS (PROVISION OF GERIATRIC AND DEMENTIA CARE) BILL, 2014 **1036-1080**

Motion to Consider	1036
Shri Bhartruhari Mahtab	1036-1041
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	1042-1047
Shri Prem Das Rai	1048-1051
Shri Bhairon Prasad Mishra	1052-1054
Shri B. Vinod Kumar	1055-1057
Shri P.P. Chaudhary	1058-1060

Dr. Kulmani Samal	1061-1062
Shri Jagdambika Pal	1063-1068
Prof. Saugata Roy	1069-1072
Shrimati Jayshreeben Patel	1073-1074
Dr. A. Sampath	1075-1079
Shri C.R. Chaudhary	1080

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	1090
Member-wise Index to Unstarred Questions	1091-1096

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	1097
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1098

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February, 27, 2015/Phalguna 8, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER:. Q. No. 61 – Adv. Joice George.

(Q. 61)

ADV. JOICE GEORGE: Support to Training and Employment Programme for women is a programme aimed to increase the self-reliance and autonomy of women by enhancing their productivity and enabling them to take up income generation activities. The weakness, rather the drawback of this kind of welfare schemes, is the inadequacy of follow up system.

According to the answers, the Ministry is able to give the details of the persons who have undergone the training programme, but it is very discouraging to see that there is no data available with the Ministry in respect of the persons who have acquired jobs during each of the last three years. My specific question is whether the Government has got any specific programme to implement such a follow up system to track the persons who have undergone training under the scheme and got employment, thereby improving their income and getting empowered through that process.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: The Member has raised an extremely important point. I think, it has not been added in so far, but since STEP has been changed to make it more efficient, we should add it in this part. I will certainly look into this because it is important to know how many people, that have been trained, have actually got jobs or started something on their own because otherwise, at least in the scheme that I see now, you can be training people in a fake manner if there is no follow up. Yes, this is an important part of it.

ADV. JOICE GEORGE : Madam Speaker, this is a programme meant for the empowerment of the down-trodden and marginalized people. There are tribal women also who are seeking the benefit of this scheme. As we know, the Tribal Department is also having certain programmes for instilling this kind of skill in the

woman folks there. Is there any plan of this Government to converge the schemes of this programme and the programmes implemented by the Tribal Department?

Apart from that, is there any proposal from the Government side to have some kind of mechanisms also? This scheme is for enhancing the skills of the people to produce certain things and some indigenous things also. Has the Government got any plan to instal marketing system also?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Actually, this programme is a small one; it is not very large. The question of convergence does not arise because it is specifically for women over 16 years old. We can have tribal women also as part of this, but the Ministry of Tribal Affairs as many other Ministries, including the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Skill Development, have similar programmes. I do not think that convergence will work here. This programme is also not large enough to involve convergence, but we can help tribal women as well.

Regarding the marketing, we do not do the marketing, but the NGOs, which take this programme from us in STEP, are supposed to do the marketing before they even approach us so that this money does not go waste.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Madam Speaker, our vocational training infrastructure in India is inadequate to meet the diverse skill requirements of the population. There has been a decline in the participation of the women's work force in India. The sample survey of the National Sample Survey Organization on employment and unemployment suggests that the participation of women's work force as recorded in the age group fifteen plus declined from 33.3 per cent to 25.3 per cent in rural areas and 16.6 per cent to 14.7 per cent in urban areas. This makes India's position unique. The women's participation in work appears to have fallen even as the national income has risen rapidly. I would like to know what measures will be taken to overcome the shortage of the job opportunities for those with low or medium levels and also improve the working environment and technical skills for women's empowerment.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: While it may be true that the women have fallen in employment, the object of this scheme is to train women to get employment and more importantly, to train them to be self-employed. Many times, they are not eligible for bank loans because they have no collateral and no training. This STEP programme is there to enhance their ability to train themselves. Secondly, lots of women, especially rural women, do not want to leave their homes and go and get jobs in a city or somewhere else. This programme is meant to help women who would like to stay at home or in their villages so that they could be trained and market assisted to earn money.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN: Madam, I am happy to learn that the Government is sympathetic towards women and that it stands by them. But it is not sufficient. Nowadays in our society, women have so many dimensions like being mother, being sister, being spouse and apart from that, inspired leaders like our Speaker Madam and like Amma. Even it is not sufficient. Women should feel that they are also empowered fully and they are also playing a part in nation-building exercise. In order to do this, they should be empowered financially also. My question is whether the Government encourages women entrepreneurs by extending bank loans at concessional rate of interest so that they also manage business and feel that they are on par with their male counterparts. This is my humble question.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: While it is important to train them, it is, as you said, equally important to see that they get seed money to start their own businesses. We have a Bank called the *Rashtriya Mahila Kosh* and in that Bank we give money to trained women either single or to groups of women so that they can start with seed money. It is also given at less rate of interest than the normal one.

HON. SPEAKER: Shri Gajanan Kirtikar -- Not present.

(Q.62)

DR. P. VENUGOPAL : Hon. Speaker, the details given in the reply to the question, though appears to be elaborate, makes it very clear that there is no coordinated effort to identify and select data pertaining to the contamination areas and the application of disease. It also shows that the Health Ministry has to depend on the Department of Drinking Water and Sanitation to get the data related to fluoride and arsenic contamination. I fail to understand as to why the Ministry of Health which can directly have connectivity with the rural primary centres all over the country, has not maintained any data. At least, from now onwards the efforts should be taken to gather such data through the primary health centres.

It is unfortunate that the Centre tried to pass on the responsibility to the States saying that it is a State subject. Will the Government come forward to set up special research-oriented centres in States like Bihar, West Bengal and Assam, and regional centres covering the other States? Our Tamil Nadu Government believes in prevention than going in for remedy later. Will such States be provided with funds for taking effective preventive measures?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, the hon. Member has said that there is no coordinated effort. It is not true. There has been a coordinated effort and we have been having regular meetings.

This case refers to two things. One is the level of arsenic in drinking water and the other is the level of fluoride. According to the information we have, there are approximately 14,132 habitations where the level of fluoride is more than the permissible limit. It should be actually 1.0 mg per litre and the permissible limit is 1.5 mg per litre. But in these habitations it is more than that. As far as the arsenic level is concerned, there are 1991 habitations. The number of people suffering because of flourosis is approximately 1.17 crore. So, we have the data.

As far as contamination is concerned, in coordination with the Ministry of Drinking Water we are trying to see that the funds are allocated accordingly and proper water is given to these areas. Of the funds, approximately five per cent are

kept for areas where water needs some treatment and where the level of chemicals is much higher. They have got 67 per cent of the funds to enhance the quality of the water. The Drinking Water Ministry gives exclusively three per cent of the funds to improve the quality also. This is what they are doing. As far as the Health Ministry is concerned, we approximately give Rs.45 lakh to every District. There are 111 Districts which were covered in the 11th Plan, and 95 Districts are there which we are covering in this 12th Plan.

As far as the treatment part is concerned, first of all we go for capacity building, laboratory facilities, rehabilitation, surgeries, etc. This is what we do. But much more is to be done. I can assure the Member that we are planning to have more coordination with the Drinking Water Ministry and see what more can be done.

DR. P. VENUGOPAL: The funds released to various States suggest that there is a mismatch between the Central funds released and the expenditure incurred by the States. For instance, our Tamil Nadu Government has spent more than what it has received from the Centre. When prevention is the key to overcome the ill effects of the disease, will the Union Government come forward to address this problem with more seriousness and take steps to provide safe drinking water in water contaminated areas under the supervision of the Ministry of Health?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I assure the hon. Member, this is a very serious problem and this needs to be addressed, and the Ministry of Drinking Water is thinking on that ground. We along with them will certainly see to it that more funds are given.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA **:** Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to participate on such an important issue which is plaguing the whole country.

Madam, according to a UNICEF report ground water in more than one third of Indian States is not fit for human consumption. Nearly 2,000 children under the age group of five die every year globally. The worst part is that 24 per cent of

them are from India alone. Adding to this misery the UN further says that India ranks 120th out of 122 countries in terms of its ability to provide safe drinking water to its citizens. So what is the result? The result is that India accounts for 21 per cent of world's diseased population. This is the fact of life. The hon. Minister has said in his reply that water is a State subject but the point I intend to impress upon this august House is, can we afford to ignore this, can we afford to sit on this, or do we need to move ahead when the larger part of the country is suffering from this problem?

In 2012-13, the Government of India formed a national programme for prevention of the then prevailing bigger issue of Japanese Encephalitis and an inter-ministerial group was formed specifically involving Ministry of Drinking Water and Sanitation to provide safe drinking water, Ministry of Social Justice to provide justice to the people, Ministry of Health, Ministry of Urban Poverty Alleviation.

HON. SPEAKER: Please come to your question.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : My question is, will the hon. Minister consider forming such an inter-ministerial group to tackle the serious menace of contaminated water which the country is facing today?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: First of all, I share the concern of the Member about the contaminated water. But at the same time, I would like to say that we never said that water is a State subject. I told that 67 per cent of the fund is to improve the quality of the water which is done by the Central Government, 5 per cent is exclusively for improving the quality of water which has the problem because of chemicals and 3 per cent is their discretion. So, the Centre takes the responsibility. As far as inter-ministerial group is concerned, we are associated with line Departments and there are regular meetings going on. But as I said, more intensive coordination is needed and I assure the Member and the House that the Department of Health will take an initiative in this direction and see to it that there is coordination with all the concerned Departments.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह काफी गंभीर प्रश्न है और जैसे कि हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय- संयुक्त राज्य अमेरिका, एम.आई.टी.- अमेरिका, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी फॉर शिकागो जो इन्होंने शोध किये हैं और उस शोध से जो चीजें निकली हैं कि यह जो जल है, यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, बल्कि यह खाद्य पदार्थों पर भी सीधे असर कर रहा है तथा इसके दुष्परिणाम गर्भवती महिलाओं की संतानों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देश की उन तमाम संस्थाओं के द्वारा जो यह रिपोर्ट तैयार हुई है, इसके आधार पर सरकार ने स्वतंत्र रूप से आर्सेनिक के स्वास्थ्य दुष्परिणामों पर क्या कोई अध्ययन कराया है? यदि अध्ययन कराया है तो वह क्या है और यदि नहीं कराया है तो कब तक कराएंगे?

दूसरे, यह गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, इसलिए यह एक गंभीर विषय है। क्या इस पर भी कोई अध्ययन हुआ है और यदि हुआ है तो उसका परिणाम क्या है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इसके अध्ययन का सवाल है, हमारे यहां आई.सी.एम.आर. (इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च) है और दूसरा एन.सी.डी.सी. (नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल) है। ये दोनों ही संस्थाएं सभी स्थानों पर बीमारी के कारण और उसके निवारण पर रेगुलर रिसर्च और एक्सरासाइज चला रही हैं। उसी के अनुसार हमारे पास उसकी सूचना आती रहती है तथा उसी के अनुसार हैल्थ मिनिस्ट्री एक्टीवेट होती रहती है।

जहां तक आर्सेनिक का सवाल है, फ्लोराइड का फ्लोरीन का सवाल है या कंटैमिनेटेड वॉटर का सवाल है, इसमें कुछ तो हमें प्रकृति से मिला है। कुछ क्रिएटेड है और जहां तक क्रिएशन का सवाल है, जो हम सभी कहते हैं कि उसमें कोआर्डिनेट करने की जरूरत है, क्योंकि वह मैनमेड है और हम सभी लोगों को दैनिक जीवन में जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वह सावधानी न बरतने के कारण है।

जैपनीज़ इंसैफलाइटिस हो रहा है। अभी मैं गोरखपुर होकर आया हूं। वहां पर मैंने देखा कि दस या पन्द्रह फीट पर बोर करके पानी लोग अगर लेंगे और बगल से बहता हुआ नाला है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बोर्स बंद कर रहे हैं। हमने लोगों ने कहा है कि डीप बोरिंग करो। वहां एजुकेशन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे ही बंगाल में भी करने की आवश्यकता है। हम लोग सब जगह यह कर रहे हैं। लेकिन यह अध्ययन एक रेगुलर एक्सरसाइज है और इसका इम्पैक्ट चाहे गर्भवती महिलाए हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब पर पड़ता है और मैं यही कहूंगा कि इसमें कोऑर्डिनेटिड एफर्ट्स की आवश्यकता है, जिसके बारे में सरकार सजग है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Madam, arsenic contaminated water is a major problem nowadays. Scientists in our country have been working in the field of arsenic to find out how to combat the situation. I would like to ask the hon. Minister, through you, whether the Government has any such report thereon and if yes what steps have been taken from the Government's side.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I am not aware about the report that the hon. Member is talking about. I do not have the report at this point of time but certainly the Ministry of Drinking Water is taking precautions in this direction. They have issued instructions and they are seeing to it that only deep bore water is taken and the superficial level water is not taken. That is one step the Ministry of Drinking Water is taking.

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, दूषित पानी बीमारियों की जड़ होता है, इसके कारण लोगों को ज्यादा बीमारियां लग रही हैं। यदि पीने के पानी में फ्लोराइड, कैल्शियम, अमोनिया, नाइट्रेट, पी.एच. मीथेन और क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो लोगों को ज्यादा बीमारियां होती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप दोनों-तीनों डिपार्टमैन्ट्स से सम्पर्क करके उन्हें इस बारे में सुझाव दीजिए। जहां झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, इल्लीगल बस्तियां हैं, जैसे दिल्ली में भी हैं, हम लोग जब दिल्ली में प्रचार करने के लिए उत्तम नगर में गये थे तो वहां टूटी हुई ड्रेनेज लाइन देखी थी, ड्रेनेज लाइन का पानी जमीन में जाता है, उसके कारण बीमारियां बढ़ती हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आप नगर विकास विभाग से सम्पर्क करके जहां ड्रेनेज लाइन की सीवरेज लाइन नहीं हैं, उस सारी लाइन का पानी नीचे जमीन में जाता है और उसके बाजू में बोरिंग से हम लोग पानी निकालते हैं, क्योंकि वहां कभी भी वाटर सप्लाई नहीं होती है। उस कारण से लोगों को बहुत तरह की बीमारियां होती है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। यह ज्यादातर आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण होता है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या हैल्थ मिनिस्टर नगर विकास विभाग को बतायेंगे कि जहां-जहां भी ऐसा हो रहा है, उसके कारण से बीमारियां बढ़ रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, सजेशन की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रकांत खैर: मेरा सजेशन यह है कि क्या मंत्री जी नगर विकास विभाग और बाकी डिपार्टमैन्ट को यह कहेंगे कि सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन एक साथ होने के कारण ये सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए क्या आप इसकी रोकथाम का कोई प्रबंध करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य का सुझाव बहुत सही है, सरकार इसके बारे में प्रयासरत है और निश्चित रूप से जो हमारी अर्बन डैवलपमैन्ट मिनिस्ट्री है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जो हमारी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, वहां भी लोग रह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हमारा कंसर्न है। इसलिए इस विषय को हम उनके साथ अलग से बढ़ा रहे हैं और उन्हें वहां भी एजूकेट कर रहे हैं।

(Q.63)

श्री लल्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल कितनी विदेशी कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, इन कंपनियों का व्यवसाय क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ये कार्यरत हैं? इनके माध्यम से कितना विदेशी निवेश हुआ है, सरकार द्वारा इन कंपनियों के निवेश के मूल स्रोत की जानकारी न रखने का क्या कारण है और क्या भविष्य में जानकारी रखने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्षा जी, जो विदेशी कंपनियां भारत में व्यवसाय करती हैं, उनके व्यवसाय करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि वे भारत में अपनी सब्सिडियरी बना लेते हैं और उस सब्सिडियरी को भारतीय कंपनी के रूप में भारत में रजिस्टर करवाया जाता है। वह एक अलग विषय है, वह इस प्रश्न को दायरे में नहीं है। जो विदेशी कंपनिया बिना किसी सब्सिडियरी के अपने नाम से भारत में काम करती हैं, ये वे कंपनियां हैं, जो दुनिया के किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनका कोई व्यवसाय या बिज़नस देश में है या इनका कोई कार्यालय देश में है या यह भी हो सकता है कि ऑन-लाइन मैथड के माध्यम से इस देश के अंदर काम करती हैं। इस वर्ष 22 फरवरी तक 4186 ऐसी कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन भारत में जिनके बिज़नस हैं या प्लेस ऑफ स्टेब्लिशमेंट्स हैं। अब क्योंकि, इतनी बड़ी संख्या में ये काम करती हैं और हरेक का अलग-अलग बिजनस है तो उसकी पूरी सूची दे पाना कि क्या-क्या व्यवसाय इन चार हज़ार से ज्यादा कंपनियों का है, वह संभव नहीं है।

श्री लल्लू सिंह: अध्यक्ष महोदया, अब तक कितने छोटे व्यापारिक संगठनों ने इन विदेशी कंपनियों से संरक्षण के लिए आवेदन पत्र दे रखा है तथा सरकार ने छोटे व्यापारियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं, ताकि स्पीक एशिया जैसी कंपनियों ने जो घोटाला किया है, उससे उनको संरक्षण मिल सके?

श्री अरुण जेटली : महोदया, इनमें से अगर कोई कंपनी किसी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का कानून का उलंघन करती है या कोई मैलप्रैक्टिस करती है तो जो व्यवस्थाएं भारतीय कंपनियों पर लागू हैं, वे इन कंपनियों पर भी लागू हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान हो या कंपनीज़ एक्ट के अंदर किसी कानून का अगर वे उलंघन करते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ को अपने जो भारतीय ऑपरेशंस हैं, उसमें काम करने के लिए जो नया कंपनीज़ एक्ट बना है, उसके सैक्शन 391 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो कम्पलेंट्स आती हैं, वे कम्पलेंट्स उसमें रजिस्टर हो कर उसका इंवेस्टिगेशन होता है। इसमें मूल कम्पलेंट जो बड़ी आई है, किसी विदेशी कंपनी के पास स्पीक एशिया नाम की एक सिंगापुर स्थित कंपनी थी, जो ऑन-लाइन मैथेडोलॉजी के साथ हिंदुस्तान के अंदर मास्टर फ्रैंचाइजीज़ रजिस्टर करती थी और उनसे पैसा

लेती थी। अचानक एक दिन अपने ऑपरेशंस बंद कर के वह कंपनी इस देश से पैसा निकाल कर चली गई। उपभोक्ताओं के लगभग 700 करोड़ रूपये, जिनको उसने मास्टर फ्रैंचाइजीज़ बनाना था, उसके संबंध में उसने उनको चीट किया है। इसके संबंध में जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है, उसने इसकी जांच की है, वह जांच पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब प्रोसीक्यूशन फाइल होने की नौबत आ गई है और बहुत शीघ्र ही उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन भारत के अंदर फाइल हो रहा है।

PROF. SAUGATA ROY: Madam, the reply of the hon. Minister is inadequate in the sense that he says that information of source of funding, foreign or domestic, for setting up of foreign companies is not centrally maintained. There is a Company Law Board. There is a Department of Company Affairs. I do not know why they do not maintain the source of funding because this is important so that sham companies do not come and get registered in India.

The other point that is to be mentioned, it has not been mentioned as to the total amount invested in these companies.

Thirdly, if you notice the sector-wise distribution of foreign companies, most of these companies are in business services. That is, they are not actually indulging in manufacturing. In the name of providing some consultancy or other they are setting up these companies.

I would like to know from the hon. Minister as to the approach of the Government towards registration of foreign companies. What safeguards are being taken so that sham companies do not take up precedence and set up in India?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, as I had earlier explained, the question pertains to those companies which are registered elsewhere in the world. These companies, which are essentially foreign companies, have international operations – they may be multinationals or registered in one country – may want to do business in India also. In order to enter the Indian soil and do business, whether by establishing a business point here in India or an office in India or a representative office of their foreign company in India, these international companies are required under Section 391 of the Companies Act to register with the ROC.

Where their international operations are funded from and what their sources of funding are, are not a requirement of the Indian Company Law. Therefore, those funding details are not maintained by the Indian Company Law. However, when it comes to the question of what the business activities of these companies are, the business activities of these companies are exactly as we know is their broad classification as to who is in mining, who is in manufacturing, and who is in trading. When the hon. Member says that the number of people in business services are very large, these would be companies which are registered elsewhere in the world but they have their Indian representative offices. The representative offices of those companies which conduct businesses on their behalf are registered as doing business services for the parent company which are registered outside. I may again clarify that these are not subsidiaries of international companies. These are international companies doing business directly in their own name.

PROF. SAUGATA ROY: Are they not indulging in money laundering?

SHRI ARUN JAITLEY: If they are laundering black money, that will be investigated by the Foreign Exchange Management Act authorities. That is not within the registering authority under the Companies Act. It does not investigate as to whether there is an illegality. It comes into picture only when violation of the Companies Law provisions is there. After all there are rules and procedures in the Government… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please. It is not like that.

DR. SHASHI THAROOR: The provisions of Corporate Social Responsibility under Section 135 of the Companies Act, 2013 and the new rules were implemented from 1st of April, 2014 under the UPA Government. As I understand, the foreign companies including on-line companies are required to comply under Section 135 and will have to show commitment to our country by spending their 2 per cent on implementing CSR.

My question is whether the Government would consider increasing the scope of Corporate Social Responsibility for foreign companies beyond the

currently listed areas by mandating the contributions of not only funds but also transfer of technology, specialized expertise perhaps for specific social schemes of the Government for their better implementation.

More broadly Madam, for the foreign companies as well as others whether the list of permissible activities under CSR could be expanded to include other areas lacking in Government funding such as aid to disabled people, adoption of streets and neighbourhoods under Swachh Bharat, refurbishment of Railway Stations which you heard about yesterday and so on. Could we not expand the CSR list for getting foreign expertise and money?

SHRI ARUN JAITLEY: Well, I take the question of the hon. Member as a suggestion because currently there is a specified list of activities under the CSR which is permitted. That list is reviewed from time to time and as and when the need for adding more areas is considered, this suggestions would also be considered. Some areas have been added also.

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पोंजी, बोगस चिटफंड कम्पनियों के सम्बन्ध में सी.बी.आई., सेबी, आर.बी.आई. सबसे कहा है। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है, वह इसमें बहुत पीछे है। स्पिक स्पीक एशिया कंपनी को मैंने तीन साल पहले एक्सपोज किया था। आज मुम्बई हाई कोर्ट में ढ़ाई साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक एस.एफ.आई.ओ. ने रिपोर्ट सब्मिट नहीं की है।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की नौ कंपनीज की सूची मुम्बई ई.ओ.डब्ल्यू. के पास है, जो ऑन लाइन सर्वे करके फ्रॉड करते हैं। वह सूची भी मैं आपको दे दूंगा। आप भी इस संबंध में जानकारी लीजिएगा। जो फॉरेन कंपनीज ट्रांसपेरेंट बिजनेस करती हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की फ्रॉड्यूलेन्ट एक्टिविटीज करती हैं, उनके बारे में अधिक एक्टिविज्म दिखाया जाए।

श्री अरुण जेटली : महोदया, माननीय सदस्य अगर ऐसी कोई सूची देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसके ऊपर विचार कर लेंगे। यह कहना उचित नहीं होगा कि जो केस माननीय सदस्य ने कहा, जिसमें इन्होंने रूचि दिखलाई थी, स्पिक एशिया के बारे में सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने कुछ नहीं किया। उसका इन्वेस्टीगेशन पूरा हो चुका है और इन्वेस्टीगेशन के बाद अब कुछ ही दिनों की सिर्फ देरी है, जब उनके खिलाफ प्रॉसीक्यूशन फाइल होने वाला है।

(Q.64)

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : अध्यक्ष महोदया, स्वाइन फ्लू पूरे देश में फैल रहा है। उत्तर में जो फिगर्स दी गई हैं, केवल दो महीने की फिगर्स दी गई हैं कि जो बीमार हैं उनकी संख्या 14673 है और इस बीमारी से जिनकी मृत्यु हुई है, इनकी फिगर 841 दी है। यह जो स्वाइन फ्लू है, इसमें डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने पूरे देश में लैबोरेट्रीज़ की संख्या 21 बताई है और स्टेट गवर्नमैंट की भी चैकिंग के लिए कई लैबोरेट्रीज़ हैं लेकिन वे बहुत कम हैं। लैबोरेट्रीज़ शहरों में हैं। गाँवों में इलाज करना है तो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, तालुका और तहसील लैवल पर होना चाहिए। इस दृष्टि से क्या सरकार ने कुछ उपाय किये हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि आज से दो दिन पहले मैंने एक डीटेल्ड स्टेटमैंट यहाँ पर दिया था। जहाँ तक केसेज़ का सवाल है, उसमें मैं थोड़ा करैक्ट कर दूँ, क्योंकि वह 841 है, पर 25 तारीख को जो नंबर ऑफ डैथ्स की फिगर आई है, वह 965 है। मैं इसको करैक्ट कर दूँ क्योंकि the latest information which we have is 965.

दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अपने डीटेल्ड स्टेटमैंट में दिया था कि right from the beginning, इसको मानीटरिंग करना और इसके लिए सारी व्यवस्था करना, इन सारी चीजों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ शुरू से एक्टिवेटेड है और यह सारे कार्य कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 21 लैबोरेट्रीज़ हैं जो इसको कवर कर रही हैं और वे कम हैं। वैसे इस दृष्टि से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोच रही है और आने वाले समय के लिए financial provisions have been made. Practically, every State will have a laboratory like this, यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ।

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : अध्यक्ष महोदया, वैसे तो हैल्थ स्टेट गवर्नमैंट का सब्जैक्ट है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस बीमारी के प्रभावी इलाज के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या कोई डायरैक्शन दिए गए हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि स्वाइन फ्लू, जिसका वायरस सर्दी प्रारंभ होने के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है, यह कोई हमारे ही द्वारा नहीं है, It is a regular exercise of the Department. In the month of November-December we start the exercise where we have departmental meetings. वे मीटिंग्ज़ करने के पश्चात् अपने गवर्नमैंट के हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमैंट के हॉस्पिटल्स, सबमें आइसोलेशन वार्ड, डॉक्टर्स की तैयारी,

डॉक्टर्स की तैयारियों के साथ-साथ मैडिसिन्स, टैस्टिंग फैसिलिटीज़, पर्सनल प्रोटैक्शन इक्विपमैंट्स, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए स्टेट गवर्नमैंट से बातचीत होती है और वह सारी व्यवस्था की जाती है। इसके साथ-साथ प्रो-एक्टिव होकर हर बार होता होगा, इस बार I had personally talked with the Chief Minister of Telengana, the Chief Minister of Rajasthan and the Chief Minister of Madhya Pradesh और उनके हैल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। जिस-जिस स्टेट ने जब-जब जिन व्यवस्थाओं में उनके पास कमी महसूस हुई, उन्होंने हमें कहा, जो हमने तुरंत उनको दिया है। कल ही बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश जी के साथ भी उन्होंने कुछ रिक्वायरमैंट रखी थी, वह पूरी की है। इसलिए एक्टिव कोआर्डिनेशन के साथ और स्टेट्स को भी ट्रेनिंग के साथ-साथ जहाँ अफैक्टेड स्टेट्स हैं - राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, सभी जगहों पर हमने अपनी आई.सी.ए.आर. की टीम्स भेजी हैं। एक बार नहीं, उनके प्रोसैसेज़ को मानीटर करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए दो-दो बार भेजी हैं।

श्री दिलीप कुमार गांधी : अध्यक्ष महोदया, स्वाइन फ्लू का नाम लेने के साथ ही लोग एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं और हर आदमी के दिल में एक खौफ तैयार हुआ है कि स्वाइन फ्लू होने से मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी और मैं जिन्दा नहीं रहूँगा, इस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है। प्रसार माध्यमों से - इलैक्ट्रानिक हो या अखबार हों, उनके माध्यम से हर रोज़ की फिगर्स दी जा रही हैं। जब भी कोई आदमी टीवी पर देखता है, तो परेशान होता है कि स्वाइन फ्लू क्या है। वर्ष 2009 में जब इसकी शुरूआत हुई थी, तब 24000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे और 1400 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई थी। मंत्री जी ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत उपाय किए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 965 लोग इस बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरा कहना है कि क्या इसके लिए गत पांच-छः सालों में किसी प्रकार का प्रयोजन करके, किसी प्रकार की नयी दवा का शोध किया गया है? क्या हर राज्य में इसके लिए अलग-अलग दवाई है? जम्मू-कश्मीर में एक अलग दवा निकली है, जिसके माध्यम से वहां के लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और वहां के लोगों को राहत मिली है। हमारा कहना है कि पूरे देश में इस बीमारी से जो खौफ बना है, उसे कम करने के लिए इसके बचाव के प्रचार माध्यम से लोगों में विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता है। लोगों को इस समय सफर करने में डर लग रहा है। मैं पुणे से आता हूं। वहां सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू की बीमारी है। लोग वहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जाने से डर रहे हैं। इसके लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं? आप किस प्रचार के माध्यम से लोगों को दिलासा देने का काम करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अलर्ट होने की दृष्टि से मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इसके सिम्पटम्स बड़े कॉमन से हैं। मैं इसमें अलर्ट रहने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम कनफ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें थोड़ा बुखार होगा, खारिश होगी, खांसी होगी। This may or may not be a H1N1 virus. हमने इसमें तीन प्रोटोकॉल्स बताए हैं, उसमें हमने तीन कैटेगरीज़ बताई हैं, पहली कैटेगरी है, जिसमें किसी को भी खांसी या बुखार होता है। Anyone who has the symptoms of fever or cough should immediately take antibiotics. Even after taking antibiotics, if there is no improvement, then he falls under Category-B and he should immediately take medicines for H1N1 virus. At the same time, he should get himself tested. अगर कोई कोबओर्बोटेटिव वाला केस है, कहीं डायबिटीज़ है, हाइपरटैंशन है या बाकी कोई एसोसिएटिड बीमारी है, then he falls under the category-B and he should take medicines without waiting for the result of the test. थर्ड कैटेगिरी जनरली वह होती है, जो लेट आती है। लेट होने के कारण आती है। लेट आने के कारण कम्प्रोमाइज़िंग पोजीशन होती है, जिसमें इलाज करना डिफीकल्ट हो जाता है। ऐसे केस में तो टैस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है, इनको एडमिट ही करना पड़ता है, वेंटीलेटर पर डालना पड़ता है और मैडिसन्स को तुरन्त चलाना पड़ता है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने इसका प्रचार किया है कि हमें वैक्सीनेशंस दीजिए। According to experts, first of all, vaccination gets activated only after three to four weeks. If you get vaccinated today, it is going to have its impact only after three-and-a-half-weeks. तब तक उसकी आवश्यकता है या नहीं, यह एक बात रहेगी। Secondly, it is not a 100 per cent coverage. We have given it to our health workers. In November-December itself, we have ensured that every health worker who is taking care of the H1N1 virus affected patients has been given the required vaccination. Alongwith this, we have also said that they have to wear personal protection equipment and without that, he should not treat the patient, क्योंकि वह सौ प्रतिशत कवर नहीं करता है, इसलिए वैक्सीनेशन भी काम नहीं करेगा। हमने इसमें डूज़ एंड डोन्ट्स कहे हैं-

खांसी हो तो मुंह पर हाथ रखें, डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं और बुखार हो तो तुरन्त एंटीबायोटिक लें। यही इसका प्रीकॉश्नरी मैज़र है, जिसे लेना चाहिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, स्वाइन फ्लू के विषय पर मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया था। मेरे राज्य में इसका बहुत आतंक है। मंत्री जी ने हमारे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों का 35 का आंकड़ा का दिया है। इनमें से 20 मौतें तो मेरे ही क्षेत्र में हुई हैं। इनमें से 10 मौतें आफिशियली और आठ या नौ मौतें प्रशासनिक नेग्लीजेंस की वजह से हुई हैं। मैं जब जनरल सिविल अस्पताल देखने गया तो मुझे वहां देखकर बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने डॉक्टर्स को पहले ही इत्तला दे दी थी कि इस क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के बहुत केसेज़ हैं, मैं वहां देखने आ रहा हूं। पहले तो वहां के डॉक्टर्स आए ही नहीं, यह मैं बताना चाहता हूं। जब मैं वहां गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यहां मास्क नहीं मिल रहे हैं। मैंने खुद एक डॉक्टर की अलमारी खुलवा कर उसे कहा कि हमारे लिए एक मास्क निकालो, हम क्षेत्र में देखने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जो पंजाब स्टेट है, वह इसके लिए सीरियस नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : कहानियां सबके पास हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी : मंत्री जी ने इसके लिए जो कैटेगरी बनाई है, उसमें 'सी' कैटेगरी वह होती है, जिसको वेंटीलेटर लगाना होता है और किसी भी जनरल हॉस्पीटल में सिर्फ़ दो वेंटीलेटर्स हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र का एक लड़का हॉस्पीटल गया तो उसे वहां से डी.एम.सी. भेज दिया गया। फिर वहां से उसे कह दिया गया कि आप सी.एम.सी. जाओ और फिर सी.एम.सी. से कह दिया कि यहां से जाओ। यह एक बड़ा इश्यू है कि बहुत सारे हॉस्पीटल्स स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों का एडमिशन नहीं करते है।

चूंकि यह हर साल होता है तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है? पंजाब सरकार ने भारत सरकार को इसके लिए अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं, क्योंकि वहां तो कहीं वेंटीलेटर नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, टेमीफ्लू की टैबलेट नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। लोगों को टेस्टिंग कराने के लिए पी.जी.आई., चंडीगढ़ जाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, अपना प्रश्न पूछें।

श्री संतोख सिंह चौधरी: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हेल्थ मिशन की जो मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है, जिसके बारे में आपने यहां भी बयान दिया, तो क्या आपने इसे मॉनीटर किया है? क्या कोई भी

स्टेट मॉनीटरिंग कमेटी इसे मॉनीटर कर रही है? मैंने तो अपने संसदीय क्षेत्र में मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने को कहा तो वे इसे बुला नहीं रहे हैं।

HON. SPEAKER: There are only two questions.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने जो कंसर्न ज़ाहिर किया है, मैं उसकी जानकारी हासिल करूंगा। हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी अवेयरनेस के लिए कहा गया है और नवंबर-दिसम्बर से ही इस बात की शुरूआत हुई है। हमारी आई.सी. एक्टीविटीज़ रेगुलरली चल रही हैं।

मैं फिर से यह कहूंगा कि हर पेशेन्ट की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, हर पेशेन्ट के एडमिशन की जरूरत नहीं है। हर पेशेन्ट को दवा दी जाए। कई बार यह होता है कि लोग किसी केमिस्ट की दुकान पर जाकर कहते हैं कि हमें दवा दो। कैटेगरी 'एक्स' में जो रजिस्टर्ड केमिस्ट्स हैं, उनके पास ही इसकी दवा है और वह दवा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही मिलेगी।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam Speaker, thank you for allowing me to raise a supplementary question on the floor. The reports coming from all over the country about different kinds of epidemics, especially about swine flu, are very alarming. People are very anxious and are in panic over the situation.

Madam Speaker, through you, I would like to ask the hon. Minister, whether the Government is ready to ensure free medicines to all the Government PHCs, which are situated in various taluks, districts and also to the medical college hospitals, and whether the Government is ready to ensure overnight ICUs and ventilators in the hospitals.

I would also request the hon. Minister to take initiatives to give preventive vaccination to all the health workers.

HON. SPEAKER: He has already answered that question.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as the medicine is concerned, I assure the Member that the medicine, that is Oseltamivir, which is given for H1N1 virus is absolutely free and it is available in all Government hospitals and in dispensaries wherever it is required. We are going to give that free. That is what I want to say.

माननीय अध्यक्ष : धर्मवीर गाँधी जी, आपका कोई अलग प्रश्न हो तो पूछिएगा, रिपीटेशन मत कीजिएगा।

श्री धर्म वीर गांधी : महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि now, it is a pan-India problem. सबसे बड़ी समस्या पंजाब में यह है कि इन्वेस्टिगेटिव लैब सिर्फ चंडीगढ़ में है। जो कैटेगरी टू में मरीज आते हैं, उनके टेस्ट का रिजल्ट आने में बहुत देर लग जाती है और उनका इलाज शुरू करने में दिक्कत आती है।

दूसरा, जो मास्क दिए जाते हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टॉफ मास्क पहनते हैं, वे सिम्पल सर्जिकल मास्क हैं। एच.1 एन.1 की प्रिवेंशन के लिए स्पेशल मास्क होते हैं, वे उन्हें प्रोवाइड कराए जाएं। सारे पैरा मेडिकल स्टॉफ और सारे डॉक्टर्स को ये प्रोवाइड कराए जाएं। It is a very sorry state of affairs. जो सर्जिकल मास्क हैं, उनसे इन्फेक्शन ही नहीं रूकता है।

तीसरी बात, जितनी कामर्शियल ऐड्स आती हैं, उसके मुकाबले में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन बहुत कम आते हैं। इसे कई गुना बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, जहाँ तक टेस्टिंग लेबोरेटरीज का सवाल है, पेशेन्ट को टेस्टिंग के लिए इन्तजार नहीं करना है। प्रोटोकॉल ए में लिखा है कि if a person has cough and cold, if he takes anti-biotic and if it does not react within two days, he should be immediately put on medicine. इसके लिए टेस्ट करने का इंतजार नहीं करना है। पेशेंट इसका टेस्ट कराए, उसका रिजल्ट जब भी आए, पर वह मेडिसिंस पर तुरन्त चला जाए। यह एक बात है और इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है।

दूसरा प्रश्न इन्होंने मास्क पर किया। एन 95 मास्क, हमारी तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सप्लाई किए गए हैं, जिस-जिस ने जितनी डिमांड की है और अभी भी ये हम हमारे पास हैं। 9,500 masks are with us. Whatever is needed, we will give that. That is what I want to say.

(Q.65)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : महोदया, मेरा सीधा सा प्रश्न है। इस समय हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के 27 बैंक्स हैं और बाकी जितने भी ग्रामीण बैंक्स हैं, उनके 56 बैंक्स हैं। उनकी पूरे देश में शाखाएं हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, चाहे वे हमारे बी.पी.एल. से सम्बन्ध रखने वाले लोग हों, चाहे वे नरेगा से सम्बन्धित हों, जितने हमारे जॉब कार्ड धारी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकास खण्ड या किसी क्षेत्र विशेष में देखने में आया है कि एक बैंक से सम्बन्धित 40 से 50 ग्राम पंचायतें हैं, जो किसी बैंक के सर्किल में आती हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूँ कि लोग बैंक में भीड़ लगाए हुए खड़े रहते हैं। जब भुगतान का समय आता है तो लोगों को बार-बार उन बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। इसमें स्टॉफ की कमी के बारे में बताया गया है। स्टॉफ की कमी दूर होनी चाहिए और बैंकों की शाखाएं बढ़नी चाहिए। आज यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बैंकों की शाखाएं बढ़ाने के लिए क्या आप आगे कोई कार्रवाई करने वाले हैं?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारी सरकार की यह कोशिश है कि फाइनैंशियल इन्क्लूजन के माध्यम से हम हर हाउस होल्ड को, हर व्यक्ति को बैंकों के साथ जोड़ दें। इसके कई चैनल्स हैं। पहला चैनल यह है कि हमें शाखाएं खोलनी हैं। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, यानी जो पब्लिक सैक्टर बैंक्स हैं या जो ग्रामीण बैंक्स हैं, उनके द्वारा नई शाखाएं खोलें। ये आज के समय एकदम स्वतंत्र हैं और ये अपने कामर्शियल लॉजिक पर तय करती हैं कि कहां शाखाएं खुलनी चाहिए। जब इनकी शाखायें खुल जाती हैं, तब दो-तीन और माध्यम हैं, जिसमें हम फाइनैंशियल इन्क्लूजन करवा सकते हैं। इसमें एक बैंकिंग मित्र है, जहां ये लोग गांव-गांव ग्राम पंचायत में जाकर जो भी फाइनैंशियल सर्विसेज हैं, उनकी पूरी तरीके से एवेलेबिलिटी होती है, उनका पूरा प्रबंध होता है। इसके साथ-साथ हम लोग पेमेंट बैंक के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग वगैरह चीजें भी लागू कर रहे हैं, जिससे आम जनता को और अधिक सुविधा मिले।

तीसरा, मैं कहूंगा कि हम लोगों का जो चैनल बनता चला जा रहा है कि पोस्टल नेटवर्क वगैरह से भी जो कई सारी फाइनैंशियल सर्विसेज हैं, उन्हें भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों का निरंतर प्रयास यही रहेगा कि फाइनेंशियल इन्क्लूजन हर व्यक्ति को इस प्रकार से मिले।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, यह भी ध्यान में आया है कि ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, खास तौर से जो इनका मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, वहां अभी रिक्तियां हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हों, बैंक्स के चेयरमैन्स हों, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि

सरकारी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं, आप उनकी रिक्तियां देखें - अधिकारियों के 33215 पद, क्लर्क्स के 46055 पद, अधिनस्थ स्टाफ के 13957 पद रिक्त हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स की भी स्थिति ठीक नहीं हैं। उनमें अधिकारियों के 14564 पद, क्लर्क्स 10615 पद, अधिनस्थ स्टाफ के 9318 पद रिक्त हैं।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप उन रिक्तियों को भरेंगे और रिक्तियों को भरने की आगे की कार्रवाई करेंगे तो बैंकों में जो भीड़ इकट्ठी होती है वह कम हो सकती है।...(व्यवधान) इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उन रिक्तियों को कब तक भरने की कार्रवाई की जायेगी?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्षा जी, हम लोग सीधे मतलब से यह कन्क्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पद खाली हैं तो उसके कारण लोगों को सुविधायें नहीं मिल रही हैं। हम लोग यह लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। उनकी पहली बात खाली पदों से सम्बन्धित है। आदरणीय सदस्य जी को हमने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें आप देखेंगे कि जहां खाली पद हैं, वहां बहाली जोर-शोर से चल रही है। अभी 90 प्रतिशत वैकेन्सीज़ के लिए बहाली चल रही है, काफी अच्छी तरह से वहां काम चल रहा है।

अगर आप ग्रामीण बैंकों को देखिएगा तो वहां तुलना करना थोड़ा अलग है, क्योंकि, वहां उनमें प्रमोशन्स भी इन्क्लूड हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहां पद खाली हैं तो वे इस कारण से हैं कि वे इन्टरनल प्रमोशन्स से भरे जा रहे हैं। वहां भी मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि वहां जोर-शोर से जो भी रिक्रूटमेन्ट होना चाहिए, वह हो रहा हैं। सरकार ने वर्ष 2011 में 'इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन' चालू किया था, वहां बहुत अच्छी तरह से परिक्षायें होती हैं, बड़े पारदर्शी तरीके से वह प्रक्रिया चलती है और वैकेन्सीज़ भरी जाती हैं। इसलिए वैकेन्सीज़ पर बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है।

आपने दूसरी बात कही है कि जो उच्च पद हैं, वहां चेयरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरैक्टर्स का इस समय रिक्रूटमेन्ट नहीं हो रहा है, मैं उसके संबंध में आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने कल ही अखबारों में देखा होगा, हम लोगों ने तय किया है कि प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरैक्टर्स की रिक्रूटमेन्ट होगी। हमें लगता है कि इस तरीके से और भी बड़े टैलेन्टेड लोग हमारे पब्लिक सैक्टर बैंक्स में आयेंगे। आप लोगों को इस समय जो भी बाधायें दिख रहीं हैं, मुझे लगता है कि उनसे वे जरूर हल हो जायेंगे।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN : I have gone through the answer of our hon. Minister. In spite of declaration of *Jan Dhan Yojana* by our hon. Prime Minister and infusion of 13 crore new bank accounts, almost 40 per cent of our people are deprived of banking system. Almost every bank now is under huge pressure. They have no time to do more work. Now, we know from our Minister

that they are taking some measures but they are not opening many branches in the rural areas. In such a scenario, is Government thinking otherwise something to privatize this sector? Or else, how would they solve this problem?

SHRI JAYANT SINHA: I would like to clarify to the hon. Member two very important points. Firstly, we have made it very clear that the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* has been an astonishing and astounding success beyond anybody's wildest expectations. At this point, we virtually have 100 per cent coverage of every single household in this country with a bank account, which is an extraordinary accomplishment. So, they can be assured that all those who have a bank account, therefore, can avail themselves of all the necessary financial services that they need. In that case, I would like to reassure the hon. Member that his fears are unfounded.

The Second point he has asked is about ensuring that these banking services are available to customers in a very seamless and easy manner. There, what we are doing is, we are expanding capacity across the entire financial sector, not only because of the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* but also because of the new licenses that we are about to issue for small banks, for payment banks, the work that we are doing with the banking *mitras,* what we are doing in mobile banking, and so on. So, as a result of that, we are bringing 21st century financial services to the doorstep and into the hands of every single citizen of India. The hon. Member should feel assured that Government is making unceasing efforts in that regard.

12.00 hrs.

SHRI VINCENT H. PALA: Madam Speaker, I thank you for giving me the chance to ask a question. The Minister comes from a tribal dominated State. In tribal areas whenever we take loan from the bank, the main problem is the collateral and it is difficult for us to mortgage our land for taking a loan. May I know from the hon. Minister whether the policies for the public sector banks and Regional Rural Banks are the same for collateral? In areas where the tribal people cannot mortgage their land, what is the policy of the Government to assist the

tribal people to take loan whenever they want to construct a house or do some business so that they can take loan easily from the banks?

SHRI JAYANT SINHA: Madam, the hon. Member is absolutely correct. I do come from a State that has a very large tribal population and he can be assured that I personally and the Government is completely focused on their interests and their welfare.

Now, with respect to the question of collateral that he is raising for the tribal population, we have to first understand what their needs are and if the needs are for a simple overdraft of Rs. 5,000, that is available through the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* and they can certainly get it through that mechanism. On the other hand, if they want a loan for their agricultural requirements, there are different schemes which I am happy to provide him the details on as to how they can avail all those loans and for a loan upto Rs. 2 lakh, they can simply get through that. If they want a larger loan for housing, then there are other things that are possible through the Regional Rural Banks or even through the public sector banks. So, depending on what the needs are, the tribal people may or may not need collateral. So, I do not think we can make a sweeping statement one way or the other that collateral is difficult to procure. It is simply based on the needs of the borrower and depending on those needs our banks are very forthcoming and our banks are very responsive in that regard.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now paper to be laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Economic Survey, 2014-2015 (Volume-I & II).

(Placed in Library, See No. LT 1836/16/15)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 1837/16/15)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.887(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to exempt from Basic Excise Duty, goods donated or purchased out of cash donations for the relief and rehabilitation of people affected by the floods in the State of Jammu and Kashmir subject to certain conditions and the exemption is valid upto and inclusive of the 31st March, 2015.

(ii) G.S.R.3(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.15(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(iv) G.S.R.40(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(v) G.S.R.65(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 1838/16/15)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R.877(E) published in Gazette of India dated 8th December, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty at modified rates, on the imports of 'Sodium Nitrate', originating in, or exported from the People's Republic of China upto and inclusive of 16th August, 2016, in pursuance of Mid-term review conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(ii) G.S.R.880(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Cable Ties, originating in, or exported from, the People's Republic of China and Chinese Taipei for a period of five years, pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iii) G.S.R.885(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on imports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BISI4900:2000, originating in or exported form Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates.

(iv) G.S.R.935(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Pentaerythritol', originating in, or exported from Chinese Taipei for a period of five years, pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(v) G.S.R.936(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to impose

safeguard duty on imports of Sodium Citrate for a period of three years at specified rates pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Safeguards.

(vi) G.S.R.8(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty imposed on imports of "all kinds of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment", originating in or exported from China PR and Israel" for a further period of one year *i.e.* upto and inclusive of 7th December, 2015, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(vii) G.S.R.16(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of "Melamine", originating in or exported from the People's Republic of China for a further period of one year *i.e.* upto and inclusive of 18th February, 2016, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(Placed in Library, See No. LT 1839/16/15)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R.886(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2014, seeking to exempt from the duties of Customs, goods imported into India and intedned for donation for the relief and rehabilitation of people affected by the floods in the State of Jammu and Kashmir subject to certain conditions. The exemption is valid upto and inclusive of the 31st March, 2015.

(ii) G.S.R.915(E) published in Gazette of India dated 24th December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.921(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 152/2009-Cus., dated 31st December, 2009.

(iv) G.S.R.922(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.

(v) G.S.R.923(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 53/2011-Cus., dated 1st July, 2011.

(vi) G.S.R.924(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 46/2011-Cus., dated 1st June, 2011.

(vii) G.S.R.937(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(viii) G.S.R.9(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2008-Cus., dated 15th January, 2008.

(ix) G.S.R.12(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 60/2011-Cus., dated 14th July, 2011.

(x) G.S.R.14(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 1840/16/15)

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts under sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987.

(Placed in Library, See No. LT 1841/16/15)

12.03 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
12th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to present the 12th Report of the Business Advisory Committee.

12.03 ½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 256th Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on recommendations/observations contained in the 243rd Report of the Committee on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): महोदया, मैं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 256वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1842/16/15.

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, with your permission, I wish to lay the statement regarding Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of March, 2015, which will consist of:-

1. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Citizenship (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 1 of 2015) and Consideration and passing of the Citizenship (Amendment) Bill, 2015.
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) and Consideration and passing of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 2 of 2015) and Consideration and passing of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015.
4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Coals Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 (No. 7 of 2014) and Consideration and passing of the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.
5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 8 of 2014) and Consideration and passing of the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2015.

---

* Laid on the Table.

6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) and Consideration and passing of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015.
7. Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015, as passed by Rajya Sabha.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड के एक भूगर्मशामी ने जमीन के भीतर जल को तलाशने की भारतीय तकनीक से चार यंत्रों का निर्माण किया है। तकनीक का नाम "गॉड इनर्जी टेक्नोलॉजी" रखा है। पहला यंत्र है वाटर रेंज डिडक्टर जो पानी की उपस्थिति बतलाता है। दूसरा है वाटर एवैलबिलिटी डिडेक्टर जो पानी की उपलब्धता एवं क्षमता बतलाता है। तीसरा है वाटर फ्लो डायरेक्शन जो पानी के प्रवाह की दिशा बतलाता है और चौथा वाटर डेफ्थ कैलकुलेशन डिवाइस है जो पानी की गहराई 1000 मीटर तक बतलाने का दावा करता है जबकि दुनिया में चीन ऐसा देश है जिसके पास 500 मीटर तक गहराई जानने की इमेजिन नाम की मशीन है जो केन्द्रीय जल बोर्ड के पास है लेकिन उसका उपयोग प्रारंभ नहीं हो सका है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि यह बहुआयामी (आप्टीमाइज़) तकनीक है। आसन्न जल संकट के समाधान के लिए सस्ती स्वदेशी एवं भरोसेमंद है। अत: सरकार से आग्रह है कि इस तकनीक को मान्यता प्रदान कर राष्ट्रव्यापी उपयोग प्रारंभ करें।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker, Madam, I request the following items may be included in the List of Business for the next week.

1. Need to declare Thanjavur as a heritage city in view of its religious, cultural and historical importance.
2. Need to set up an AIIMS like institution at Thanjavur to augment poor medical facilities in the district.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित दो प्रस्तावों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने हेतु प्रस्ताव करता हूं।

1. बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर, जो मिनी काशी के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहां दूर-दूर से तीर्थाटन के लिए लाखों तीर्थयात्री आते हैं। आवागमन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बक्सर स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने एवं वहां रेल की खाली पड़ी भूमि पर 'पीट प्वाइंट की सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए बक्सर स्टेशन पर सभी राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशीला एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस आदि सभी रेल गाड़ियों के ठहराव तथा पटना-टाटा एक्सप्रेस, गया दामोदर एक्सप्रेस, कामख्या कैपिटल एक्सप्रेस, दुर्ग दानापुर-राऊरकेला एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस को बक्सर तक विस्तारित कर परिचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही डुमरावं रेलवे स्टेशन पर संघमित्रा एक्सप्रेस, पटना-मथुरा एक्सप्रेस दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर पुरूषोतम एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस एवं रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस एवं भागलपुर-दादर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को सुनिश्चित किया जाए।
2. भागलपुर रेलवे स्टेशन पर तथा वहां से खुलने वाली सभी ट्रेनों में विहवलावला पर आधारित सुप्रसिद्ध मंजुषाकला पेंटिंग लगाने तथा बक्सर स्टेशन एवं वहां से खुलने वाली सभी गाड़ियों में रामायण पर आधारित राम-दरबार जिसमें विश्वामित्र का प्रसंग हो, की पेंटिंग लगाई जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

1. गिरिडीह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पत्र, केन्द्रीय विद्यालय संगठन रांची क्षेत्र द्वारा केन्दीय विद्यालय संगठन मुख्यालय दिल्ली को लगभग 2 वर्ष पूर्व भेजा गया है परन्तु प्रस्ताव अभी तक लंबित है, जबकि जिला प्रशासन उपायुक्त गिरिडीह द्वारा आवश्यक सहमति भी प्रदान की गई है। अतः गिरिडीह (झारखंड) में केन्द्रीय विद्यालय स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान कराने की आवश्यकता है।
2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन गोमो में फ्लाई ओवर निर्माण का शिलान्यास एक वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अतः उक्त स्टेशन पर फ्लाई ओवर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में लिया जाए।

1. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार के मजदूरों का बकाया मजदूरी भुगतान को समयबद्ध करने हेतु नियम बनाने के संबंध में।
2. माननीय अदालत के निर्देश के बावजूद अभी तक नर्सिंग होम एक्ट को लागू नहीं किए जाने से संबंधित विषय हेतु नियम बनाने के संबंध में।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए।

1. मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर अथवा टीकमगढ़ में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की महती आवश्यकता है।
2. टीकमगढ़ जिले में ओरछा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। ओरछा स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

Prof. Ravindera Vishwanath Gaikwad – not present.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Speaker.

The following two items may be included in the list of business for the week commencing from 2nd March, 2015:

1. The steep fall in rubber prices and the hardship caused to the rubber farmers in the country.
2. Anomalies in the Employees Provident Fund Pension Scheme adversely affecting lakhs of PF pensioners.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : अध्यक्ष महोदया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, उसमें मैं निम्नलिखित दो प्रस्तावों को जोड़ना चाहता हूं ।

1. बरौनी खाद कारखाना को गैस आधारित यूरिया कारखाने के रूप में खोलने के लिए त्वरित कार्यवाही की मांग।

2. बरौनी के गड़हारा यार्ड में 3000 एकड़ जमीन जो किसानों द्वारा प्रदत्त पड़ी है, उसमें रेलवे विश्वविद्यालय खोलने के लिए आग्रह।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Madam Speaker. I would request that the following items be included in the Government business for the week commencing the 2nd March, 2015:

1. The resignation of Prof. Amartya Sen from the Chancellorship of the Nalanda University due to alleged interference of the Government in academic autonomy of universities. Prof. Sen is a Noble laureate and a renowned economist and philosopher.
2. The leakage of important Government papers and files from the Petroleum Ministry and also the Coal, Power and Defence Ministries affecting the security of the country. Several corporates were reported to be involved.

12.12 hrs

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : माननीय स्पीकर महोदया, आपने मुझे रूल्स के अंतर्गत पर्सनल एक्स्प्लेनेशन करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। 24 फरवरी को इस सदन के सम्मानित सदस्य और मेरे मित्र ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी ने शून्य काल के दौरान मेरे बारे में बताया कि मैंने संविधान की प्रस्तावना में बहस का आग्रह किया है और मेरी यह टिप्पणी निंदाजनक है। यह पूरी बात रिकार्ड पर है।

मैं इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने यह वक्तव्य कभी नहीं दिया था। 28 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद मैं प्रैस ब्रीफिंग कर रहा था। उस समय आईएंडबी के विज्ञापन के बारे में मुझसे एक सवाल पूछा गया तो मैंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह बहस करनी चाहिए कि जवाहर लाल नेहरू, जो देश के वरिष्ठ नेता हैं, उनका हम सभी सम्मान करते हैं, वे सेक्युलर थे या नहीं। क्योंकि, जब वर्ष 1950 में संविधान बना तो वह मौलाना आजाद, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर आदि लोगों ने सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं रखा था। इस पर बहस होनी चाहिए। सारे अखबारों ने हमारी यह बात सही-सही छापी, लेकिन एक अखबार 'हिन्दू' ने अपनी हैडलाइंस में कहा कि हमने प्रिएम्बल पर बहस की बात की है। उन्होंने 30 तारीख को मेरा पूरा क्लेरीफिकेशन छापा। उसके पश्चात् 2 तारीख को 'हिन्दू' ने एक संपादकीय लिखा, जिसमें मेरे इस संदर्भ का पूरा जिक्र किया और मेरी आलोचना की। मैंने 'हिन्दू' के संपादक को विस्तार से एक पत्र लिखा। मैं इस बारे में उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने 3 तारीख को मेरे पूरे रिजॉइन्डर को विस्तार से छापा।. I never called for a debate on secularism and socialism. इसकी ओरिजनल प्रति मेरे पास है, जिसे मैं सदन में रख दूंगा। 29 तारीख को मैंने कई टी.वी. चैनल्स को कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा और न सरकार की मंशा है। हां, कांग्रेस पार्टी को यह सवाल पूछना है कि नेहरू जी सेक्युलर थे या नहीं? यह वर्ष 1950 में नहीं हुआ था। जो बातें मैंने कभी नहीं कहीं, उन्हें लेकर माननीय सिंधिया साहब, जो मेरे मित्र भी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। वे होम वर्क

करते हैं। वे मुझसे फोन पर पूछ लेते और सदन में मेरा नाम लेकर मेरी टिप्पणी को निंदाजनक कहना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं पूरा रिकार्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं और अगर आप कहेंगी तो मैं अपने पूरे स्टेटमैंट को औथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे खेद प्रकट करें या शर्म करें, लेकिन यह अपेक्षा करूंगा कि अगर रिकार्ड इतना स्ट्रेट है तो कम से कम मेरे खिलाफ की गयी सदन पर टिप्पणियों को वापस लेंगे। यह मैं उनसे अपेक्षा अवश्य करता हूं।

12.15 hrs

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2015*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam Speaker, on behalf of my colleague Shri Haribhai Chaudhary, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955. "

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I would like to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2015 under Rule 72, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in this House.

Madam, the facts and statements of the Minister are absolutely contradictory. He had already spoken yesterday in this House. This kind of legislative exercise is adversely affecting the legislative supremacy of Parliament and also the concept of the *sanctum sanctorum* of democracy as declared by the hon. President in his Address to the Joint Session of Parliament. This is my general observation in opposing the introduction of the Bill.

Now, I will come to my specific objections to the Bill. One Bill was introduced in this House on 23rd of December that is the Indian Citizenship (Amendment) Bill, 2014. On 6th January, 2015 an Ordinance has been promulgated by his Excellency, the President of India. Now, we are having another Bill that is the Citizenship (Amendment) Bill, 2015. There is another Bill which is pending in Rajya Sabha. That Bill is also silent about it.… (*Interruptions*) Another Bill which is pending in Rajya Sabha, which was

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

introduced on 12th December, is amending Section 9 of the Indian Citizenship Act, 1955.

The specific objection to the Bill is that through this Bill, a new amendment is being incorporated in Section II(I)(e)(e) where the citizens of Indian origin have to be defined in the new Bill. If we look at the Statement of Objects and Reasons of this 2015 Bill, there is no Statement of Objects and Reasons for the proposed amendment. That is the specific objection. My point is that this Bill is imperfect, improper and disabled.

There is also an Ordinance. That is my second specific objection. Yesterday, they had also withdrawn the Bill. I would like to know as to what is the urgency of promulgating the Ordinance. Our hon. Prime Minister had a visit to America and Australia. He made a commitment to the persons of Indian origin. If that being the case, then my question to the Government is that in order to fulfill the commitment of the hon. Prime Minister why was this provision not incorporated in 2014 Bill which was introduced on 23rd December 2014 and also in the Ordinance which was promulgated on 6th January, 2015? That means, the legislative exercise was being taken in a callous way and the Parliament was taken for granted. This cannot be accepted. That is my specific objection.

SHRI KIREN RIJIJU: There is no basis of these objections. Yesterday also I have made it categorically clear that this is in the national interest that we had to withdraw this Bill which was there earlier. I have already stated the reason for the promulgation of an Ordinance. This same Bill was passed in Rajya Sabha in 2013, but as the Lok Sabha was dissolved in 2014, the Bill could not be passed in Lok Sabha. That is why we have come out with a new Bill.

As far as promulgation of an Ordinance is concerned, I have already stated yesterday that since the hon. Prime Minister had made a commitment on behalf of the country, it is our duty to ensure that the commitment is completely followed upon. That is why there is no basis and proper reason for objecting to this Bill and I request the House to allow this Bill to be introduced.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955."

The motion was adopted.

SHRI KIREN RIJIJU: I introduce the Bill.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you, Madam Speaker, for allowing me to raise an important issue which is affecting almost the entire country, particularly, the people of coastal areas including that of Odisha.

In November, 2014, the Union Government, Ministry of Agriculture has issued a notification by which foreign vessels are allowed to operate outside 12 nautical miles of the State sea territory and 250 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. These foreign vessels that have been permitted to do fishing not only pose threat to the marine security of our country but also affect lakhs and lakhs of fishermen who live in the coastal areas.

Madam Speaker, in my State of Odisha alone there are more than 1.5 lakh fishermen who depend on fishing, 2,500 deep-sea fishing boats are fishing in the deep water and 40,000 gill are fishing. So, what does this mean to the livelihood of such people? The livelihood of such people gets completely demolished. They are sitting today on the seacoast and crying. Lakhs and Lakhs of people are just crying because their livelihood has been affected.

So, my question to the Government is this. In whose interest are we working? Are we working for the interest of our own fishermen, of our own people or are we working for the interest of the foreign vessels? They come, catch fish and go home, and take the foreign exchange away. Not only that but they also intrude into the sea territory of our State. The State Government, by and large, have no means to check them day in and day out.

Madam Speaker, through you, I would urge upon the Union Government to take cognizance of this serious menace immediately and withdraw this notification in order to do justice to the people of this country and also to ensure marine security. Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्री का ध्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा फोर-लेन निर्माणाधीन सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिन सड़कों को फोर-लेन स्वीकृत किया गया है, उनके निर्माण का कार्य अत्यंत धीमा तथा निराशाजनक है। जो एजेंसियाँ निर्माण-कार्य कर रही हैं, उनमें से अधिकांश ने पेटी कांट्रेक्ट पर दे दिया है, इसलिए तय समयावधि में कार्य पूरा नहीं हो रहा है। आधे-अधूरे कार्यों से लोगों को अवागमन में भयंकर कष्ट हो रहा है तथा लोगों में भारी असंतोष भी फैलता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75, जो झांसी-निवाड़ी-नौगांव से खजुराहो होते हुए, सतना-बेला-सीधी-सिंगरौली तक जाती है, की हालत खराब है। सतना से बेला के बीच काम अधूरा छोड़ दिया गया है। वहाँ रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। उक्त कार्य टॉपबर्थ कंपनी को मिला था, पेटी में जो ठेकेदार उसे कर रहा था, उसका भुगतान न होने के कारण वह काम बंद कर दिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जो जबलपुर से बनारस जाती है, को फोर-लेन बनाना है, इसका काम अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। रीवा-मनगावां से इलाहाबाद का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। सतना-छत्तरपुर मार्ग को 40 किलोमीटर तक बनाकर, शेष 35 किलोमीटर का काम बंद कर दिया गया और टोल प्लाज़ा द्वारा वसूली भी शुरू कर दी गई है।

आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि इन सड़कों का काम जल्द पूरा कराया जाए तथा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

*SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG) : Today is World Marathi Day. So I would like to speak in Marathi in this Zero Hour.

Hon. Madam Speaker, especially Ratnagiri-Sindhudurg is the area of paddy growers. There has been a system of procurement of rice by Government for last many years. But there is no procurement of rice this year by Government. Hence the farmers are adversity affected. So, the agents are making profit by procuring rice at minimal prices. Last time the rate was Rs. 1340 per quintal. This year it was expected that the procurement rate should be Rs. 2000. Unfortunately Government has not opened the rice procurement centres. So, the agents are procuring rice at the rate of Rs. 700-800 per quintal. The farmers are helpless and facing problems.

So, I would like to request Union Government to issue orders to Maharashtra Government to open rice procurement centres in Konkan area and give relief to the paddy growers of this area. Thank you. Jai Hind Jai Maharashtra.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI-SOUTH) :** Hon. Madam Speaker, I would like to thank you from the core of my heart. Today is World Marathi Language Day. It is birthday of great Marathi poet Kusumagraj who had also won Jnanpeeth Award. His birthday is celebrated as Marathi Bhasha Divas by Marathi speaking people as well as residents of Maharashtra. I would like to recite two lines written by him. On completion of fifty years of our independence, he wrote a poem.

His poem is a guiding light for all of us, especially for rulers, representatives of people as well as government officers. I would read out four lines for you

"पन्नाशीची उमर गाठली, अभिवादन मज करू नका,
मीच विनविते हात जोडूनी वाट वाकड़ी धरू नका
वेतन खाऊंनी काम टाडणे हो दशाचा द्रोह असे,
वेतन खाऊंनी काम टाडणे हो दशाचा द्रोह असे,
करतील दुसरे, बघतील तिसरे असे सांगूनी सुटु नका
जनसेवेसाठी असे कचेरी
ही डाकूंची नसे गुहा
मेजारवरती मेजाखालूनी द्रव्य कुणाचे लुटु नको

---

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

This can be a guiding poem for entire country. This poem should be translated and circulated throughout the nation for the benefit of all. Hence, he got Jnanpeeth award. I salute him once again on his birthday. I would like to recite a few more lines :

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जानतो मराठी, मानतो मराठी
दंगते मराठी, रंगते मराठी
स्पंदते मराठी, स्पर्शते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी
गुंजते मराठी, गर्जते मराठी

In short, it means that we are fortunate that we speak Marathi, we listen Marathi. We know Marathi, we understand Marathi. We regard Marathi from the bottom of our hearts. Marathi has occupied every space of our life. I salute this great Marathi languague of saint Gyaneshwar and Tukaram on its birthday.

I wish it may progress constantly. Thank you very much Jai Hind Jai Maharashtra.

HON. SPEAKER: Dr. Kirit Somaiya is permitted to associate himself with the issue raised by Shri Arvind Sawant.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

It is regarding demand for taking up four lane project from Anakapalli to Anandapuram.

In order to improve the safety and ensure smooth flow of traffic, it is essential to construct this four lane project. The entire section of NH-5 between Anakapalli and Visakhapatnam *via* Anandapuram is unsafe from the safety point of view. The main reason is that the local traffic has direct access to the National Highway, which results in congestion and accidents. In such accidents, many people had been killed and injured.

I would, therefore, request the hon. Minister to take over Anakapalle to Anandapuram State Highway Road by the National Highways Authority of India and get it executed on a priority basis to save precious human lives. This is very urgently required.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के संबंध में यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा चीनी मिल मालिकों की बेरुखी से आज वहां किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है। पिछले सत्र के भी 6500 करोड़ रुपये अभी बकाया हैं, फरवरी माह बीत रहा है और अभी भी लाखों क्विंटल गन्ना खेत में खड़ा है। गन्ना काश्तकार बैंक से लोन लेकर, साहूकारों से लोन लेकर अपना खर्चा चला रहे हैं। लग्न का सीजन भी चल रहा है और निश्चित रूप से लग्न का सीजन बीतने वाला है। बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस की आवश्यकता हो रही है। कहीं न कहीं सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा है। खास तौर से, मेरे क्षेत्र महाराजगंज जनपद में पिछले सत्र के 28 करोड़ रुपये बकाया हैं, फरवरी माह बीतने वाला है और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के हित में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए, खेतों में खड़े गन्ने की पेराई के लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें और लोन की वसूली के लिए बैंक्स के जो अमीन लोग वहां जा रहे हैं, जब तक किसानों को भुगतान नहीं होता है, तब तक उस वसूली को रोक दिया जाए। धन्यवाद।

*SHRI A.ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Hon. Madam Speaker, Vanakkam. Cuddalore port is one of the ancient ports of southern part of Indian peninsula. This port is one among the smalls ports and also a fishing port. For the past several years, desilting work has not been carried out in this Cuddalore port. Due to this, the fishing boats crash onto the shore and as a result of these mishaps precious lives are lost. In around some 50 such accidents, more than 20 fishermen lost their precious lives.

It is therefore much needed to carry out work relating to deepening of berth and desilting in Cuddalore port. The quay of the Cuddalore fishing port needs refurbishment. The berth which is of low depth should be deepened and other issues like accumulation of mud and soil erosion should be dealt with. The precious lives of fishermen of Cuddalore should be protected.

The Coastal Zone Regulatory Authority has to grant its approval for carrying out desilting and deepening work in Cuddalore port. I urge the Union government to grant approval and also allocate adequate funds. The local fishermen staged demonstrations in this regard. Hon'ble Fisheries Minister of Tamil Nadu, District Collector of Cuddalore, and the Commissioner of Fisheries Department of Tamil Nadu held meetings with the agitating fishermen. As a result, the fishermen withdrew their agitation and are waiting for prompt action to be taken by the Government.

I therefore urge the Union government to take necessary action in this regard for carrying out desilting and deepening work in Cuddalore port. Thank you.

---

*English translation of the speech orginally delivered in Tamil.

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर शर्मा - उपस्थित नहीं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, आपको मालूम ही है कि समूचा हिमालय क्षेत्र आंतरिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यावरण के कारण से अत्यंत संवेदनशील है और उसमें भी उत्तराखंड देश के लिए गौरवशाली थांती के रूप में है, जहां जनसंख्या का कुल सात प्रतिशत लोग सेना में भर्ती हो कर राष्ट्र की सीमाओं में कुर्बानी देते हैं और 1 लाख 20 हजार से भी अधिक पुरूष सैनिक हैं जबकि 32363 से भी अधिक यहां विधवाएं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी से पहले की बात हो या विक्टोरिया-I विश्व युद्ध वर्ष 1914 में विक्टोरिया क्रास नायक दरबान सिंह हों, चाहे वहीं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में रायफल मैन शहीद गब्बर सिंह हों, चाहे परमवीर चक्र लैफ्टिनेंट थापा हों, चाहे अशोक चक्र उमेद सिंह हों, नायक भवानी दत्त हों, गजेन्द्र सिंह हों और चाहे बहादुर सिंह बोरा हों, मुझे कहना है कि यदि देश की गौरवशाली परम्परा के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी देने वाली और पूर्ण जनसंख्या का सात प्रतिशत से भी अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाली दो-दो विदेशी सीमाओं का क्षेत्र आज अत्यंत संवेदनशील हो गया है। वहां से लोगों का पलायन हो रहा है। वहां लोग प्रकृति की मार झेल रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वहां का औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती हो कर राष्ट्रीय सीमाओं पर कुर्बानी देता है और उसकी गौरवशाली परम्परा है इसलिए वहां के नवयुवकों को सैन्य और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तथा प्रशिक्षण देने के लिए अलग से संस्थान खोले जाएं। उनके लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाए। अभी आपने देखा कि चाहे वह गुजरात का अक्षरधाम रहा हो, चाहे ताज होटल पर आतंकी हमला रहा हो, चाहे संसद पर हो, चाहे दांतेवाड़ा नक्सली हमला हो, प्रथम पंक्ति में उत्तराखंड के उस नौजवान ने अपनी शहादत दे कर राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां के नौजवानों को निशुल्क राष्ट्र की सेवा के लिए अधिकारी तैयार करने के लिए संस्थान खोले जाने चाहिए और सैनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी - उपस्थित नहीं।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): महोदया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फरवरी, 2000 में लागू किया गया। मेरा कहना है कि शायद चुनाव सिर पर होने की वजह से इस एक्ट को जल्दबाजी में पारित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ है कि मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में तीन दिन पहले पचास हजार से ज्यादा महिलाओं ने क्लेक्टर आफिस के पास मोर्चा निकाला था। यह एक्ट लागू होने के बाद एपीएल कार्ड होल्डर, जो

महाराष्ट्र में तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोग हैं, उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है। जो एक्ट लागू हुआ है, इसका अनुमान लगाया गया था कि जो कुटुम्ब की जनसंख्या थी, वह वर्ष 2010 की जनसंख्या पर आधारित है, मेरा खयाल है कि वर्ष 2015 का आधार लेना चाहिए और इस हिसाब से इन लोगों को अनाज मिलना चाहिए। प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है। यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि प्रति व्यक्ति बारह किलो अनाज दिया जाएगा, लेकिन आज पांच किलो दिया जा रहा है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। इस एक्ट को केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन इसका इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकार करती है, लेकिन अनाज देते समय दुकानदार, जो देश में तकरीबन दस लाख से ज्यादा हैं, उनको ध्यान नहीं रखा गया है।

इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में एक फैडरेशन बनाया गया है, आज उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि कोई जॉब गारंटी होनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा देना चाहिए। शांता कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसका ये सब लोग विरोध करते हैं। जो दुकानदार आज गेहूं और चावल बेचते हैं, उन्हें अन्य कोई जीवन आवश्यक वस्तु जैसे शुगर, रेलवे टिकट व पोस्टल टिकट हैं, ऐसी कोई चीजें बेचने का वहां पर कोई प्रोविजन होना चाहिए जिससे उनकी इंकम में बढ़ोतरी हो। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Madam.

The A.P. Reorganization Act, 2014 mandates the Government of India to take up the Metro Rail Project in Vijayawada, Visakhapatnam, Tirupati, Guntur and Tenali. Finally, an announcement was made that the Metro Rail would be taken up only in Vijayawada and Visakhapatnam in the first phase.

Now that Thullur Mandal has been chosen to be the Capital city area of Andhra Pradesh and the process of land pooling has been taken up by the State Administration, it is all the more necessary and important to have a Metro in the Capital area and surrounding urban centers which are part of the Capital Region Development Authority (CRDA) and the Vijayawada Airport. In fact, the proposed area is presently without any infrastructure that is required for a Capital. So, the laying of Metro in the Capital area is very important, and it is equally important that this Metro be connected to Vijayawada, Guntur, Mangalagiri, Tenali, Tadepalli towns as they are very important towns in the Capital region.

In the first phase itself, the Metro rail terminus must be at such a place to suit the expansion of the Metro towards the new Capital. The KC Canal / Tadepalli needs to be developed as the Metro terminus. Hence, the KC Canal / Tadepalli be included in the first phase, and this point be made as a starting point of the Metro Rail connecting the two routes of Vijayawada with a bridge across the River Krishna. Along with development of the Capital city, the Metro connectivity can be planned from this place connecting the places between the Capital and the Krishna Canal. Further, the Krishna Canal Junction also needs to be upgraded providing halt for passenger trains so that pressure on Vijayawada station is reduced. Public may alight at this place to proceed to the Capital.

In view of this, I request the Government of India to take up the Metro in the CRDA in the first phase itself and expansion of network can be taken up in the second phase. Thank you, Madam.

एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे (शोलापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे शोलापुर चुनाव क्षेत्र में मुख्य रूप से दो नदियां बहती हैं- भीमा और सिना। ये नदियां सिर्फ बरसात के पानी, गांव से निकलने वाले नाले और उप-नदियों द्वारा बहती हैं जो महाराष्ट्र के हक का पानी है। आज तक भीमा नदी पर चार बैरिजेज और सिना नदी पर तीन बैरिजेज हैं जिनकी ऊंचाई सिर्फ चार मीटर है। पानी का बहाव आते ही पानी ऊपर से निकलकर कर्नाटक में चला जाता है। मैंने देखा है कि एक गांव रहाटेवाड़ी है। गांव के लोग अपना पैसा डालकर नदी पर बांध बांधते हैं और हर साल वह टूट जाता है, फिर पैसा डालकर वह बांध बांधा जाता है। अगर इन दोनों नदियों पर और ज्यादा बैरिजेज बांध दिये जाएं और उनकी ऊंचाई चार मीटर से बारह मीटर की जाए तो मेरे चुनाव क्षेत्र के पंढरपूर, मंगलवेंढा, मोहोल, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट तहसीलों के लोगों के पीने के पानी और खेती के पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि भीमा और सिना नदी पर ज्यादा संख्या में बैरिजेज बांधने की परमिशन दी जाए और उनकी ऊंचाई बारह मीटर तक की जाए तथा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में निधि भी उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : ज़ीरो ऑवर में लम्बा-चौड़ा पढ़ना नहीं है। संक्षेप में अपनी बात कहें।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you, Madam Speaker. The Kendriya Vidyalaya (KV) was established in our country in 1962. At present, we have 1,093 KVs in our country. In our State of Kerala, we had requested for establishment of

a KV in my Alathur Constituency in Thrissur District of Kerala in 1998. But at that time, a letter from the KV Commissioner had pointed out that Kerala had initiated for it in the year 1998, but the same could not be proceeded with as the concentration of transferable Central Government employees was much below the requirement of minimum thousand employees as per the existing norms at that time.

I had raised this matter on 4th October, 2012. I received a reply from the Ministry of HRD on 1st August, 2013. I also received a follow up letter from the Commissioner, KVS dated 24th February, 2014 saying that now the norms for opening new Kendriya Vidyalaya have been amended. The requirement of minimum of 1000 Central Government employees has now been brought down to 500 Central Government employees by the decision of the Commissoner, KVS dated 28.12.2012 along with the other changes like the minimum extent of land etc.

We have acquired 20 acres of land for establishment of Kendriya Vidyalaya in Erumapetty panchayat in my constituency Thrissur but nothing has happened further. I would urge upon the Government to take immediate action to set up a Kendriya Vidyalaya in my constituency.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में ट्रेन के ठहराव के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में जवाईबांध, मारवाड़ जंक्शन, सोमेश्वर, फालना, सोजत रोड, रानी के अलावा और भी तीन-चार रेलवे स्टेशंस हैं। वहां पर ट्रेन का ठहराव नहीं होने से दूर-दराज में ट्रेन रुकती हैं और वहां दूर-दराज में ही हमारी माताएं और बहने ट्रेन से उतरती हैं। वहां कोई होटल की सुविधा नहीं होती है और न वापस उनके गंतव्य स्थान तक आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। इसलिए ऐसी जगहों पर ट्रेन का रुकना जरूरी है। यही नहीं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र और आसपास के जिलों पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और नागौर से लगभग बीस लाख लोग पलायन करके दक्षिण भारत में विभिन्न तरह के कार्य, व्यापार और शिक्षा आदि के लिए गये हुए हैं। लेकिन वहां ट्रेन सप्ताह में एक बार ही आती हैं, उन्हें नियमित करने के लिए मैं रेल मंत्री जी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, I thank you for giving me an opportunity to express my observation about the public sector undertaking. Public sector undertakings have been called milching cows for the officers in collusion with politicians also. I would draw your attention to the LIC which comes under the Ministry of Finance. LIC is being milked like anything. I am going to highlight four issues. एल.आई.सी. में जो यू.के. की फॉरेन ब्रांच है, वह वॉयबल नहीं है और यह बड़े ऑफिसर्स के टूर का डेस्टिनेशन बन गया है। When that branch is not viable and profit is not coming from them, then it should be wound up.

माननीय अध्यक्ष : नम्बर दो क्या होता है, एक ही विषय होता है।

डॉ. उदित राज : एक दूसरा इश्यु है। A fraud amounting to Rs. 3.45 crore was detected by the Internal Audit in one of the branches. उसे मैंने दिया है, सबमिशन भी किया है।There are a lot of private players in LIC. They are being favoured. It is not mandatory for them to transfer their surplus value to the Government of India. एल.आई.सी. का पिछले वर्ष लगभग 1600 करोड़ रुपये जो सरप्लस वैल्यू है, ट्रांसफर किया गया है। Why is there a discrimination between a private player and the LIC? हम यह आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। LIC is maintaining the best possible guest houses all over the country, yet Chairman and higher officers are staying in five star hotels. Apart from that, gift voucher is restricted to Rs.500 only but they are spending crores and crores of rupees in the name of gift vouchers.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : सर्वशक्तिमान सदन की अधिष्ठात्री के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। 'बस्ती-बस्ती, पर्वत-पर्वत गाता जाये बंजारा, लेकर दिल का एक तारा।' बरौनी रिफाइनरी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में एक मानक स्थापित किया है।

परंतु इस बरौनी रिफाइनरी के कारण बेगुसराय संसदीय क्षेत्र की दस पंचायतें - बीहट-1, बीहट-2, बीहट-3, बीहट-4, नींगा और पपरौल इन सारी पंचायतों की आबादी प्रदूषित जल से मरणासन्न हो रही है। मैडम, गाय और भैंस मुसहरी में रखनी पड़ रही हैं। बैल मुसहरी में रहते हैं। लोग परेशान हैं। 2000 एकड़ जमीन प्रदूषित जल से बर्बाद हो रही है। इस पर प्रदर्शन हुए हैं। रिफाईनरी के प्रबंधन से बातें हुईं हैं। जिला कलेक्टर ने क्षतिपूर्ति के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन बरौनी रिफाईनरी का प्रबंधन संवेदनहीन है

विवेकशून्य है। आज जो इस आसन पर ताई बैठी हैं, बाध्य हो कर मैं उनके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह बरौनी रिफाइनरी के प्रबंधन पर ऐसा दबाव डाले कि हमारे किसानों को मुआवजा प्राप्त हो, क्षतिपूति हो। बोरोपिट के माध्यम से जो प्रदूषित जल आ रहा है, उसके चलते सब्जी मारी जा रही है, उसके चलते आम और लीची की फसल मारी जा रही है, उसके चलते वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि भारत सरकार बरौनी रिफाईनरी पर दबाव डाले ताकि वह हमारे किसानों को और दस पंचायतों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति दे। मैं आपके माध्यम से इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, मैं आपका, सदन का और सरकार का ध्यान हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे देश में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, उनको फौज़ के मुकाबले कम सहुलियतें मिल रही हैं। अगर हम बीएसएफ की बात करें तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले बीएसएफ गोलियाँ खाती है। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो कहीं कोई परेशानी हो या दंगे हों तो वहां सीआरपीएफ का जवान सबसे पहले गोलियाँ खाता है। पार्लियामेंट की सुरक्षा भी सीआरपीएफ ही कर रही है। अगर सीआईएसएफ की बात करें तो हमारे एयरपोर्ट्स, मैट्रो आदि सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उसके लिए वे वहां पर दिन-रात पहरा दे रहे हैं। अगर इन पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के एक कौंस्टेबल की बात करें तो फौज के मुकाबले उसकी तनख्वाह में 5000 रूपये प्रति महीने का अंतर है। अगर ऑफिसर लैवल की बात करें तो तकरीबन 22000 रूपये प्रति माह का फर्क है। अगर कौंस्टेबल की प्रमोशन की बात करें तो जो ओहदा 20 साल में फौज के जवान को मिलता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के कौंस्टेबल को उस लैवल तक पंहुचने में 29 साल लगते हैं। पिछले जनवरी 2011-जनवरी 2014 के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के तकरीबन 368 जवानों ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि अगर कैज़ुअल लीव की बात करें तो जहां फौज में 20 से 30 मिलती हैं तो यहां 15 ही मिलती हैं। अगर कैंटीनों की सहुलियतों की बात करें तो वह उनको कोई नहीं है, मैडिकल सहूलियतें बहुत कम हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज़ फौज की तरह ही हमारे देश की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं। नक्सली एरिया में जनवरी, 2011 से जनवरी 2014 के बीच 371 पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं। मेरी सरकार से विनती है कि सरकार जोर दे कर यह व्यवस्था करे कि आने वाले पे कमीशन में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की पे, उनकी सहूलियतें फौज के बराबर हो सके। आपके माध्यम से यही मेरी सरकार से गुजारिश है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Madam, Thally Road on Hosur in Krishnagiri Constituency is thickly populated with more than

five lakh people and it is a well developed industrial town. There is a railway gate between Bengaluru-Salem line at Thally Road Hosur which is connected to Hosur bypass ring road and Hosur inner ring road.

Madam, more than 20 passenger trains and goods trains pass through this line every day. Because of the crossing trains, huge traffic congestion is always there. More than 25 factories - like TVS, Sundaram Fasteners, Sundaram Auto components and Steel factories are situated in Thally Road.

Closing of railway gates is causing heavy traffic congestion affecting general public, school students, factory employees and sick patients in addition to causing national waste of petrol and diesel. Therefore, I request you to construct a railway overbridge at Thally road, Hosur to avoid vehicular traffic.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I would like to draw the attention of the Government to the fact that the doctor-population ratio in our country is miserably low. The population in rural area and villages is suffering because of lack of qualified doctors and paramedical staff. The hon. President of India in his Address to the Parliament on 23rd of February, 2015 has clearly stated that the health and hygiene should be given due priority. The hon. Prime Minister has also appealed for Swachch Bharat Abhiyan. In view of this, I request the hon. Minister to set up the process of recruiting doctors and paramedics so that all the public health centres in rural area and the villages are adequately staffed with doctors and paramedical staff in order to cater to the population properly.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): I wish to draw the attention of this august House to an urgent matter of public importance regarding the alarming degree of pollution in the Capital city of Delhi. According to expert studies, Delhi is the most polluted city across the globe. We have reports of the foreign Government taking urgent steps to protect the staff of their missions at Delhi from the disastrous effect of pollution. We have launched the Swachch Bharat programme and we have directions from the Court on the issue. But in spite of everything, there is no improvement whatsoever in the matter. I call upon

the Government to take immediate action so that the health and lives of the hapless people of Delhi can be saved. Madam, I seek your kind indulgence in this very important matter.

HON. SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar is allowed to associate with the matter raised by Shri Mullapally Ramachandran.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं राजस्थान प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर, जो संभाग मुख्यालय है, वहाँ स्थाई रूप से पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

महोदया, उदयपुर संभाग मुख्यालय है, जिसमें 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा से लगभग 600 किलोमीटर जोधपुर जाना पड़ता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से जोधपुर आने-जाने में काफी असुविधा रहती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2013 में 27,469 आवेदन किए थे और वर्ष 2014 में 35,014 लोगों ने जोधपुर जाकर आवेदन किया है। यह आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उदयपुर संभाग की महिलाओं, छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों और हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पासपोर्ट कार्यालय सेवा केन्द्र खोलने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before this House a very serious issue. For the last six months, our freedom fighters or their relatives are not getting central pension. Earlier, they were getting the pension through the Treasury. I do not know the reason why the Government has decided to change it from Treasury to Banks. After that, they were not getting the pension. At the same time, they are getting the State pensions. We know that the freedom fighters or their relatives are really in the sick bed. Every month, they are really seeking whether they are getting the pension or not. We are getting a number of calls in this regard. So, I would urge upon the Government to take necessary steps to give this pension either in the Treasury or in the Banks in time.

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher is allowed to associate with the matter raised by Shri Mullapally Ramachandran.

श्री राम टहल चौधरी (राँची): अध्यक्ष महोदया, मेरा शून्यकाल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र रांची के हीनू एवं एच.ई.सी. सैक्टर-2 स्थित केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन बंद होने संबंधी समाचार रांची के दैनिक जागरण में आ रहे हैं। इनके कारण मूल रूप से क्रमशः जिला प्रशासन एवं एच.ई.सी. से भूमि विवाद है। इन दोनों केन्द्रीय विद्यालयों में 3500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। शिक्षा जहाँ सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख है, सस्ती और गुणवत्ता युक्त इन शिक्षा केन्द्रों का किसी भी कारण से बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस संबंध में मेरा मानव संसाधन मंत्री महोदया से अनुरोध है कि इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इन विद्यालयों को बंद होने से बचाने हेतु यथोचित प्रबंध किया जाए जिससे इस जिले की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, thank you for giving me an opportunity to raise a matter of very urgent public importance relating to my Parliamentary constituency.

In my Parliamentary constituency, one *panchayat* is called Munroethuruth. Munroethuruth is an island in Kollam district. It is a small *gram panchayat* with a population of 15,000 people and lies in an ecologically sensitive area. It is a small island in Ashtamudi lake at the merging point of Kallada river. On the western part of the island is the Arabian Sea. The island has been frequently reported with environmental issues such as subsidence of land; flooding during the diurnal tides; sinking of structures, mainly buildings; etc.

When one of the major rail accidents in the early 1990s happened in this island, the studies showed that the reason for the accident was a tornado. The island experiences unforeseen, unprecedented climate and ecological problems quite often. Without reason, houses are broken, wells are flooded or drained, land is taken by untimely tides, roads are destroyed, and bridges are broken. The local area is under stress and strain due to this problem.

Recently, the scientists under the Government of Kerala studied the problem. I urge upon the Government of India to send a high level team to study

the problem. The Government of India should send a high level team from the Ministry of Earth Sciences and the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to study what are the reasons for these regular happenings in Munroethuruth *gram panchayat*.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): अध्यक्ष जी, पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर ज़ोन के अंतर्गत आने वाला नरकटियागंज-रक्सौल रेलखंड कई वर्षों से छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन दस वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी धनराशि के अभाव में इस रेल लाईन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है जिसके कारण मेरे वाल्मीकि नगर लोक सभा क्षेत्र के लाखों लोगों के अलावा नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह रेल लाईन नेपाल-उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि नरकटियागंज-रक्सौल रेल लाईन की पूरी धनराशि देकर जल्द से जल्द इस अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कराया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य में सेविका-सहायिका की ओर दिलाना चाहता हूँ जो साल के 365 दिन काम करती हैं। राज्य में और जिला प्रखंड स्तर पर मुख्य कार्य के अलावा विभिन्न काम दिया जाता है। इन्हें कुशलता से वे करती हैं परंतु मनरेगा के मज़दूरों के बराबर भी वेतन उनको नहीं दिया जाता है। वर्तमान में इनको लगभग 4000 रुपये महीना वेतन मिलता है और राज्य में आज की तारीख में सरकारी नौकरी की इनकी उम्र भी समाप्त हो गई

है, अब ये सरकारी नौकरी में भी नहीं जा सकती हैं। अतः सेविका-सहायिका को प्रमोशन देकर सुपरवाइज़र के तौर पर किया जाए और इनको स्वास्थ्य सुविधा भी दिलाई जाए। इनकी सी.एन.एफ. और ग्रैच्युटी भी काटी जाए और कम से कम मनरेगा के मज़दूरों के बराबर इनको तनख्वाह दी जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

13.00 hrs.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs.</u>

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by ShriAnurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey on 24th February, 2015:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2015'."

***श्री हरीश मीना (दौसा):** मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरूआत में ही हमारी सरकार की मूल नीति ''सबका साथ-सबका विकास'' की बात कही जिस पर हमारी सरकार पुरज़ोर से काम कर रही है और यह पूरी दुनिया देख रही है। हमारी सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय देशहित व विकास के लिए किए है, चाहें वह ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत भारत को स्वच्छ देश बनाने की बात हो, ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' के तहत हमारे गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास, ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना'' के तहत सभी देशवासियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने, शिशु लिंग अनुपात में लगातार आ रही कमी को रोकने के लिए ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं'' अभियान, ''मेक इन इंडिया'' तहत भारत को उत्पाद का केंद्र बनाने की बात हो या ''स्मार्ट सिटी'', ''नमामि गंगे'' जैसे अन्य अभियान को, मैं पूरे देश की तरफ से हमारी सरकार का इन कदमों के लिए आभार प्रकट करता हॅूं।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेते हुए इनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समाज के अत्यंत संवेदनशील और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल बनाने पर विशेष ज़ोर दिया है।

मैं राजस्थान के दौसा क्षेत्र से आता हूं, जहाँ पर बड़ा हिस्सा इन्हीं वंचित वर्गो से आता है और आज आज़ादी के 67 साल बाद भी समाज में सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। मुझे भरोसा है कि सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों से इनका विकास होगा और वे समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकेंगे।

मैं राजस्थान से आता हूं, जहां पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध पीने का पानी तो दूर की बात है पर अधिकतर क्षेत्रों में तो पानी तक उपलब्ध नहीं है। महिलाएं कई कोस का सफर कर पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम हर गांव में पाइप लाइनों द्वारा पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी उपलब्ध करवाएं।

शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता, शिक्षा विकास की बड़ी नींव है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मेरी सरकार ने ''पढ़े भारत-बढ़े भारत'' योजना की

---

* Speech was laid on the table.

शुरूआत की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके तहत सरकार महिला विशेष शिक्षा संस्था पर ज़ोर दे ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित किया जा सके जो किन्ही कारणों से 'को-एड' शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। इस प्रकार महिला विशेष अस्पताल भी समय की मांग है, खासकर ग्रामीण इलाको में जहां महिलाएं अस्पतालों में जाने से हिचकिचाती है।

मेरी सरकार सभी देशवासियों के लिए वचनबद्ध है और यह नौज़वानों, किसानों, मज़दूरों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार है और इस सब के लिए प्रतिबद्ध है।

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):** महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण का मैं समर्थन करती हूं। अपनी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने सरकार के नौ माह के कार्यकाल में ही पूरी दुनिया को बता दिया दिया है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। हमारी सभ्यता का मूलभूत मंत्र 'सर्वजन हिताय-वसुधैव कुटुम्बकम्' जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ-सबका विकास' के साथ भारत में एक सौ पच्चीस लोगों की जनशक्ति का सदुपयोग करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है, जैसे स्वच्छता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्मार्ट शहर हमारी आवश्यकता हैं, गरीबी उन्मूलन हमारा संकल्प है। कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष विजय प्राप्त करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधायें प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केन्द्र बनाना। मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उननत करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत पैंतीस स्कीमों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संरचना में शामिल किया जाना। आधार आधारित नामांकन पर विशेष बल, स्वच्छ भारत मिशन, हुनरमंद भारत के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन ''हाउसिंग फॉर ऑल'' के अंतर्गत 2022 तक सभी को मकान तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन जैसी योजनायें भारत के सवा सौ करोड़ लोगों को प्रगति की नई ऊँचाइयों पर पहुंचने में सहयोगी होगी।

मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान की शुरूआत की, जो लोगों की सोच में बदलाव के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर खुशी मनायें, क्योंकि बेटी, बेटे से कम नहीं है परन्तु उसे शिक्षा देना आवश्यक है। जब बेटी पढ़ती है तो-

'' बेटी ही शिक्षा की मूर्ति है, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी,

वही कल्पना चावला है, वही भारत की नयी उम्मीद है।''

---

* Speech was laid on the Table.

इसके लिए प्रधानमंत्री की सोच को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं। इसलिए ''सुकुन्या समृद्धि खाता'' नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है। प्रधानमंत्री ने जन-धन योजना शुरू की है, जिसमें बैंक खाते के साथ आये डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 13.2 करोड़ नये बैंक खाते, 115 करोड़ रूपये डेबिट कार्ड जारी करने और 11,000 करोड़ रूपए जन राशि के रिकॉर्ड के साथ इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत कवरेज हो गई है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जन-धन योजना सिर्फ योजना नहीं है, यह लोगों की उम्मीद है, उनका हौसला है। अब जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें बहुत बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बिटिया अब तो हम भी अपने आपको सुरक्षित मानते हैं। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमें मजबूत कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हर किसी का सपना साकार होगा। इसीलिए सरकार बधाई की हकदार है।

हमारी सरकार के लिए स्वच्छता आस्था का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जाति के आधार से ऊपर उठकर एक नयी दिशा नयी पहल की है, जो आज तक किसी ने नहीं की। खुद अपने हाथों में झाड़ू पकड़ी और सफाई की शुरूआत की। प्रधानमंत्री जी ने जाति की वह धारणा तोड़ी जिसमें सफाई करना एक ही समाज का काम नहीं है और ऊपर उठकर नयी दिशा दी। यह प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है और यह भी कहना चाहूंगी कि जिस घरों मे झाड़ू नहीं लगती, सफाई नहीं होती, वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता अर्थात् विराजमान नहीं होती। इसलिए यहां सफाई होगी, वहाँ सब रहना पसन्द करते हैं। इसीलिए हमेशा सफाई पर ध्यान दें, तभी होगा स्वच्छ भारत मिशन।

''स्वच्छ विद्यालय'' अर्थात् हर विद्यालय में शौचालय होना चाहिए और यह लक्ष्य भी बहुत जल्द पूरा होगा। ऐसी सोच हम सबकी होनी चाहिए।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि गुड गवर्नेंस, जिसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था देने की जरूरत है, जिसके द्वारा जनता के विचार व सुझाव सरकार तक सरल तरीके से पहुंचाये जा सके। जैसे कल रेल बजट आया, माननीय रेल मंत्री जी ने बहुत सी योजनाओं की घोषणा की, परंतु यात्रियों की सुविधा, शिकायत व सुझाव के लिए आसान तरीका नहीं सुझाया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा रेल के डिब्बों तथा यात्रा टिकट पर विज्ञापन की बात की गई, अच्छा

है। परन्तु इसके साथ-साथ यात्रा टिकट व रेल डिब्बों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सम्पर्क हेतु यदि मोबाइल नम्बर या टेलीफोन नम्बर अंकित करने का प्रावधान रहता, जिससे कोई भी यात्री सुविधा, शिकायत व सुझाव हेतु आसानी से सम्पर्क कर पाता तो और अच्छा रहता। सरकार और जनता दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जब जनता को विश्वास होगा कि सरकार उसकी सुख-समृद्धि के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है तभी जनता सरकार व देश दोनों के लिए हर प्रकार का त्याग व बलिदान देने के लिए तैयार रहेगी, जैसे 2014 के लोक सभा आम चुनाव में हुआ।

हम सभी देशवासियों को देश प्रेम की शक्ति से हम सबको एकजुट होकर एक सशक्त आधुनिक भारत के निर्माण हेतु कार्य करना है।

***SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) :** Most respected President Pranab Mukherjee's Address to the Parliament in Joint Session was really drastically different from the past. The way he was addressing the august house remarkably created a history and also he was quoting from the time of Nehru-Gandhi's dominated past and also began with quoting from Shyama Prasad Mukherjee, founder of Jan Sangh to any spiritual leader and the civilisational heritage, and the great values of our great history emphasising on the universal good. He also quoted about former PM Atal Bihari Vajpayee and the greater Pandit Nehru. A very rare speech of the Government committed to provide affordable health care, quoting from Ayush to full fledged global laughing of Yoga, the traditional system of health including yoga. I can draw the attention of House that there was no electronic media at that time for propagation. From year 1980 onwards, I was the first man who initiated how yoga is scientific and my guru Maharshi Mahesh Yogi was a renowned scientist who introduced Vedo-Ayurvedic, s science in European countries. In academics to the laws of the nature, once you tune his body and mind where I am the founder father of the college of natural law named after him in Odisha for first time in the country. And I had been trying since long that how yoga would be introduced as a curriculum in schools and colleges. This is not yet done.

I like to draw the attention of the House that for my constituency the metro work should have been started immediately to avoid traffic congestion. The work is too delayed. Again, I have been raising in the Parliament through submissions, 377 to start the flyover work at Kandgir under Bhubaneswar constituency. Work on another flyover on railway under Kurda road i.e. Nirakarpur Railway flyover and the Kurda-Bolangir railway work is too much delayed for completion. So, the step-motherly attitude of Central Government should not have been repeated as it has happened.

---

* Speech was laid on the Table.

For metro work it should start from Cuttack Bubhaneswar, via Kurda, Jatini to Puri to Konark. To promote international tourism, it should be the best metro. The survey work should start immediately to complete the same.

And in the health sector, I have taken proper initiative to request the Central Government and the land is provided by the State Government. It should have been a highly equipped technical hospital of the country and many patients enrolled out of the state throughout India. The Central Government should sanction more grants to facilitate Odiya people. Therefore, we are demanding always a special category state. Our hon. Cheif Minister, Shri Navin Patnaik organised one public meeting for the first time in Delhi to declare immediately Odisha as a special category state. That is not done yet.

I am opposing Presidential Address to avoid use of Ordinances, defiant stance on land acquisition amid mounting opposition. Land for poor people not for the rich. Now rich people are paying more money occupying the lands of poor farmers and India is now lacking cultivation. If the land is occupied by this, the food will not be sufficient for future generation.

Addressing a Joint sitting of both the Houses to mark the beginning of the Budget Session, President Pranab Mukherjee called upon MPs to 'discharge their solemn responsibility in a spirit of cooperation and mutual accommodation.

With the Opposition determined to challenge the land acquisition ordinance, he affirmed that the government attaches paramount importance to safeguard the interest of farmers and families affected by land acquisition.

The Presidential Address was an elaborate report card of the government and hardly projected a significant fresh idea. India, according to Mukherjee, has emerged as the fastest growing economy with an estimated 7.4 percent growth rate in 2014-15. He said inflation was at a record low due to a number of decisive measures taken by the government. While stating that terrorism and left-wing extremism posed a grave challenge to the internal security of the nation, the

President asserted that the government was committed to dealing with them in collaboration with affected people and state governments in a holistic manner.

On foreign policy, he said while the government has "reinvigorated" the relations with neighbours, we speak clearly about our interests and are fully prepared to defend our borders and secure our people.

The conclusive paragraph of the address, dwelling on the government endeavour for smooth conduct of legislative business and enactment of progressive laws in Parliament, was reflective of the compulsion of the Modi government to seek Opposition cooperation.

[*]**SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN)** : The Hon'ble President stressed that we could not call ourselves developing unless every person in the country feels a sense of fulfillment. I could not agree more with the President. I believe the Prime Minister's Jan Dhan Yojana envisaged by our hon. Prime Minister is a guiding light in this regard. The Government of Rajasthan too had started the 'Bhamashah Scheme' to bring about Direct Benefit Transfers to the beneficiaries. Financial inclusion forms the base of complete economic development. It is only by making sure that each individual is a beneficiary of the schemes of the Government that we can truly say that we have lived up to "Sabka Saath Sabka Vikas". In this scheme, the Government has made tremendous progress by surpassing targets by miles and achieving almost universal coverage of bank accounts across the country, however, I know we will not rest until each and every citizen is covered. The Prime Minister's Jan Dhan Yojana is a scheme that not only has immediate benefits but large positive economic externalities in the foreseeable future. The scheme lays the foundation for Direct Benefit Transfers that will help bring down the cost and the leakages from Government programmes. It also helps us gather more information on the financial state of each individual in the country which would help us make more prudent policies in the future.

"Roti, Kapda, makkan" are the fundamental needs of survival of any person in the world. Roti has already been giving through the Right to Food Act and a number of Public Distribution Systems across the country. To make sure that each person has a "makkan" in our country, our Prime Minister has come out with a visionary "Housing for All" mission by 2022. In this regard, he has set out fiscal and non-fiscal incentives that would help achieve this goal. To aid investment into this sector that is currently plaugued with high interest rates, FDI has opened to make easier access to capital. I thank the President for recognising the importance of Housing in our country.

---

[*] Speech was laid on the Table.

Over the last year, our Government has given great impetus to Skill Development. Skill Development is crucial for our economic progress. It helps in creating a highly skilled labour force that can find employment not on the basis of "digging a hole and refilling it but on the basis of their own merit. It helps a person stand on his own two feet so that he must not depend on the Government. It helps in easing generation of employment and weeds out the disguised unemployment plaguing the economy. A roadmap and dedicated policy was much needed and I thank the Prime Minister for taking this visionary step that will bear fruit both immediately and for the future. With a growing youth population, this is exactly what is required for the future generations as well. I thank the President for recognizing the contribution of this particular step to the progress of our country.

The Apprentice Act passed by the Government was passed by the Rajasthan to bring about cooperation between the private sector and the Government. It too will help train the youth and bring about a sense of responsibility in the corporate sector.

One cannot talk about the Government without talking about the laudable initiatives to modernise the working of the Government and the initiative to bring in the suggestions of the citizenry in policy making. In his rail budget speech, the Hon'ble Railway Minister spoke about how the Government engaged with the citizens to get feedback on the improvements they sought from the Government. Democracy is "by the people, of the people, for the people" and so far, the people were not actively involved in the decision making process. By bringing the voice of the people in decision making, our Government has strengthened the roots of democracy in our country and has made it truly participative. I would like to thank the Hon'ble Minister for taking this initiative. In addition to this, our hon. Prime Minister has launched the My Gov Online platform which to is a path-breaking innovation. These steps will truly contribute to a vibrant democracy.

The Prime Minister has launched the Digital India Programme envisaging a truly connected India in the future. The initiative will not only connect India via the internet but will help in reducing the cost of dissemination of information across our widespread country. In addition to this, it will help us gather information quicker and will lead to quicker decision-making. As we know, our country saw decisions moving at a slow rate for the last 10 years. By this programme, the Prime Minister has made sure that this Government and no future Government can ever make excuses for delaying decisions in the face of all information. The Digital India initiative is also likely to create a second wave of digital entrepreneurs from across the country and help put the rural areas on the map by easing the burden of marketing their indigenous products to a larger market.

In addition to these, the Government has also helped push up for growth rates and give a new lease of life to our failing industries. My home state of Rajasthan has been a pioneer in this regard. We have brought about a slew of changes in labour laws to ease the lacuna of laws otherwise required to do business in our state. We have helped industry by removing obstacles from their path and revitalising industry in the state. Prior to the election of our Government, industry was hesitant to make further investment in our country and foreign investors were finding other opportunities. Post our election, investors are lining up and there is an influx of capital that will help regenerate our economy while simultaneously furthering employment opportunities and getting work for youth who were otherwise unable to find work due to lack of employment generation. I am happy to see that the Union Government too has decided to take this path that will no doubt lead to a more prosperous India.

The Government also plans to make doing business simpler by removing a number of taxes and replacing it with a single goods and services tax. In this regard, I am happy that the Government has taken the initiative to not only include

the States but also to build an atmosphere of cooperative Federalism by giving the States a larger portion of voting right on the Council created for the same purpose.

While promoting industry, our Government has made sure they have taken enough measures to protect the environment which otherwise gets denigrated in the process. The Government has given a push to solar energy in our country and has aimed to promote 24x7 electrification of the country by 2020. It has planned to create 100GW of power through renewable energy and this is a brilliant step in creating a sustainable future for future generations. Our cities are right now choking under the weight of pollution and these are the steps in the right direction to create not only a clean environment but also a healthy populace.

The Government has taken a number of steps to ease the visa approval process and encourage tourism in India as well. Tourist Visa on Arrival has been expanded to 44 countries to make our country a tourist-friendly country. We have also enabled Electronic Travel Authorisation to make it easier for foreigners to procure visas for our country. We have also undertaken a number of initiatives to upgrade facilities at major tourist centres and for the maintenance of our rich cultural heritage.

To help our farmers and increase productivity of our farm sector, the Government has made tie-ups with a number of countries for technology such as with Israel to cultivate olives indigenously. The Government has recently launched initiatives to keep a check on soil quality which is a perfect step to create sustainability. Many a time, human urge pushes us to exploit our environment without realisation. This will help keep a check on that as Kisans will be better informed and will be able to maximize productivity through this. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana too has been launched to address irrigations requirement for every village in the country.

With a population of over a billion people, it is surprising that our country isn't the foremost country in every sport in the world. Our country produces many athletes of exemplary quality. However, many talents go unnoticed in our large

population. This is a matter of deep disconcert. However, the Government has formulated the National Sports Talent Search Scheme to overcome this difficulty. This will help inculcate talent that will push our sports to a new frontier. As we know, numerous sportspersons in our country are the result of discipline and training by our Defence Forces. Our hon. Minister of I&B is one outstanding example of the same. This will help push the scheme to other parts of our society as well. As I stressed previously in this speech, sustainability is one of the major concerns we have grappled within the past. Given our large population, sustainability is and should be a major concern for us. In this regard our Prime Minister has taken the visionary step of putting impetus on the creation of sustainable smart cities that would be eco-friendly. I do believe that these steps will go a long way in preserving and growing at the same time.

To conclude, I would like to thank the Government for the brilliant initiative for progress taken in the past year. We have moved from a regime of creating entitlements to creating and opening a plethora of opportunities for our citizens and this is a step in the right direction.

***श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर):** मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इस सरकार की नीतियों एवं कार्यकलाप को 23 फरवरी, 2015 को सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के माध्यम से देश के सभी लोगों को अवगत कराने की कृपा की।

हमारी सरकार देश की सभी समस्याओं पर गहरा चिन्तन कर उन्होंने समाधान करते हुए विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। हमारी सरकार सर्वजन हिताय के मूल चिन्तन के आधार पर अपनी सभ्यता एवं सफल लोकतंत्र के मूलमंत्र 'सबका साथ-सबका विकास' की नीति पर कार्य कर रही है और इसकी सफलता तब ही संभव होगी जब हमारे देश के विशाल अनमोल जनशक्ति का समुचित सदुपयोग होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हर शिक्षित, अशिक्षित नवयुवक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए 'राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति' बनाई जा रही है।

हमारी सरकार समाज के गरीब, कमजोर एवं लाभान्वित लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' शुरू की है।

हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक ''खुले में शौच से मुक्त'' बनाने के साथ ही 'स्वच्छ विद्यालय' कार्यक्रम शुरू किया है तथा इस 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ''घर-घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान''। मैंने स्वयं स्वच्छता तथा जन-जागरण एवं शौचालय निर्माण की दिशा में बिहार सरकार में अपने मंत्रित्व काल (2007-2010) के तीन वर्षों में स्वच्छता हेतु महीनों तक चलने वाले ''बिहार ग्राम गौरव यात्रा'' के दौरान प्रतिदिन 2 घंटे श्रमदान कर 11 हज़ार शौचालय अपने हाथों से निर्माण कर एक इतिहास रचने का काम किया था, जिसमें लोक सहभागिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा देश भर में स्वच्छता अभियान चलाये जाने पर गर्व है। ज्ञातव्य हो कि स्वच्छता का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ेगा तथा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग भी किया जा सकेगा।

---

* Speech was laid on the table.

हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 'हुनरमंद भारत' को ध्यान में रखते हुए ''दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना'', ''दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना'' और ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' हमारे गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास पर केन्द्रित है। असके अलावा मिशन 'हाउसिंग फॉर ऑल' के अन्तर्गत 2022 तक सभी परिवारों खासकर अत्यधिक गरीब परिवारों को आवास की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अडिग है।

इस तरह हमारी सरकार ने कई ऐसी लोकोपयोगी योजनाएँ चलाई हैं, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल बनाने पर विशेष ज़ोर दिया है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु 'पढ़े भारत-बढ़े भारत' योजना शुरू की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 'पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत की गई है। इसके अलावा छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' की भी शुरूआत की गई है। 1961 से लगातार शिशु लिंगानुपात में निरन्तर गिरावट के रोकथाम हेतु हमारी सरकार ने ' बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं' अभियान की शुरूआत की है, ताकि लोगों की सोच में बदलाव हो तथा बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु 'सुकुन्या समृद्धि खाता' नामक एक लघु बचत योजना बनाई है। 'श्रमेवजयते' को महत्वपूर्ण मानते हुए अर्थव्यवस्था की रीढ़ श्रमिकों के कल्याण हेतु भी अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है एवं ई.पी.एफ. अंशदान को सरल बनाया गया है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अधिकतम मजदूरी तथा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर क्रमशः रूपये 15,000/- तथा 1000/- कर दिया गया है।

इस तरह हमारी सरकार ने ऐसी कई योजनाएँ बनाई हैं जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और हमारे देश का समुचित विकास होगा। हम सभी भारतवासियों को सरकार के विकासशील योजना एवं कार्यकलाप पर गौरवान्वित होना चाहिए, जिससे कभी न कभी अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी स्वीकारना होगा।

हमारी सरकार नें तीर्थटन क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग सर्किट, सुखमंगक सर्किट एवं दक्षिण धाम सर्किट के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ी प्रारम्भ की है जो एक मिसाल है। ''स्वदेश दर्शन'' नामक एक नई योजना प्रारम्भ कर ''अनेकता में एकता, भारत की विशेषता'' को बल प्रदान किया है।

जल ही जीवन है। गंगा हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति की जननी रही है। गंगा नदी हमारी श्रद्धा के साथ-साथ मानव जीवन की 'जीवन रेखा' के रूप में सुविख्यादित है। हमारी सरकार ने ''नमामि गंगे'' का शंखनाद कर गंगा की अविरलता एवं निर्मलता को अक्षुण्ण बनाये रखने का जो संकल्प लिया है, वह गंगा संरक्षण की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। ''वंदे मातरम'' के साथ-साथ ''गंगे मातरम'' हमारे लिए वन्दनीय है। देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए यदि ''वन्दे मातरम का गान गाते हुए फाँसी की सूली पर चढ़कर अनेकों लोग शहीद हो गये तो आज भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हमें ''वन्दे मातरम'' के साथ-साथ ''गंगे मातरम'' का भी संकल्प लेना होगा।

हमारी सरकारी ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से सम्पूर्ण विश्व में सुख-शांति एवं स्वस्थ रहने की कामना के साथ मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ कृत संकल्पित है। हमारे मूल मंत्र ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चित दुःख भागभवेत'' को प्रतिपादित करता है।

***SHRI B. VINOD KUMAR(KARIMNAGAR) :** The Hon'ble President in his speech has spoken of the Government working by the motto of 'Sabka Saath, Sabka Vikaas' and its commitment to the poor. In the constructive criticism I would like to add certain points to the issues raised.

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has supposedly had a coverage of close to 100%. I would like details on 100% of what exactly. Is it the entire population that lacks financial access? Also, for the progress done so far, I would like the Government to ensure that not only are accounts opened, but steps are taken to ensure that the accounts are used. Financial literacy and ease of access are essential prerequisites for ensuring the sustainability of such an initiative.

The Direct Benefit Transfer Programme's expansion is welcome. However, clarity is required on the Aadhaar programme - it's legal status is still unclear and has become even more uncertain after the closure of the Planning Commission. For such a large programme, a firm legal and administrative grounding is a must. I therefore ask the Government how it plans to clarify the status of Aadhaar, which is the foundation of the DBTP.

On a related note, there is the question of the National Population Registry (NPR). This is a parallel programme which duplicates the efforts of Aadhaar. What is going to be its future? At present one of the two is redundant as running two programmes with the exact same objective is nothing but duplication of efforts which is a colossal waste of taxpayer money at the very least. This also requires clarification.

The Swachh Bharat Mission has noble goals which none of us will disagree with. Who does not want to see a clean and open defecation free India? However, I must urge the Government to note that construction of toilets is only half the job done. Repeated studies have shown that generating demand is the essential factor that guarantees the success and sustainability of any sanitation programme. This requires that a huge awareness generation programme be the

---

* Speech was laid on the Table.

central focus of the Mission, while the current focus is on construction of toilets. Surely, no one wants toilets to be built and then subsequently unused.

Another crucial area which the Mission has ignored is the role of local governments. PRIs and ULBs have the ultimate responsibility for tackling cleanliness and sanitation. Any plan to ensure a clean India that remains clean must ensure a way to strengthen local governments through greater devolution of funds and decentralization. This is another crucial aspect which the Mission does not take into account.

The Government's claim that it attaches the highest priority to growth of rural areas and that it works for the poor has not been matched action so far. If anything, the Land Acquisition Ordinance marks the single biggest betrayal of this promise. The Ordinance is nothing but a pretext for large-scale land grab by private companies and land mafias. It seeks to remove any protection that landowners have and it is even more regressive than the 1894 Act as it is not even confined by the concept of 'public purpose'. For the sake of the future of the vast majority of this country, I urge the Government to withdraw this ruinous and destructive ordinance that serves only to satiate private greed.

The initiatives taken for the farmers can be further strengthened by ensuring that three key areas for farmers are further strengthened -easy access to credit, stronger farm and non-farm insurance and a renewed thrust on market infrastructure, particularly storage and transportation.

For strengthening the weaker sections of our society, I also urge the Government to ensure that steps be taken to ensure greater skill development and entrepreneurship amongst the Muslim community whose poverty is on par with the SC community. The scheme of entrepreneurship for SCs can be expanded to include Muslims and STs as well.

The Safety of women is a topmost priority for our nation and it is good to see the initiatives that have been taken. However, they are too few and more is needed. The most important change is that we need a system of education which

proactively targets gender inequalities and gender biases which result in gender violence later can be nipped in the bud. We also need awareness generation programmes that target patriarchal mindsets in general and men in particular and try to promote positive mindsets amongst them. Men should be seen as partners in the battle of gender inequality.

The replacement of the Planning Commission with NITI Aayog throws many unanswered questions. What is going to be the future of planning in India? Who will have the power to delegate funds which the Commission did? These are serious questions and require clarification.

On the subject of black money, it must be said that the main generator of black money in India-the real estate sector-has been completely untouched. The Government should start with the possible and take strong steps to check the generation of black money in this sector rather than giving excuses for not being able to get money back from abroad.

The unified regulatory framework for the financial sector is also something that needs to be discussed. Can a single body handle the vast financial responsibilities before it?

The textile, being the second largest employer after agriculture needs a great deal of help. Easy access to credit, tech upgradation, market linkages, skill development and insurance are major thrust areas that do not appear in the address.

I urge the Government to take note of these points raised.

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में दिये गये अभिभाषण दिनांक 23 फरवरी, 2015 और उसके क्रम में लोक सभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 6 में स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख किया गया है और उसमें संसद सदस्यों से ये अपेक्षा की गयी है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना का कम से कम 50 प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करें। वर्तमान में सांसद निधि को खर्च करने की मार्गदर्शिका जारी की गयी है ,उसमें चल सम्पत्ति खरीदने पर पाबंदी है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं तथा बीकानेर शहर में जयनारायण व्यास कॉलोनी में आठ सेक्टरों में आठ स्वच्छता प्रहरी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिप्रेरणा से तैयार हुए हैं और अपने खर्च से आठ वाहन खरीदे हैं जो प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य घरों से कचरा कलैक्शन का कार्य करते हैं और जनता का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है लेकिन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत इन वाहनों हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं।

अतः मेरी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सरकार के माध्यम से ये मांग हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन करें जिससे राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 6 में सरकार द्वारा प्रकट की गयी भावना की अनुपालना संभव हो सके।

---

* Speech was laid on the table.

[*]श्रीमती रंजनबेन भट्ट (बड़ोदरा): संसद के समक्ष माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को मैं अभिनंदन देती हूँ। भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी नें 'सबका साथ-सबका विकास' का मंत्र लेकर देश के 125 करोड़ की जनता के विकास के लिए देश की सेवा में अपनी कार्यनीति तैयार कर ली है। जैसे स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाना, कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना एक अच्छी शुरूआत हो चुकी है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना'' शुरू की है जिसमें बैंक खाते के साथ डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को अभिनन्दन देते हुए आनंद इस बात का है कि 13.2 करोड़ नए बैंक खातों, 11.5 करोड़ रूपये डेबिट कार्ड जारी करने और 11,000 करोड़ रूपए जमा राशि के साथ 100 प्रतिशत कवरेज हो गया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के हर एक कार्य में बल दिया है। गाँव और शहर जिसमें हर एक घर में शौचालय होना भी जरूरी है और साथ-साथ हर एक स्कूल में बेटियों के लिए और बेटों के लिए भी अलग से शौचालय होना चाहिए, इस दृष्टि से काम शुरू किया। साथ ही साथ, स्वच्छ विद्यालय का कार्यक्रम शुरू किया है।

भारत गांवों में बसता है। माननीय प्रधानमंत्री ने ''हुनरमंद भारत'' को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की घोषणा की गई है। गांवों का विकास हो सके, इस दृष्टि से ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' से सांसदों की सक्रिय भागीदारी गांवों के विकास से जुड़ी रहे साथ में गरीबों को आवास मिल सके इसी योजना में कार्यरत है। प्रत्येक गांव के खेड़ों के लिए खेत में सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए अनेक पहल की है। साथ ही, मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत जहाज को डिजाईन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के कार्यों को भी सुदृढ़ करने की योजना, हमारे गुजरात में केनाल द्वारा नर्मदा के पानी को

[*] Speech was laid on the table.

सारे गांवों को जोड़ने के कामगीरी भी की गई है। सरदार पटेल स्टेच्यु और यूनिटी को बनाने के आयोजन से पूरे देश में और विश्व में गुजरात की प्रगति और प्रशासन की गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री जी नदियों को जोड़ने की परियोजना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को विकास की ओर लेकर पूरे देश में और विश्व में विकासशील गुजरात की कामना की थी। अब वह भारत देश के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारते हुए और देश की शक्ति को एक भारत-श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनदंन देती हूं और माननीय राष्ट्रपति जी का भी अभिनंदन करती हूँ।

***श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर):** अनुराग ठाकुर जी जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।

आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की हमारी सरकार ''सबका साथ-सबका विकास'' का नारा लेकर, 125 करोड़ देशवासी एकजुट होकर एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है और तभी ''एक भारत-श्रेष्ठ भारत'' बन पायेगा। प्रजातंत्र में सबको साथ में लेकर चलने की बात बहुत बड़ी बात होती है।

विपक्ष में बैठी कांग्रेस को देश में शासन चलाने का सबसे ज्यादा मौका मिला है। देश में 50 (पचास) साल शासन चलाने वाली कांग्रेस आज नई सरकार से जवाब मांग रही है। पहले तो कांग्रेस को 50 साल का हिसाब देना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जन-धन योजना का शुभारंभ किया। जन-धन योजना से लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा एक लाख रूपये प्रति व्यक्ति था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में करीब डेढ़ करोड़ नागरिकों का खाता खुलना, यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने की बात कही थी और गरीबी से मुक्ति पाने को हर व्यक्ति को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना होगा। गांधी जी ने जो बात कही थी, उस बात को ध्यान में रखकर मोदी जी ने अच्छा अभूतपूर्व काम किया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' की बात कही है। देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में किसी उद्योग या व्यवसाय की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, भरोसा और विश्वास। औद्योगिक विकास पर ध्यान देने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। देश के नौज़वानों और गरीब को रोजगार मिलने से गरीब-से-गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आयेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना को सांसद के मार्गदर्शन से गांव का विकास करके मॉडल गांव बनाने का प्रयत्न है।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में योग दिवस घोषित करने का आह्वान किया तब संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 177 देशों ने समर्थन देकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, यह हमारे लिए गर्व की बात

* Speech was laid on theTable.

है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बनाई जा रही है। आगमन पर पर्यटक वीजा को 44 देशों के लिए लागू किया है। हमारी राष्ट्रीय विरासत के पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटक रेलगाड़ियां प्रारंभ की गई हैं। महात्मा गांधी जी स्वच्छता के आग्रही थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। पूरे देश में सफाई और स्वच्छता के लिए जुड़ गये। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद गरीब परिवारों को आवास नहीं मिला। कांग्रेस गरीबों को आवास, रोज़गार नहीं दे पाई, जो काम गरीबों को देना चाहिए। यह काम मोदी सरकार 2022 तक सभी परिवारों, विशेष रूप से अधिक गरीब परिवारों के लिए आवास योजना पूरी करेगी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान गुजरात राज्य में पहले से शुरू कर दिया था। आज यही योजना देश में शामिल होने से देश की जनता की सोच में बदलाव से बेटियों के जन्म और जीवन सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु बाल अपराध से जुड़े कानून स्वागतयोग्य है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष चिंता की गयी है। वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए जो योजना गुजरात सरकार में 10 साल से सफल रूप से चल रही है, उसे देश के आदिवासी परिवारों के विकास और विस्तार में तेजी आएगी।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद):** महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष दिए गए अभिभाषण में 16वीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जनकल्याण की मंशा, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दृढ़ संकल्प, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास, भारतीय संस्कृति तथा विरासत को संजोए रखने की भावना स्पष्ट लक्षित होती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीति सबका साथ-सबका विकास है जिस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। 125 करोड़ की जनशक्ति का सदुपयोग करते हुए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाने, गरीबी उन्मूलन से लेकर समृद्धि की ओर बढ़ने में युवा शक्ति के कौशल का विकास करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हमारा देश कई राज्यों का संगठित रूप है। हमारे संविधान ने केन्द्र के साथ-साथ राज्यों के अधिकार क्षेत्र को भी सुरक्षित रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकारें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगी तथा हम शीघ्र ही विश्व के विकसित देशों में उचित स्थान प्राप्त कर लेंगे।

हमारे देश में छोटी-बड़ी अनेक समस्याएं हैं। पूर्व में एक धारणा बन चुकी थी कि इन समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है तथा भ्रष्टाचार को कोई समाप्त नहीं कर सकता, परन्तु आज एक आशा की किरण पैदा हुई है। पूरा देश मान्यवर मोदी जी के नेतृत्व वाली बी.जे.पी. सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण को हर भारतीय सफल करने के प्रयास में लग गया है।

देश में मानव लिंगानुपात के अंतर की चिंता के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को जागृत करने का प्रयास कर हर नागरिक को आवश्यक नैतिक जिम्मेदारी का अहसास करवाया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की बुनियादी आवश्यकताओं, विशेषकर विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था, आवश्यक जलापूर्ति, प्रस्तावित सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण शुरू करने से लेकर शिक्षण कार्य शुरू किए जाने से पूर्व सभी मानवीय आवश्यकताएं पूरी करने में आज सभी राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्र निर्माण में लगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत निर्माण तथा हर बेटी की रक्षा तथा शिक्षण कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

---

* Speech was laid on theTable.

वर्तमान सरकार द्वारा जन-धन योजना शुरू किए जाने से आज हर नागरिक सरकारी/गैर सरकारी बैंकों के साथ अपने को जोड़ चुका है तथा बैंकिंग कार्य प्रणाली को समझने लगा है।

वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलने का नारा ' सबका साथ-सबका विकास'' को सार्थक करने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं।

भारतवर्ष आज भी कृषि प्रधान देश है। भारत गाँवों में बसता है। ग्रामीणों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को तत्परता से लागू करने का विचार किया है। नवगठित नीति आयोग का गठन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि भारत के सभी विकास कार्यों में केन्द्र और राज्य मिलकर कार्य करें तो जन आकांक्षाओं को सदैव ध्यान में रखा जाए। गाँवों में रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएं तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के संचालन को सफल बनाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र को 'मेक इन इंडिया' का आह्वान देश को निश्चित रूप से सबल बनाएगा। हर हाथ को रोज़गार मिले, भारत हर क्षेत्र में तरक्की करे, उसके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का समस्त मंत्रिमण्डल बधाई का पात्र है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के समक्ष वर्तमान सरकार की कार्य योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया है जिसके लिए मैं दाहोद संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस गौरवमय सदन में महामहिम के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*__श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी):__ मैं श्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रस्तुत और निशिकांत दुबे द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुमोदन का समर्थन करता हूँ। कांग्रेस के साथियों को पीड़ा है कि वर्तमान सरकार ने नौ महीने में ही सब कुछ कर दिया तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के योगदान को नकारा जा रहा है। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हँ कि देश में जो कुछ विकास हुआ उसका श्रेय आप अवश्य लें। लेकिन आपकी नीति के कारण आज देश जिस स्थिति में पहुंच गया है, यदि आपमें थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और देश से माफी मांगे। आपके नेताओं का कहना है कि देश में लोकतंत्र की बुनियाद ठीक है, जिसके कारण आपकी सरकार बनी। अगर आप लोगों का वश चलता तो इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचता। आपने देश में इमरजेंसी थोपी तथा लोकतंत्र की हत्या की और आप भूल गये। जहां तक बहुमत की बात करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम बहुमत का दुरूपयोग कर रहे हैं। यह सदन गवाह है कि बहुमत का दुरूपयोग किसने किया? शाहबानो केस में देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका का निर्णय बहुमत के बल पर किसने बदला था? क्या आप यह भी भूल गये?

आप हमारे ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम का मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी नीतियों के कारण आज पूरा देश चाइना के मालों से पटा पड़ा है ओर आज पूरा देश बाज़ार बनकर रह गया है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे। यह जिम्मेदारी किसकी है?

हमारे देश में आज भी बहुसंख्यक लोग खुले में शौच करते हैं जो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। आज स्वच्छ भारत मिशन आपके नेता माननीय खड़गे जी को दिखावे की चीज़ लग रही है।

हमारे सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में छात्रायें इसी कारण से विद्यालय जाना बंद कर देती हैं। क्या विद्यालय में शौचालय बनाने की योजना भी दिखावे की बातें हैं और अगर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी यह प्रबंध अभी तक नहीं हो पाये, तो कौन जिम्मेदार हैं?

देश के अधिकांश क्षेत्रों में खेती वर्षा पर निर्भर करती है। आधी सदी तक शासन करने वाली सरकार क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा

* Speech was laid on the Table.

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात की जाती है तो आपको लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।

क्या कारण है कि देश आज़ाद होने के बाद भी पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को नहीं पाया गया है। क्या कांग्रेस के लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देश में खेल के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हम छोटे-छोटे देशों से भी पीछे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल योजना बनाई है। इस पर भी आपका कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। देश में बेटियों की संख्या घटती जा रही है। भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप के लिए कौन जिम्मेदार है? देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है। लाखों मुकदमें लम्बित हैं। कौन जिम्मेदार है? हमने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की है। जिससे समस्या का समाधान हो। इसमें भी आपको कुछ नहीं दिखता।

हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने गंगा सफाई योजना बनाकर अरबों रूपये खर्च कर दिये,परन्तु साफ होने के बजाए और मैली होती गई। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी ''नमामि गंगे योजना'' के माध्यम से गंगा साफ करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें भी आप कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।

आज भी देश की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। पूर्ववर्ती सरकार इस रेखा को भी बदलती रही। गरीबी हटाओ केवल नारा रहा। गरीब बढ़ते गए। गरीब और अमीर की खाई भी बढ़ती गई। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

आपके नेतागण दलितों के हितों की बात करते हैं और उनकी पीड़ा है कि नरेन्द्रभाई मोदी चाय बेचेंगे तो लोग लेंगे, लोग पियेंगे और यही चाय हम दलित लोग बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। आखिर आज़ादी के इतने दिनों के बावजूद देश से अस्पृश्यता खत्म नहीं हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है?

कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं कि मैं भी अनुसूचित समाज से आता हूँ। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद भी कानून बनने की राह जोह रहा है। कांग्रेस के साथियों को दलितों की इतनी चिंता है तो आरक्षण को कानून का अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया है?

कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय में सचिव स्तर का एक भी अधिकारी दलित समाज का नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है?

उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती के कारण देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने आरक्षण में प्रमोशन समाप्त कर दिया है। जिसके कारण दलितों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के साथियों को दलितों की इतनी चिंता है तो आज तक कानून बनाने का काम क्यों नहीं किया?

मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा में राष्ट्र को भारतीय संविधान समर्पित करते हुए परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आज से देश में सभी देशवासियों को राजनैतिक समानता का अधिकार मिल गया, लेकिन आर्थिक, शैक्षिक समानता आना शेष है। यदि इस संविधान को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू किया, तो देश में बहुत जल्द ही राजनैतिक समानता के साथ-साथ आर्थिक एवं शैक्षिक समानता भी आ जाएगी। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के 67 साल बाद भी देश में राजनीतिक समानता के साथ-साथ आर्थिक एवं शैक्षिक समानता आयी है क्या? यदि नहीं आई तो इसका जिम्मेदार कौन है?

अतः मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से देश में बाबा साहेब का सपना साकार होगा। इस राष्ट्रपति अभिभाषण में वह सब कुछ है जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला है। अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी का नारा ''सबका साथ-सबका विकास'' इस राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से पूरी तरह चरितार्थ होता दिख रहा है।

*__श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):__ महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी सरकार की नीतियों एवं भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा का दस्तावेज है । हमारी सरकार देश के 125 करोड़ देशवासियों के हित में उठाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं का समावेश राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिलक्षित है । केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए जो संकल्प लिया उसमें उन्होंने 'सबका साथ-सबका विकास' के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है । देश के लिए प्रसन्नता की बात है कि विगत 9 माह में प्रधानमंत्री जी ने विकास को गति दी है । उन्होंने केवल समावेशी विकास की बात नहीं की है बल्कि समावेशी विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता - वित्तीय समावेशन का भी निर्णय लेकर के देश के आम-जनमानस को मजबूत करने का काम किया है । प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय समायोजन के लिए देश के उन परिवारों को जिनका अभी तक किसी बैंक में कोई एक भी खाता नहीं या उनको शून्य बैलेंस पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने का अवसर प्रदान किया । निर्धनता उन्मूलन, बिना वित्तीय समावेशन के संभव नहीं है । मेरी सरकार ने सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की है । जिसमें बैंक खाते के साथ रूपे डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की भी सुविधा प्रदान की गई है । अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत देश के 13.2 करोड़ नए बैंक खाते खुल चुके हैं । 11.5 करोड़ रूपये डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत एक लाख रूपये आश्रित परिवार के खाते में देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है । इस योजना के अंतर्गत 11000 करोड़ रूपया जनता द्वारा जमा भी हो चुका है । यह लक्ष्य छह महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया ।

आज प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है । मेरी सरकार समाज के अंतिम क्षोर पर खड़ा व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम) को उत्साह के साथ गति देने का काम किया जा रहा है । एलपीजी अनुदान के अंतरण के लिए पहल कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है । पहल कार्यक्रम को 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है । जिसमें अब तक 75 प्रतिशत प्रयोक्ता परिवार शामिल हो चुके हैं । कुल मिलाकर 35 स्कीमों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संरचना में शामिल किया जा चुका है । भारत गांवों में बसता है । मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । मेरी सरकार देश के हर व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवास को एक मूलभूत आवश्यकता मानती है । मेरी सरकार हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मिशन 'हाउसिंग फार ऑल' के अंतर्गत 2022 तक सभी परिवारों, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब परिवारों की आवास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अडिग है ।

---

* Speech was laid on the Table.

मेरी सरकार के लिए स्वच्छता आस्था का विषय है । स्वच्छता का प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीबों के समग्र जीवन, जीवनस्तर और स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा । अक्तूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है । किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है । अन्नदाता सुखी भाव हमारी सभ्यता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है । मेरी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती है । सन 1961 से ही शिशु लिंगानुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है । इस ट्रेड को बदलना होगा । बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने 'बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ' को अभियान के रूप में स्वीकार किया है । बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुकन्या समृद्धि खाता नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है । पहली बार केन्द्र सरकार ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार को दिशा-निर्देशक सिद्धांत है । मंत्री समूह की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा त्वरित निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है । निर्णयों में पारदर्शिता को मूलमंत्र माना गया है ।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लिया कि भविष्य में भारत को विनिर्माण हब में बदलना है । इसीलिए मेरी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है । निर्माण और विकास क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों में छूट दी गई है । रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के अधीन 49% तक बढ़ाया गया है । रेलवे के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में आवश्यक पूंजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्वव्यापी बेहतर प्रक्रियाएं लाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है । मेरी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है । वर्ष 2014-15 के दौरान 17830 एमडब्ल्यू के लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2015 तक 76% क्षमता हासिल कर लिया है । मेरी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में चौबीस घंटे बिजली देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए 43000 करोड़ रूपये से अधिक परिव्यय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में स्वीकृत किया है । इसी तरह इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ करने के लिए 32600 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2014 प्रस्तुत किया गया है । केन्द्र की सरकार ने पहली बार पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े सुधार किए । डीजल की कीमतों को सरकार ने नियंत्रण मुक्त कर दिया है और अब कीमतें बाजार भाव पर आधारित है । पेट्रोल की कीमत में भी 17 रूपये प्रति लीटर से अधिक की कमी आई है । पेट्रोल में एथनॉल का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए और गन्ना किसानों की मदद के लिए एथनॉल नीति को संशोधित किया गया है । सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से न केवल पेट्रोल एवं डीजल के दामों में भारी कमी आई है बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने में हमारी सरकार को सफलता मिली

है। पिछले कुछ वर्षों में इस समय मुद्रास्फीति सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है । जिससे गरीबों को राहत मिली ।

हमारी सरकार पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के लिए नई पर्यटन नीति तैयार कर रही है । इसी दिशा में आगमन पर पर्यटक वीजा 44 देशों के लिए लागू कर दिया है । ज्योतिर्लिंग सर्किट, सुखमंगल सर्किट एवं दक्षिणधाम सर्किट के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ियां प्रारंभ की है । पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसमें सरकार ने पांच सर्किट को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया है । कृष्ण सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, बुद्ध सर्किट एवं उत्तर पूर्व सर्किट शामिल है । बुद्ध सर्किट के विकास से न केवल उत्तर प्रदेश एवं बिहार का विकास होगा बल्कि देश में अधिक विदेशों से गौतम बुद्ध को मानने वाले पर्यटक भारत में आएंगे जिससे पर्यटन में वृद्धि होगी तथा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों के विकास से राजस्व में वृद्धि होगी । बुद्ध सर्किट में गौतम बुद्ध जन्मस्थान, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिद्धार्थनगर के पिपरहवा में है । लेकिन अभी पिपरहवा के विकास के लिए समुचित योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है । इसलिए बुद्ध सर्किट पर गौतम बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थल पिपरहवा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर एवं सारनाथ को विकसित करना चाहिए । सभी स्थलों को जोड़ करके राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हवाई स्थलों से जोड़ने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम बना करके बुद्ध सर्किट को विकसित करने का काम किया जाना चाहिए ।

अंत में, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो चर्चा सदन में हो रही है, मैं उसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव ले करना चाहता हूँ :-

अभिभाषण के पैरा 06 में स्वच्छता का उल्लेख है और महामहिम राष्ट्रपति जी का अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत ही स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है। केन्द्र सरकार स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत इसी वर्ष में हर स्कूल में एक शौचालय बनाने का काम कर रही है।

पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार 1999 से गांवों में शौचालय बनाने के लिए धन दे रही थी, इस धन से अब तक 9 करोड़ 73 लाख शौचालय बनाने का दावा किया गया है, लेकिन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 2012 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि इनमें से कम-से-कम 2.764 करोड़ शौचालयों का वास्तविक जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है और 1.415 करोड़ शौचालय बेकार पड़े हुए है जिनका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि 4.179 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण पर जो पैसा खर्च हुआ है, उससे शौचालय बनाने का लक्ष्य सरकारी फाइलों में भले पूरा हो गया हो, लेकिन इसे बनाने का मकसद पूरा नहीं हुआ है।

इसलिए केन्द्र सरकार को अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की भी आवश्यकता ह। साथ हि, पूर्व में शौचालयों पर खर्च की गई राशि का ऑडिट किया जाना चाहिए।

अभिभाषण के पैरा 09 में भूमि अर्जन की बात का उल्लेख है। केन्द्र सरकार ने 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ज्ञापन में कही गई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून से विकास असंभव हो गया है और वे चाहते हैं कि इस कानून को संशोधित किया जाए।

केंद्र की मौजूदा सरकार किसानों की सर्वाधिक हितैषी सरकार है और उसने किसानों के मुआवजा संबंधी किसी भी हित से कोई समझौता नहीं किया है। इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम संसद में पेश

* Speech was laid on the table.

किया है, जिसका सबको स्वागत करना चाहिए। विपक्ष को इस विधेयक पर कोई भी आपत्ति है तो सदन में चर्चा करनी चाहिए, मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

अभिभाषण के पैरा 43 व 44 में पर्यटन, कला और संस्कृति का उल्लेख है। ''स्वदेश दर्शन'' नामक नई योजना काफी प्रशंसनीय हैं। इनके अंतर्गत देश के उन पर्यटक और सांस्कृतिक स्थलों को भी जोड़ा जाना चाहिए जो आज तक उपेक्षित हैं जैसे झारखण्ड के चतरा और लातेहार जिले के इटखौरी, कौलेश्वरी नगर, नेटराहट, पलामू के आरक्षित वन, इत्यादि।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में सबका साथ-सबका विकास दृष्टिगत होता है। इसी पथ का अनुगामी होकर भारत वैश्विक क्षितिज पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा।

[*]डॉ.यशवंत सिंह (नगीना): अपने अभिभाषण में महामहिम द्वारा जहाँ सबका साथ-सबका विकास की सरकार की नीति पर ध्यानाकृष्ण किया है, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हर व्यक्ति के समग्र विकास की नीति पर भी बल दिया है। किसी भी सरकार की जहाँ पर प्राथमिकता देश के विकास की होती है, वहीं उस देश के पिछड़े, वंचित एवं दलितों के विकास की भी होती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऊँची सोच के साथ शुरूआत की है। परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के करोड़ो गरीबों ने अपनी रोटी काटकर भूखा रहकर राष्ट्र निर्माण हेतु इन खातों में 11000 करोड़ रूपए भी जमा किए हैं। अब बारी सरकार की है कि इन लोगों का पेट कभी भूखा न हो। गरीबी अपने आप में गन्दगी, बीमारी, अशिक्षा एवं अन्य कई विकारों की जननी है। जहाँ माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सभी को 2022 तक मकान देने का संकल्प दिखाया है, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ऊँची सोच एवं पहल की आवश्यकता है। गरीब घर में पैदा होना या अमीर घर में पैदा होना भगवान के हाथ में है, परंतु गरीब व्यक्ति को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और जब सरकार अपनी जिम्मेदारी में फेल होती है तो गरीब का भरोसा सरकार से उठकर भगवान पर जाता है तथा वह मृत्यु माँगता है। आज के युग में खुले में शौच एक अभिशाप है जिसका मूल कारण भी गरीबी है। मैं सरकार की 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की पहल का हदृय से स्वागत करता हूँ। लेकिन इसी में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस मुहिम को चलाया जरूर था परंतु सभी योजनाएं भ्रष्टाचार एवं कुशासन की भेंट चढ़ गयीं। इसमें मेरा कहना है कि पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार के नियंत्रण में ऐसी योजनाओं को छोड़ना भी खतरनाक साबित हो सकता है।

इस देश की बड़ी आबादी लगभग 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है। इस समाज को आज़ादी से पहले सामाजिक शोषण एवं आज़ादी के बाद सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। इस बड़ी आज़ादी को अभी तक संविधान में इनके लिये प्रावधान के बावजूद आरक्षण, छात्रवृत्ति, रोज़गार, कौशल विकास, सामाजिक बराबरी आदि की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा संचालित योजनाएं सिर्फ दिखावा मात्र ही रह गई हैं। यह

---

[*] Speech was laid on the table.

23 प्रतिशत आबादी लगभग 0.5 प्रतिशत देश की सम्पदा का भी उपयोग नहीं करती हैं। ऐसी आबादी को इस सरकार से बड़ी उम्मीद हैं। सरकार के दस्तावेज में उन सभी अस्पृश्यता से छुटकारा, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का वायदा किया गया है। मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

इस देश के पढ़े-लिखे युवाओं में अपार क्षमता है परन्तु इनको क्षमता के उपयोग का अवसर प्रदान कराना सरकार की जिम्मेदारी है। स्किल डेवलपमेंट तथा मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की पहल से देश का नौज़वान देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए लालायित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां बहुत ही अच्छी चर्चा रही। करीब-करीब 60 माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का अवसर मिला और करीब 40 आदरणीय माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस अर्थ में यह काफी सार्थक चर्चा रही है। इसमें अनेक विषयों की चर्चा की गयी है। विपक्ष के माननीय खड़गे जी और सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विषय रखे हैं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं और किस गति से हो रहे हैं, उनका उल्लेख किया है। यह बात सही है कि कई आदरणीय माननीय सदस्यों को लगता होगा कि यह होता तो अच्छा होता, यह होता तो अच्छा होता। मैं इसको सकारात्मक रूप में देखता हूं। विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, इन अपेक्षाओं का महात्म्य है। अपेक्षाओं का महात्म्य इसलिए भी है कि आपको भरोसा है कि शायद समस्याओं का समाधान इसी कालखंड में होगा। यह अच्छी बात है। कुछ ये भी बातें आईं हैं कि आप तो हमारी योजनाओं का ही नाम बदल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का और योजना के नाम का है। मुद्दा समस्या का है। योजना नयी है, पुरानी है, इसके ऊपर तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। इसलिए हमें जो समस्यायें विरासत में मिली हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। इनको यह भी लगता है कि यह तो हमारी योजना थी, आपने इसका नाम बदल दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको गर्व करना चाहिए, आपको आनन्द होना चाहिए कि चलो भाई, समस्या के समाधान में कुछ बातों में, यहां के लोग हों या वहां के लोग हों, पहले वाले हों या नए वाले हों, सबकी सोच सही है, दिशा सही है, तो यह अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं ऐसा मानता हूं।

मुझे याद है कि हम पर बाहर आलोचना हुआ करती थी कि भाई आजादी के आन्दोलन में आप कहाँ थे? एक बार अटल जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। अटल जी ने कहा कि अच्छा बताओ वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आप कहाँ थे? ये चीजें कुछ पल के लिए ठीक लगती हैं। आप निर्मल भारत की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आप स्वच्छ भारत ले आए। अब मैं पूछता हूँ कि वर्ष 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, एक कार्यक्रम चालू किया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था? मैं समझता हूँ कि मुद्दा समस्या है, नाम मुद्दा नहीं है।

हमारे देश में स्वच्छता एक समस्या है और स्वच्छता हमारी मानसिकता से ज्यादा जुड़ी हुई है। मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ तब मेरे दिल, दिमाग में वह गरीब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गन्दगी के कारण जो बीमारी फैलती है, उस वक्त एक गरीब पर सात हजार रूपए का खर्च आता है। स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी ज्यादा है। अगर गरीब का औसत लें, पाँच का परिवार है तो 35 हजार रूपए होते हैं। स्वच्छता का दूसरा सम्बन्ध नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गाँव में माँ-बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, अंधेरे का इन्तजार करना पड़ता है। यह इस तरफ, उस तरफ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारी माताओं और बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई, यह हमें करना होगा। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्यों? एक प्रमुख कारण ध्यान में आया और वह कारण यह था कि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं है। सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, इस समस्या का समाधान खोजने का है, इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया है। ये तीन चीजें मेरे मन को हमेशा आन्दोलित करती हैं। स्वच्छता अभियान, यह कोई उद्घाटन समारोह नहीं है, यह निरन्तर करने का काम है और हम सबको करने का काम है। हममें से कोई नहीं है, जिसे गन्दगी पसन्द है। लेकिन स्वच्छता का आरम्भ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं हैं। सवा सौ करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि कल सुप्रिया जी ने अपने भाषण में कहा था कि यह एक अच्छा अभियान है, इससे हम एम.पी. कैसे जुड़ें? हाउस में सामने से उन्होंने पूछा कि हम इससे कैसे जुड़ें? हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य स्वच्छता के काम को कितना पसन्द करता है। मुझे मीडिया ग्रुप के लोग मिल थे। वे कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की क्लैमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपये मिले। गुजरात में भूकम्प हुआ तो हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपये दिये। अभी हमने स्वच्छता को लेकर टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया तो हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपये दिये। जो लोग राजनीति में हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आप वोट के हिसाब से भी यह करते हैं तो समाज का यह बहुत ही मनपसन्द काम है। अगर समाजनीति से यह काम करते हैं तो इससे बड़ा स्वान्तः सुखाय कोई काम नहीं हो सकता है। इसका नाम यह रहे या वह रहे, इससे ऊपर उठ करके, समस्या न रहे, उस पर हम ध्यान केन्द्रित करेंगे। मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 'अस्सी घाट' की सफाई करने गये थे, वह कार्य अभी भी पूरा नही हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हसूं या रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तरप्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे या केन्द्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। ...(व्यवधान) करीब 3 महीने से 'अस्सी घाट' की

सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गन्दगी होगी, जिस 'अस्सी घाट' को लेकर वाराणसी की पहचान है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : सफाई मैंने शुरू की है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : मैं आपका आभारी हूं। मैं मुलायम सिंह जी की बात को मानता हूं। लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो देश में स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी जी के बाद, पूरी ताकत से अगर किसी ने आवाज उठायी थी तो लोहिया जी ने आवाज उठायी थी। लोहिया जी ने यह आवाज उठायी थी, इसलिए मोदी जी को उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी को भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए।

इतने समय के बाद भी वहां बहुत कुड़ा-कचरा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि विदेशों में हमारी एम्बैसिज हैं। सुष्मा जी ने सभी देशों में हमारी ऐम्बैसिज को चिट्ठी लिखीं कि 'स्वच्छता अभियान' भारत में शुरु हुआ है, आपकी एम्बैसी का जरा हाल देखिए। मुझे एम्बैसिज के जो फोटोग्राफ्स आये हैं कि उनके हाल पहले क्या थे और अब क्या है? जहां हमारे लोग रहते थे, वहां गन्दगी के ढेर थे। कागज पानी में भीग कर पत्थर से बन गए थे। क्या सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था नही है, व्यवस्था है, लेकिन स्वभाव नहीं है। इसलिए यह एक पवित्र काम है जिसके लिए हम इसमें लगे हैं। यह काम इस सरकार का या इस सरकार के मुखिया का नही है, यह काम सवा सौ करोड़ देशवासियों का है। आपने जिस नाम से इस काम को बढ़ाया है, मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। आपने अब तक जो किया है, मैं उसका अभिवादन करता हूं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। लाल किले पर से यह कहने का सामर्थ्य मुझमें था, मैंने कहा था कि इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, यह देश उन सब के योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राचीर से मैंने भारत की सभी सरकारों की बात कही। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमनें नौ महीनों में सब कुछ कर दिया है, हम ऐसा दावा करने वाले नहीं हैं और न ही, हम यह बात मानते हैं कि देश 15 अगस्त, 1947 को पैदा हुआ था। यह देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियो, मुनियों, आचार्यों, भगवन्तों, शिक्षकों, मजदूरों और किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। सरकारें देश नहीं बनातीं, देश जनता-जनार्दन की सामर्थ्य से बनता है, जनता-जनार्दन की शक्ति से बनता है और राष्ट्र अपनी गति से चलता है, अपनी फिलॉस्फी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है। भारत का मूल तत्व है - एकम सत्य विप्र: बहुधा वदन्ति, भारत का मूल तत्व है -

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दु:ख भाग्भवेत।।

यह भारत का मूल तत्व है, सबकी भलाई की बात यहां होती है। इसलिए यह देश आज जहां भी है, सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। कुछ लोगों को लगता है कि दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग-अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं पंचायतों, नगरपालिका, महा नगरपालिका के, क्या हुआ था। असम में इतनी भव्य विजय हो रही है। क्या हुआ? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे. बोलने में बहुत अच्छा लगता है। अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थीं। यहां तक कि आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हालात इतने बुरे नहीं हुए, जितने इस बार हुए हैं। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता तो आप जीत जाते। इसलिए कृपया करके आप वह तर्क न करें, बोलने में ठीक लगता है लेकिन उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां मंथन करके रास्ते खोजने हैं।

कभी-कभार यह कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना विश्वास जरूर करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग-अलग हो सकता है कि इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है। यह सब होगा, लेकिन एक विषय में आप जरूर मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है। आजादी के साठ साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे जो आप खोद रहे हैं, उन साठ साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन-बान-शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हां, एक बात और जरूर होगी क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना कुछ नहीं है, आप चिन्ता मत कीजिए, जो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी, हम देंगे क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले कि ऐसे-ऐसे खंडहर छोड़कर कौन गया है। इतने सालों के बाद भी आपको ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है। यह उनको पता रहना चाहिए, इसलिए यह बहुत आवश्यक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप अपने फुटप्रिंट छोड़ कर गए हैं, जिससे लोगों को पता चल सके। जब कभी भी भ्रष्टाचार

की चर्चा होती है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रख दिया है। देश में भ्रष्टचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरे में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू-तू, मैं मैं में उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यहीं पर हम सीमित हो जाते हैं। मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वे इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर यह तय करें कि इसे आगे नहीं होने देंगे तभी भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो, क्या देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो तू-तू मैं-मैं से बाहर निकल कर उसके समाधान के रास्ते खोजे जा सकें। भ्रष्टाचार एक समस्या है, उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट चलाएं। जब नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं यह दावा नहीं करूंगा, परमाप्ता ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है, कि हम ऐसे कानून बनाएं, जिसमें कोई कमी ही न रहे, मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या न हो, लेकिन पांच महीने या पांच साल बाद कोई समस्या उभर कर न आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे, जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब यह बात तय होती है कि जो अफरशाही है, उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर नहीं रहता है। प्रॉइरिटी करने का मौका ही नहीं रहता है। हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवेन हो, इंडिविज्युअल विजन के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती हैं। भारत के संविधान दायरे में सब चीजें होनी चाहिए, तभी समस्याओं के समाधन हो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर कोयले का आबंटन, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नही हो सकता। पहले कभी 600 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का सुना था। 500 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार सुना था। लेकिन 1,86,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टचार, इस पर देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में आता था कि 1,86,000 करोड़ का कैसे हो सकता है। जब कोयले का आबंटन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया। अभी तक 18 या 19 ऑक्शन ही हुए हैं। उनमें करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुका है। जब 204 ऑक्शन हो जाएंगी तब सीएजी ने जो सोचा था, उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन से आने वाली है। उस समय जीरो थ्योरी की बात चली थी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि जिनके समय में यह हुआ, उनको क्या करना चाहिए। वह मेरा विषय नहीं है। वह आप जाने, आपका परमात्मा जाने। अगर हम इस दिशा में चलते हैं, तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं। यह सीधा-सादा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है, जिनमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाये। इसके लिए आप उत्तम से उत्तम से सुझाव दें। इस विषय को लेकर

मेरा समय मांगेंगे, तो मैं आपको समय दूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा और आप भी हमें गाइड कीजिए कि इस भयंकर समस्या से निकलने के लिए ये-ये चार रास्ते हैं। शासन व्यवस्था उसे देखेगी, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को मुक्त करायें। हम मानकर चलें कि हो क्या रहा है?

यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पर रंग बदल जाता था, जब उनके मुंह से आज काले धन की चर्चा सुनता हूं, तो मुझे इतना आनंद होता है, जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे सिद्धि यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर एस.आई.टी. बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने से हम चूक गये। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एस.आई.टी. बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताये हम एस.आई.टी. बना देते? हमने तीन साल तक एस.आई.टी. नहीं बनायी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनायी। नयी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय काले धन पर एस.आई.टी. बनाने के लिए किया। जब काले धन की बात आती है, तो स्विस बैंक की चर्चा आती है।

मैं श्रीमान् अरूण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विटजरलैंड गवर्नमैंट को हमें महत्वपूर्ण जानकारियां एक्सचेंज करने के लिए राजी कर लिया। अब उसके कारण वहां के बैंकों की जानकारियां पाने के लिए हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, जी-20 समिट में आप भी जाते थे। हम तो पहली बार गये हैं। हमारे लिए तो कइयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने जी-20 समिट का क्या उपयोग किया? जी-20 समिट के अंदर जो संयुक्त डेक्लरेशन हुआ, उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैकमनी, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जी-20 को जिम्मेदारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे। काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हमें मिलकर जिस पर दबाव डालना है, डालेंगे। हमने इसका निर्णय जी-20 समिट में करवाया। यह हमारी कोशिश थी। इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं और कोई इससे बचेगा नहीं, यह मैं आपको कह कर रखता हूं।

कृपा करके कोई यह न कहे कि हम विंडक्टिव थे, इसलिए किया है। हम वादा करके आये हैं। वह व्यक्ति, जरूरी नहीं कि सब राजनेता हों, लेकिन जिसने भी किया है, देश का तो नुकसान किया ही है। इसलिए उस संबंध में सरकार की इच्छाशक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहे हैं और अंतिम विजय प्राप्त करने तक करते रहेंगे, यह मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं। कभी कभी यह

कहा जाता है कि आपने नया क्या किया? मैं एक उदाहरण देता हूं कि काम को कैसे किया जाए। हम एक तरफ किसान की बहुत बात करते हैं लेकिन किसान को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कई उपाय हैं। जैसे हम काम लेकर निकले हैं - पर ड्रॉप, मोर क्रॉप। हमारे देश में पानी की कमी है, सारी दुनिया पानी के संकट से जूझने वाली है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के भविष्य को देखकर कुछ बातें करें? तत्कालीन लाभ के लिए ही करेंगे? हो सकता है राजनीतिक लाभ हो जाए लेकिन राष्ट्रनीति की तराजू में वह बात बैठेगी नहीं। हमने सॉएल हैल्थ कार्ड की बात कही है। हमने मंत्र दिया है - स्वस्थ धरा तो खेत हरा। लेकिन हम सिर्फ विज्ञान भवन में रिब्बन काटकर और दीया जलाकर काम नहीं करते हैं। यह सरकार कैसे काम करती है? मैंने अधिकारियों को सूचना दी। जैसे आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वह पहले ब्लड टैस्ट करवाने के लिए कहता है, युरिन टैस्ट करवाने के लिए कहता है और उसके बाद ही वह दवाई के लिए सोचता है। वह सारे टैस्ट करवाता है और तब तक वह दवाई नहीं देता है। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों की जरूरत है क्या हम देश में किसानों के लिए यह बात पहुंचा सकते हैं कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले जमीन की तबियत कैसी है, यह जान लें। जिसे हम भारत मां कह रहे हैं, उस भारत मां का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, पृथ्वी माता का हाल क्या है, वह तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है? हमने इतना यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे। क्या हमने कहीं यूरिया डालकर हमारी धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है? यह कब समझ में आएगा, जब हम सॉएल टैस्टिंग करेंगे। अब सॉएल टैस्टिंग का कार्ड निकालेंगे, दे देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। मैंने कहा है कि क्यों न हम गांव-गांव सॉएल टैस्टिंग लैब के लिए एन्टरप्रोन्योर तैयार करें? गांव के नौजवान जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ट्रेनिंग दें। गांव में अगर वह लैब बनाता है तो उसे बैंक की तरफ से ऋण दिया जाए ताकि गांव के लोगों की उस लैब्रोटरी में जाने की आदत बन जाए और वे हर साल बारिश के सीज़न से पहले अपनी जमीन चैक करवा लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, माइक्रो न्यूट्रिशन की डिटेल जा लें।

अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां दसवीं, बारहवीं विज्ञान के स्कूल और कॉलेज में लैबोरेटिरी है। लेकिन हमारे देश में करीब फरवरी से जुलाई तक लैबोरेटिरी बंद रहती है क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं और स्कूल खुलने में जून-जुलाई महीना आ जाता है। इस तरह करीब तीन-चार महीने के महत्वपूर्ण समय में स्कूल की लैब खाली पड़ी रहती है। सॉएल टैस्टिंग कोई बहुत बड़ी टैक्नोलाजी नहीं है, इसे आराम से किया जा सकता है। हमने कहा कि उन दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग दीजिए। स्कूलों में वैकेशन्स में सॉएल टैस्टिंग लैब के रूप में इसे कन्वर्ट कीजिए। इससे स्कूल को तो इनकम होगी ही और गांव के नौजवानों को भी इनकम होगी। हमारा देश गरीब है, क्या हम कोई रातों-रात लैब बना देंगे, पैसे

खर्च देंगे? हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑवर इन्फ्रास्ट्रक्चर करेंगे। यह है गुड गवर्नेंस, ये हैं तरीके, इन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब एक बार किसान को पता चल जाएगा कि मेरी जमीन इस फसल के योग्य नहीं है तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान का जो खर्चा होता है वह खर्चे से बच जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, कभी यहां पर बात आई कि क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं लेकिन आपने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कम नहीं किए? तब हम भूल जाते हैं, जब हम सरकार में आये, तो सूखे की स्थिति थी, बारह प्रतिशत बारिश कम थी। तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें 50 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी की जाए, बिजली के दाम में जो पैसे लिये जाते हैं, उसकी सब्सिडी में 50 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी की जाए और उसके कारण डीजल पर, सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आया है। हमने किसानों को दिया है, जो कहते हैं कि नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है, हमने दिया है। लेकिन आपको पिछले मई, जून, जुलाई का याद नहीं रहता, आपको इस अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी! सरकार आखिर किसके लिए है! यह सरकार गरीब के लिए है, यह गरीबों को समर्पित सरकार है। हम हैं, जिन्होंने एक्सपेंडीचर कम करने के लिए एक्सपेंडीचर कमीशन बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन में जो अनाप-शनाप खर्चे हो रहे हैं, उसको रोकना चाहिए ताकि वे पैसे गरीब के काम आएं, गरीब के कल्याण के काम आएं, उस पर काम कर रहे हैं। हम गुड गवर्नेन्स की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब आप यह नहीं कहेंगे कि हमारे ज़माने से हैं, मैं बचपन से अभी तक भी नहीं समझ पाता था कि ज़ीरोक्स का ज़माना आया, फिर भी मेरे सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एम.एल.ए. के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एम.पी. के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एम.एल.ए. या एम.पी. अवेलेबल न हो तो भी उनका एक एक छोटा-सा आदमी रहता था, वह सिक्का मार देता था कि हाँ भाई, आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पर भरोसा नहीं करते हैं। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट करके आप दे दीजिए और जब फाइनल रिजल्ट होगा, तब आप ऑरिजीनल डॉक्युमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे कि यह छोटी चीज है, लेकिन यह देश के सामान्य मानवों में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पर भरोसा करती है।

हमारे यहाँ एक-एक काम में तीस-चालीस पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा कि भाई, इतने लम्बे-लम्बे फॉर्म की क्या जरूरत है, सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही हैं, जितना ऑन-लाइन हो सकता है, उसे ऑन-लाइन किया जाए और मिनिमम कर दो, तो मिनिमम कर दिया। कई जगह पर फॉर्म की प्रक्रिया को एक पेज में लाकर रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रैड टेप

को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामन्य मानवों को उसकी सुविधा मिले, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। एक के बाद एक काम हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है।

हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाज़िम रिटायर होते हैं, उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवम्बर महीने में जिन्दा होने का सबूत देना पड़ता है। दफ्तर में जाकर एक्स-एम.पी. को भी देना पड़ता है। एक आयु तक तो ठीक है, उसी बहाने बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद वहाँ जाना सम्भव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, अपने घर में बैठकर भी, अपने जिन्दा होने का प्रमाण दे सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, इसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया है। यह हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान है।

आपको लगेगा कि यह इतना बड़ा देश है और मोदी छोटी-छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ तो ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं, जो बाद में वटवृक्ष बन जाती है, विष-वृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं में सभी को लपेट लेती है। यह इसलिए आवश्यक होती है।

मुझे याद है, कभी-कभार, पिछले सत्र में, हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। मैं नहीं जानता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उचित था या नहीं? यहां तक कह दिया कि आपको पार्लियामेंट में आने का वीज़ा दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वालों को मैं और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं, जिन्हें करना पड़ता है।

उन मीटिंग्स में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ेगा और भविष्य में जो प्रधानमंत्री आएगा, उसे भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मजाक का विषय बन जाए, तो क्या हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गयी है कि हम ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं? क्या आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए कोई और मुद्दे नहीं बचे? मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिन्ता थी, अगर इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया है तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी जांच कर लेते, कभी उसकी भी इनक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं जापान गया, जापान के अपने कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम यह जोड़ा। मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यामानाका को मिलने गया। क्यों? क्या फोटो निकलवाने के लिए? मैं इसलिए गए कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर रिसर्च की है। मैंने जितना पढ़ा है, मेरे मन में आया था कि शायद इनकी यह खोज हमारे काम आ सकती है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के आदिवासियों को परम्परागत रूप से सिकल-सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। सिकल-सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। सिकल-सेल बीमारी वालों के विषय पूछें तो पता चलेगा कि यह कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवा नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल-सेल बीमारी से मुक्ति मिल जाए। मैं गया,

वहां जाकर मैंने उनसे चर्चा की। बैंगलौर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में काम हो रहा है कि स्टेम सेल के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट्स कुछ खोज करें ताकि मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिन परेशानियों में जिन्दगी गुजारनी पड़ती है, उनसे वे बाहर आ सकें।

हम आस्ट्रेलिया गए, जी-20 समिट में गए। वहां मैं उन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स से मिलने उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टेअर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। कभी मैंने पढ़ा था। मैं उनके पास गया। हम पल्सेस के मामले में बहुत पीछे हैं, हमारे देश को पल्सेस की बहुत जरूरत है। गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन की जरूरत है, हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सेस में से मिलता है। अगर हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सेस पैदा कर सकता है, प्रति हेक्टेअर ज्यादा पल्सेस पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे उस गरीब का भला होगा। इसीलिए मैंने उन साइंटिस्ट्स के पास जाकर यह समझने के लिए कुछ घण्टे बिताए कि बताइए, मेरे देश के किसानों को ज्यादा पल्सेस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। इसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक अन्य साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए मिलने गया कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता था, मुझे पूरा पता नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही चला गया, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है। अधिक विटामिन पाने में सफलता पाई है। केला अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयो-बहनो, केला, गरीब से गरीब का फल होता है। अगर केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, विटामिन ज्यादा मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं, देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है, देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं और इसीलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। यहां पर जन धन योजना को लेकर कहा गया कि यह तो हमारे यहां हर समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए 40 साल हो गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए किया गया था, लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था।

बैंकिंग सिस्टम और फाइनैंशियल व्यवस्था की मेन धारा बन गयी है। अगर हम आगे चल कर योजनाएं बनाना चाहते हैं तो शुरूआत यहीं से होती है। हमने 15 अगस्त को यह ऐलान किया था और कहा

था कि 26 जनवरी को हम झण्डा फहराएंगे, उससे पहले यह काम पूरा करेंगे। समय रहते काम पूरा किया या नहीं किया। जिस बैंक के अंदर गरीब को जाने का अवसर नहीं मिलता था, उस बैंक के मुलाजिम जो कोट-पैंट-टाई पहनते हैं, एयर कंडीशंड कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, बैंक का वह मुलाजिम, मेरा साथी गरीब की झौपड़ी तक गया, गरीब के घर तक गया, क्या इसके लिए सरकार प्रेरणा नहीं दे सकती है, क्या इसके लिए सरकार परिवर्तन नहीं ला सकती, हम यह परिवर्तन लाए हैं। मैं आज विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से नीचे तक के सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा लिया। उन्होंने केवल इस बात को माना ही नहीं, बल्कि उसे पूरा भी किया। जब यह व्यवस्था हो गई है। मनरेगा के लिए कहा गया था कि इसमें लीकेजिज़ बहुत हैं। अब हम मनरेगा का पैसा भी जन-धन योजना के तहत देंगे, आधार कार्ड है, इससे लीकेज कम से कम हो जाएगा और पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। हमारे दिमाग में गरीब है, लेकिन गरीबों के नाम पर हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है। गरीबों के नाम पर हमारे दिलो-दिमाग के अंदर ईश्वर की सेवा करने का अवसर है। इसलिए हम जब हर काम करते हैं तो इस बात को लेकर करते हैं कि हम गरीब के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं और उसी दिशा में हमारा प्रयास रहता है।

मैं जब शौचालय की बात कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना काम हुआ है। करीब सवा चार लाख शौचालयों की स्कूलों में जरूरत है। करीब सवा चार लाख में से डेढ़ लाख के करीब नए शौचालय बनाने पड़ेंगे और बाकी शौचालयों को रिपेयर करने की आवश्यकता है। एक अलग आन लाइन पोर्टल बनाया गया है। उसका मैपिंग की गई है। एड्रेस पक्का पता है कि यहां इतने शौचालय चाहिए। सारी डिटेल वर्क आउट की गई है। मुझे संतोष के साथ कहना है कि अब तक करीब-करीब 60-65 हजार लड़कियों के लिए टायलेट बनाने का काम पूरा हो चुका है। मैं सभी एम.पीज़. का भी अभिनंदन करता हूं कई एम.पीज़. ने इस काम को एक्टिवली किया है। अपने इलाके में एम.पी. लैड फंड का भी उपयोग किया है। सी.एस.आर. में भी उपयोग हुआ है। जहां डिस्ट्रिक्ट के अफसर सक्रिय हैं, उन्होंने तेज गति से काम किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो वैकेशन है, अगर हम सभी तय करें, आप अपने यहां कलैक्टर को पूछें, अपने डिस्ट्रिक्ट में अधिकारियों को पूछें कि बताओ कि इस काम का क्या हुआ। आप चिट्ठी डाल दीजिए, मुझे विश्वास है कि जून महीने में जब नया सत्र शुरू होगा, उसके पहले इस वैकेशन के बाद टायलेट बनाने का काम पूरा हो जाएगा। यह संतोष केवल यहां के लिए नहीं है, यह संतोष वहां के लिए भी है, हम सभी के लिए है। आप इस काम को करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

स्वच्छता का कैसा असर है? इसका टूरिज्म पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमने ऑन लाइन वीज़ा, 'अराइवल आन वीजा' किया है और दूसरा स्वच्छता। इन दोनों का सयुंक्त प्रभाव टूरिज्म पर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में टूरिज्म में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कई बातों में नेगेटिव प्रचार होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी पैदा होती हैं, जिनके कारण हमारे यहां टूरिज्म को काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन व्यवस्थाओं के कारण टूरिज्म में काफी बढ़ावा हुआ है।

अब हम कहेंगे कि आपदा प्रबंधन का क्या हुआ? आप बताएं कि ऐसी कौन-सी सरकार होगी, जिसके समय में आपदा नहीं आई, हर सरकार के समय आपदा आई है। उस आपदा के लिए हर सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ा है। लेकिन आपदा प्रबंधन के तरीके भी बदले जा सकते हैं। जब जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई, तो मैंने पहला काम यह किया कि भारत सरकार में जम्मू-कश्मीर के जितने अधिकारी हैं, पहले उनकी सूची बनाओ और उनको सबसे पहले वहां भेजो। उस समय के होम सैक्रेटरी पुराने समय के जम्मू-कश्मीर कैडर के थे, उन्हें मैंने वहां भेज दिया और हफ्ते भर वहां रखा। क्यों? क्या भारत सरकार का यही दायित्व है कि सिर्फ इतना चैक दे दिया, उतना चैक दे दिया, नहीं, इतने से बात नहीं बनती।

हमें पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ता है। मैं स्वयं कश्मीर गया और कितने ही ग्रुपों के साथ मैंने बारीकी से बातें की। मैंने अपनी दीवाली उन लोगों के साथ जाकर मनाई। क्यों? ताकि सरकार में बैठे हुए और लोग भी सेंसिटाइज हों कि हमारा दायित्व बनता है और ऐसा नहीं है कि बात पूरी हो गई तो उनको उनके नसीब पर छोड़ दिया जाए। यह हमारा दायित्व बनता है और इसलिए हमारी पॉजीटिव एप्रोच भी है। प्राकृतिक आपदा का समय तू तू मैं मैं का नहीं होता है। उसमें हमें एक अपनेपन की जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है और हमारे पास जो भी शक्ति होती है, कैसे उसका सही ढंग से उपयोग करते हुए हम समस्या से बाहर निकलें? हमारा प्रयास यही रहता है। हम उसी ओर जाना चाहते हैं।

यहां पर लैंड एक्विजीशन एक्ट को लेकर बढ़िया बातें मैं सुन रहा हूं। हमें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया, उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। जब लैंड एक्विजीशन एक्ट बना था, तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको पारित करने के लिए खड़े रहे थे। हम जानते थे कि इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही सब लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहे थे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 1894 में जो कानून बना, उसकी कमियां देखते देखते आपका 2013 आ गया और 120 साल बीत गये। आज़ादी के बाद भी 60 साल तक इस देश के किसान उसी कानून के भरोसे जीते थे जो सन् 1894 में बना था। अगर किसानों का

बुरा हुआ तो किसके कारण हुआ? जब यह कानून बना तो हम आपके साथ थे। कानून बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो सभी राज्यों के सभी दलों के मुख्य मंत्री, किसी एक दल के मुख्य मंत्री नहीं, सभी दलों के मुख्य मंत्री एक आवाज से कह रहे थे कि साहब, आप किसानों के लिए कुछ सोचिए। किसान बिना पानी के मर जाएगा। उसको सिंचाई चाहिए। इसको इरीगेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। गांवों में उसको सड़क चाहिए। गांवों के गरीब को रहने के लिए घर चाहिए और आपने ऐसा कानून बनाया है, आप भाजपा वाले भी साथ में थे जिसके कारण हमारा भला नहीं हो रहा है।

यह बात हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों ने कही। यह देश जो फैडरल कोआपरेशन की बात करता है, यह देश जो फैडरेलिज्म की बात करता है, क्या हम इतने अहंकारी हो गये हैं कि हम अपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बात को नहीं सुने? क्या हम इतने अहंकारी हो गये हैं कि हमारे राज्यों के मुख्य मंत्री परेशान हैं और हम उनकी बातों को न सुनें? क्या हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और उनकी जो भावना है, क्या उनकी उस भावना का हमें सकारात्मक रूप से आदर नहीं करना चाहिए? उनकी मांग क्या है? मुझे सेना के अधिकारी मिले। वे बोले कि हम क्या करें? यह जो आपने कानून बनाया है और वे तो हमको ही कहते हैं क्योंकि हमने साथ दिया था। वे कहते हैं कि साहब, हमें जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, अब जो आपका कानून बना है, उसके तहत हो ही नहीं पाएगा। हमें हमारी न्यूक्लिअर व्यवस्थाओं को, यानी जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, क्या हम पूछने जाएंगे, क्या हम लिखेंगे कि हमें यह इस काम के लिए चाहिए? तो अच्छा है कि हम पाकिस्तान को ही लिख दें कि हम इस पते पर ये काम कर रहे हैं,...(व्यवधान) डिफेंस के, हमारी सेना के अधिकारी इतने परेशान हैं कि साहब, क्या होगा? यह नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है। लेकिन गल्ती रह गई। गलती करैक्ट करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यह छोटा सा उपाय है कि इस गलती को करैक्ट करना है। आपने जो किया है, हम नकारते नहीं हैं। आपने जो कोशिश की है, उसमें कुछ रह गया है, तो उसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं।

कृपा करके इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिये और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें अभी भी यदि आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नार्थ ईस्ट, उड़ीसा, पूर्वी आंध्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के पश्चिमी छोर पर तो गांवों में भी छोटा-मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांवों में सड़के बनी हैं। हमारे इस कानून का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो पूरे पूर्वी हिंदुस्तान का हुआ है, पूर्वी भारत का हुआ है। ये जो मुख्य मंत्री आकर चीख रहे थे, इसी बात

को लेकर चीख रहे थे कि हमारा कुछ आगे बढ़ने का अभी समय आया है, उसी समय आप ब्रेक लगा रहे हो। क्या हमारे पूर्वी भारत के इलाकों को भी पश्चिम में गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वह सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो किया है, हमारे सर-आंखों पर, मैं आप पर गर्व करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसमें जो कमियां रही हैं, समय है कि उन्हें थोड़ा ठीक कर लें, यह सिर्फ कमियों को ठीक करने का प्रयास है और वह भी सिर्फ किसानों के लिए है। मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनायें और इसके बनने के बाद भी मैं सारा क्रेडिट उस समय जिन्होंने कानून बनाया था, उन्हीं को दूंगा, सार्वजनिक रूप से दूंगा, यह राजनीति के लिए नहीं है।

मैंने मुख्य मंत्रियों को सुना है, उनकी कठिनाई सुनी है और मैं भी मुख्य मंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि हम दिल्ली में बैठकर कोई कानून बना देते हैं, उन राज्यों को कितनी परेशानी होती है, कभी हमें अंदाज नहीं होता है। मैं एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि भी हूं, क्योंकि मैं उसी टोली में लम्बे अरसे तक रहा हूं और इसलिए मैं उनके दर्द को जानता हूं। हां, किसान के खिलाफ एक भी चीज हो, हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है, यह काम करते समय हमारी भी कुछ कमी रहो हो, लेकिन हमारा काम कमियां दूर करना है, हमारा काम यह थोड़े है। हां, इसका राजनीतिक फायदा आप लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए जुलूस निकालिये, रैली कीजिए, लेकिन देश के लिए निर्णय भी कीजिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उस दिशा में जाने की बजाय उसके ऊपर जाइये।

हमारा नार्थ ईस्ट, हम एक्ट ईस्ट पालिसी को लेकर चल रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं, मैं जीवन में एक परिव्राजक रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, करीब-करीब हिंदुस्तान के सभी जिलों में मुझे रात गुजारने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी के चालीस साल परिव्राजक के रूप में घूमा हूं, इसलिए मैं जानता हूं। मैं नार्थ ईस्ट में बहुत रहा हूं। वहां इतने विकास की संभावना है, वह देश का आर्गेनिक कैपिटल बन सकता है, वहां इतनी ताकत है। मैं अभी बार-बार नार्थ ईस्ट जा रहा हूं। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो जहां 60-80 सीटों का बल्क होता, मैं वहीं चला जाता। लेकिन जहां एक-एक सीट है, वहां जाकर दो-दो दिन बिताता हूं। यह मैं राजनीतिक मकसद से नहीं करता हूं। यह मेरे देश की अमानत है। उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और इसीलिए मेरा यह मकसद है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जिस तेजी से बढ़ा है, हमें बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के इस पूर्वी छोर को कम से कम उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। चाहे मेरा बिहार हो, चाहे मेरा बंगाल हो, चाहे मेरा आसाम हो, चाहे मेरा नार्थ हो, चाहे मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। हम इस देश को एक तरफ अपंग रखकर एक तरफ समृद्ध बनाकर देश को

आगे नहीं बढ़ाये जा सकते और इसलिए मैं विकास में उसकी ओर बल देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें मदद करें।

अब देखिये कोऑपरेटिव फैडरलिज्म, फैडरलिज्म की बातें बहुत हुई हैं। क्या होता था, हमें याद है, रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं है। दो-दो साल ब्रिज ऐसे ही लटका पड़ा है। कभी दोनों ओर कनेक्टिविटी बनी है तो ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों, या तो वह सरकार हमें पसंद नहीं है या एक डिपार्टमैन्ट दूसरे डिपार्टमैन्ट की सुनता नहीं है, फाइलो में काम चल रहा है। सैकड़ों प्रोजैक्ट्स हैं, इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में रेल के उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पाइप ले जाने की पाइप डालनी है। रेल वाले अड़ जाते हैं, दो-दो साल तक पाइप ले जाने की परमीशन नहीं देते।

15.00 hrs.

बताइए भाई उसका क्या गुनाह है सरकार किसी की भी हो, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह है कि रेल के नीचे पाइप ले जा कर के बेचारे को पानी देना होता था। उसे नहीं देते थे। सरकार में आ कर पहला हुक्म मैंने किया कि ये जितनी चीजें हैं, उनको क्लियर करो और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमने सबको क्लियर कर दिया है। यह नहीं देखा कि वहां किस लैवल की सरकार बैठी है। विकास ऐसे होता है, इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमारे यहां कुछ चीजें तो परमिशन में लटक जाती हैं। रेलवे को मैंने सभी विभागों के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है कि सब विभागों के साथ मिल कर काम करो। सभी राज्यों के साथ मिल कर काम करो। रेल जा रही है, वे सारे लोग रोके जाएं, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हम विकास की उस परिभाषा को ले कर चले थे। इसलिए मैं कोऑपरेटिव फैड्रलिज्म की बात करता हूँ क्योंकि उन राज्यों की समस्याओं को हमें एड्रस करना चाहिए। उसने यह किया, वह किया, नहीं किया, इसके आधार पर देश नहीं चलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो हमेशा कहा करता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास जरूरी है। यह मंत्र मैंने हमेशा अपने जीवन में रखा था और मैं सबको बताता था। आज मैं कहता हूँ कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है। देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम यह कल्पना करते हैं। हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह डेढ़ गुना कर दिया। वह पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वे राज्य कौन हैं? ये वे राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा खनिज है। यह जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूँ, उनकी जड़ उसमें हैं। क्योंकि, वह खनिज सबसे ज्यादा हमारे देश के पूर्वी इलाके में है। वहां उनको इससे लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ तो उसका पैसा किसको जाएगा? यह सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की

होगी कि उनके बजट से ज्यादा पैसा उनके सामने पड़ा होगा। हम यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या यह फैडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है या नहीं है?

अभी हमने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और राज्यों को 42 पर्सेंट दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस इस पर कमीशन एकमत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मैंबर्स के अंदर भी डिस्प्यूट्स हैं। हम उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। इसलिए हम 42 पर्सेंट दे रहे हैं। यह अमाउंट छोटा नहीं है। जब आप अमाउंट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा रूपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी के साईज नहीं हैं, इतने रूपये रखे हैं। ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग, इतना ही नहीं डिज़ास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग, यह सब मैं मिलाऊं तो करीब-करीब 47-48 पर्सेंट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार यह जान कर आपको भी आनंद होगा और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद उनको भी ध्यान नहीं होगा, आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास जो खजाना है, उस पूरे खजाने का अगर टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा कि 62 पर्सेंट खजाना राज्यों के पास है और केवल 38 पर्सेंट खजाना भारत सरकार के पास है। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है और राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमें ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए। उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे हो कर रहे हैं। इसका दल, उसका दल और झंडे के रंग देख कर के देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग नहीं दिखता है। उसी को ले कर हम चलते हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला जा रहा है। यह आज से नहीं चला आ रहा है, यह लम्बे अरसे से चला आ रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या है? मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 2013, मैं पटना के गाँधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की भीड़ थी। बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं, उस समय जब इन्सान के हृदय से बातें निकलती हैं, वे सच्चाई की तराजू पर शत-प्रतिशत सही निकलती हैं। उसमें कोई लाग-लपेट नहीं होता है। बम, बन्दूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय मेरा जो भाषण है, उसमें मैंने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइये हिन्दुओं को

किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है या गरीबी के साथ लड़ना है। मैं मुसलमानों से पूछता था कि आपको हिन्दुओं के साथ लड़ना है या गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मैंने कहा था कि आइये बहुत लड़ लिया, हिन्दू-मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई करें। पटना के गाँधी मैदान में बम, बन्दूक, पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के, बयानबाजी कर-कर के...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत रंजन जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह बात साफ है कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एकरूपता के पक्षकार नहीं हैं, हम एकता के पक्षकार हैं और सभी सम्प्रदायों का फलना-फूलना भारत की धरती पर ही सम्भव होता है। यह भारत की विशेषता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान बना है, वह संविधान हजारों साल के हमारे चिन्तन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वह हमारे भारत के सामान्य मानव की, आशा, आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला संविधान है और इस संविधान की मर्यादा में रहकर ही देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरकार में बैठा हूँ, सरकार कैसे चलेगी उसकी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बार-बार कहता आया हूँ, सम्प्रदाय के नाम पर अनाप-शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूँ, मैं आज यह कहना नहीं चाहता हूँ, आपका मुँह बन्द करने के लिए मेरे पास हजारों चीजे हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट क्या है। मैंने बार-बार कहा है कि मेरी सरकार का एक ही धर्म है इन्डिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत का संविधान, मेरी सरकार का एक ही धर्मग्रन्थ है, भारत का संविधान, मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति, मेरी सरकार की एक ही पूजा है, सवा सौ करोड़ देशवासियों का कल्याण, मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ-सबका विकास। इसलिए हम संविधान को लेकर, संविधान की सीमा में रहकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 'एकम् सत् विप्राः बहुधा

वदन्ति' हमारा तत्वज्ञान रहा है। "Truth is one, the wise call it by many names." सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, यह कहने वाले लोगों में से हम हैं। और इतना ही नहीं, यही देश है जहाँ गुरु नानक देव ने कहा है -

'सब में ही रब रेहिया, प्रभु एकाई। पेठ पेठ नानक बिकसाई।'

"The one God is pervading in all. Beholding him in all, Nanak is delighted." यह हमारा तत्वज्ञान रहा है, यह हमारी परंपरा रही है। ...(व्यवधान) और इसलिए हम वे लोग हैं जहाँ पर 'तेन त्यक्तेन भुंजिथा,' इसी मंत्र को लेकर काम करने वाले हम लोग हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, तो यह सबका साथ, सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए क्योंकि सबका विकास करना है।

मैं फिर एक बार, जिन-जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं, उनका भी परीक्षण करके देश के हित में कहाँ-कहाँ लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का ह्रदय से धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यह अपेक्षा करता हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा भाषण उन्होंने दिया है, ...(व्यवधान) पर भाषण से पेट नहीं भरता। ...(व्यवधान) वे तो भाषण की कला जानते हैं और शब्दों का प्रयोग किस वक्त कैसे करना है, यह भी जानते हैं। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष जी, चर्चा पूरी होने के बाद दोबारा नहीं बोलते। यह पूरा हो गया है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do you have any clarifications to seek?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप यह देखिये कि मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो है, आपने उसका बहुत मज़ाक उड़ाया। क्योंकि गरीबों के हित में यह प्रोग्राम है तो उसका मज़ाक उड़ाने का यह तरीका ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) आपने कहा कि यह आपका स्मारक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गरीबी दूर हो गई तो 20 साल गुजरात में आपकी सरकार ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... [*]

HON. SPEAKER: If you want to seek any clarification, you may do so.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सभापति जी, 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है, मैं बता रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपको कोई एक क्लैरिफिकेशन पूछना है तो पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं। आप भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं हो सकता। आप क्लैरिफिकेशन पूछिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जब आप लोग बोलते हैं, तो आपको सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए।...(व्यवधान) हम एक घंटा पन्द्रह मिनट से आपको सुन रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, सभी ने भाषण कर लिया है और आपका भाषण भी हो गया है। मैंने आपको बोलने का मौका इसलिए दिया था कि अगर आपका कोई क्लैरीफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं। I am allowing you only for clarification. आपने भाषण देना शुरू कर दिया है। आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। मैं आपको भाषण देना अलाऊ नहीं कर सकती हूं।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, खड़गे जी एक क्लैरीफिकेशन पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं क्लैरीफिकेशन ही पूछ रहा था। किसी योजना के तहत अगर कोई कार्यक्रम चलता है, वह कार्यक्रम सौ साल से भी चल सकता है, पचास साल से भी चल सकता है, आप भी गुजरात

---

[*] Not recorded.

के मुख्यमंत्री थे, वहां की गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है।...(व्यवधान) मनरेगा वही कार्यक्रम है जो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने विजिलेंस कमीशन अभी तक नहीं बनाया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण नहीं पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने इंफोर्मेशन कमीशन के सामने जा कर नहीं बताया कि कौन करप्ट है, ब्लैक मनी किसके पास है, सभी को आप घेर सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माइक नहीं चल रहा है, आप किस लिए बोल रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Members, a number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I have one amendment to be put separately. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है, इस समय भाषण नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों का कर्जा माफ करेंगे? उत्तर प्रदेश ने अभी किसानों का 1650 करोड़ रुपयों का कर्जा माफ किया है और एक कानून बना दिया है।...(व्यवधान) क्या आप लोग शोर मचा कर हमें दबा लेंगे? आप सभी एक हो जाओ, तब भी हमें नहीं दबा सकते हो।...(व्यवधान) हम यहां से अकेले शोर मचाएंगे और आपको नहीं बोलने देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों की जमीन नीलाम हो

रही है और अमीर लोगों का कर्जा किसानों से ले रहे हैं। हमने इसी कारण उत्तर प्रदेश में किसानों का 1650 करोड़ रुपयों का कर्जा माफ कर दिया है और कानून बना दिया है कि किसान पर चाहे सरकारी कर्जा हो या गैर सरकारी कर्जा हो, किसानों की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती है। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना दिया है और साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा हिंदुस्तान के किसानों के लिए करेंगे?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I want my Amendment No. 173 to be put separately to the vote of the House.

It says that there is no mention in the Address about the need to provide funds for development of tribal areas of Koraput, Rayagada, Nawarangpur and Malkangiri, Kalahandi, Nawapada, Bolangir, Sonepur and Baragarh. This is the most neglected part of this country. When we talk about tribal areas, it is not just about the North-East. There are large sections of tribals who live in the Central part of the area, that is, the KBK region. I would expect the Prime Minister to have more attention to this region.

HON. SPEAKER: Shri Jay prakash Narayan ji, do you want to move your amendment? जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप अपना अमेंडमेंट नम्बर बताएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : मैं अमेंडमेंट नम्बर 1, 4, 5, और 15 अलग से रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभिभाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने का और साथ-साथ जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने की कि पूर्व के राज्यों को हमें देखना है, तो आज मेरा सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि वे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की घोषणा करें और साथ ही पूर्व के सभी प्रदेशों को भी विशेष राज्य का दर्ज़ा दें।

अध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ हमारा जो बांका संसदीय क्षेत्र है, वहां पीने के पानी का घोर अभाव है।...(व्यवधान) वह आदिवासी इलाका है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I want my Amendment Nos. 226, 234 and 239 to be put separately to the vote of the House.

My Amendment No. 234 says:

"That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:--

but regret that there is no mention in the Address about the need to maintain the secular fabric of the country being threatened by incidents of 'Ghar Wapsi' and attacks on Churches."

You have lectured us on maintaining communal harmony. That lecture should be addressed to RSS and the Vishwa Hindu Parishad. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am moving Amendment Nos. 142, 144, 154, and 157. Amendment No. 144 is very important. There is no mention in the Address about making provision of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the private sector.

HON. SPEAKER: No, you have already moved your two Amendments. Now you cannot move your other Amendments.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, a Member has got every right to move the amendment. But there is no procedure for giving a speech. That has to be taken note of. … (*Interruptions)*

HON. SPEAKER: I will put all the amendments to vote.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Please sit down. You only tell me the Amendment Number. That is all.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Amendment Numbers will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … [*]

[*] Not recorded.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अमेंडमेंट नंबर 29। महाराष्ट्र में किसान सूखे से परेशान है।

HON. SPEAKER: Rajeev Satavji, you were not present at that time when the Amendments were moved. Your Amendment was not moved at all. I am sorry, it is not here.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendments No.1, 4, 5 and 15 moved separately by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The Amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 173 moved separately by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendments No. 226, 234 and 239 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The Amendments were put and negatived.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I want Division on Amendment No.234.

HON. SPEAKER: Now Division. Let the Lobbies be cleared. :–

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

HON. SPEAKER: Now the Secretary General will explain how to vote. The Members may please listen to him.

SECRETARY GENERAL: Kind attention of hon. Members is invited to the following points in the operation of Automatic Vote Recording System. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the hon. Speaker says 'Now Division', the Secretary General will activate the voting button whereupon red bulbs above display boards on both sides of the hon. Speaker's Chair will glow and a 'gong' sound will be heard simultaneously. For voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously only after the sound of 'gong', I repeat, only after the sound of the 'gong'- Red vote button in front of every hon. Member on the head of the phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of the desk of the seat:

For 'aye', green colour button

For 'no', red colour button

For 'abstentia', yellow colour button

It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard and the red bulbs above plasma display are off.

Hon. Members may please note that their votes will not be registered if buttons are pressed before the first gong and both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

Hon. Members can actually see their vote on the display installed on either side of the hon. Speaker's Chair. In case the vote is not there, they may call for the voting through slips.

HON. SPEAKER: Okay, now, I shall put the amendment moved by Prof. Saugata Royji to the vote of the House.

The question is:

"That Amendment No. 234 moved by Prof. Saugata Roy be adopted."

HON. SPEAKER: I think, the 'Noes' have it; the 'Noes' have it; the 'Noes' have it.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I want Division. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

"That Amendment No. 234 moved by Prof. Saugata Roy be adopted."

The Lok Sabha divided :

DIVISION **AYES** **15:32 hrs.**

Ahamed, Shri E.

*Ali, Shri Idris

*Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Kalyan

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Dev, Kumari Sushmita

Dhruvanarayana, Shri R.

Faizal, Mohammed

Gandhi, Shri Dharam Vira

Gandhi, Shrimati Sonia

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hooda, Shri Deepender Singh

*Innocent, Shri

*Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

---

* Voted through slip.

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Majhi, Shri Balbhadra

Mani, Shri Jose K.

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Nagesh, Shri Godam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Patil, Shri Bheemrao B.

Prabakaran, Shri K. R. P.

*Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Rajesh, Shri M. B.

Ramachandran, Shri Mullappally

*Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

*Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Sahu, Shri Tamradhwaj

Salim, Shri Mohammad

*Sampath, Dr. A.

---

* Voted through slip.

*Sanghamita, Dr. Mamtaz

Satav, Shri Rajeev

Satpathy, Shri Tathagata

*Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

*Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thomas, Prof. K.V.

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yellaiah, Shri Nandi

* Voted through slip.

Noes

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

*Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

*Bhuria, Shri Dileep Singh

*Bidhuri, Shri Ramesh

*Birla, Shri Om

* Voted through slip.

*Bohra, Shri Ramcharan

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

*Chauhan, Shri P. P.

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

*Choudhary, Shri Babulal

Chudasama, Shri Rajeshbhai

@Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Dhotre, Shri Sanjay

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

---

*Voted through slip.

@Corrected through slip.

*Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Geete, Shri Anant Gangaram

Geetha, Shrimati Kothapalli

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gupta, Shri Sudheer

Haribabu, Dr. Kambhampati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

*Jat, Prof. Sanwar Lal

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

---

* Voted through slip.

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Shri Dharmendra

*Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lokhande, Shri Sadashiv

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Maurya, Shri Keshav Prasad

*Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

*Mishra, Shri Kalraj

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

* Voted through slip.

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

*Narasimham, Shri Thota

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

*Pandey, Shri Rajesh

*Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

*Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

---

* Voted through slip.

Patel, Shrimati Jayshreeben

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

*Patole, Shri Nana

*Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Rai, Shri Nityanand

*Raj, Dr. Udit

*Raj, Shrimati Krishna

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Ram, Shri Janak

*Ram, Shri Vishnu Dayal

*Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao, Shri M. Venkateswara

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Renuka, Shrimati Butta

---

* Voted through slip.

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sawant, Shri Arvind

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shetty, Shri Raju

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Nepal

[@]Singh, Dr. Yashwant

[*]Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Shri Abhishek

*Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

[@] Corrected through slip.

[*] Voted through slip.

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Supriyo, Shri Babul

*Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

---

* Voted through slip.

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Teli, Shri Rameshwar

*Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

*Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

*Usendi, Shri Vikram

*Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

@Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

*Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

@Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Ram Kripal

*Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Jayavardhan, Dr. J.

Maragatham, Shrimati K.

Sathyabama, Shrimati V.

---

*Voted through slip.
@ Corrected through slip.

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 61

Noes: 203

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall put all the other amendments which have been moved together to the vote of the House.

The question is:

"That all the other amendments which have been moved be adopted."

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put the Motion of Thanks on the President's Address to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Preisdent for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament Assembled together on February 23, 2015."

The motion was adopted.

---

* * The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 061 + S/Shri Idris Ali, Anto Antony, Innocent, P. Karunakaran, N.K. Premchandran, Rajesh Ranjan, A.P. Jithender Reddy, Dr. A. Sampath, Dr. Mamtaz Sanghamita, Shri Jyotiraditya M. Scindia, and Shrimati P.K. Srimathi Teacher - S/Shri Bandaru Dattatreya, Yashwant Singh and Bhanu Pratap Singh Verma = **069**

Noes: 203 + S/Shri Karadi Sanganna Amarappa, Dileep Singh Bhuria, Ramesh Bidhuri, Om Birla, Ramcharan Bohra, P.P. Chauhan, Babu Lal Choudhary, Shri Bandaru Dattatreya, Jayadev Galla, Prof. Sanwar Lal Jat, S/Shri Rahul Kaswan, Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Arjun Lal Meena, Kalraj Mishra, Thota Narasimham, Rajesh Pandey, Ravindra Kumar Pandey, Ram Chandra Paswan, Nana Patole, Dr. Bhagirath Prasad, Dr. Udit Raj, Shrimati Krishna Raj, S/Shri Vishnu Dayal Ram, Konakalla Narayana Rao, Dr. Yaswant Singh, Kunwar Bhartendra Singh, Shri Bharat Singh, Shrimati Sushma Swaraj, S/Shri Ajay Mishra Teni, Manoj Tiwari, Vikram Usendi, Dr. Harsh Vardhan, S/Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Pravesh Sahib Singh Verma, Chintaman Navasha Wanga and Shri B.S. Yediyurappa = **239**

Abstain: 004 - Shri Chintaman Navasha Wanga **= 003**

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please maintain order in the House.

The House shall now take up Private Members' Business.

15.40 hrs

MOTION RE: COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Madam, I beg to move:

> "That this House do agree with the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th February, 2015. "

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th February, 2015. "

The motion was adopted.

15.41 hrs (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 11, Shri Yogi Adityanath – Not present.

Item No.12, Shri Sunil Kumar Singh.

PRIVATE MEMBER'S BILLS -Introduced

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं कागज ढूंढ रहा हूं।

15.42 hrs.

(i) Compulsory Military Training Bill, 2014*

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to make military training compulsory for all able-bodied citizens and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.42 ½ hrs.

(ii) Rural Electrification Bill, 2014*

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बत्ती का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण का गठन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Rural Electrification Authority to ensure uninterrupted electricity supply to farmers for their agricultural activities and at least one single point light connection to every household in rural areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.43 hrs.

(iii) Non-Resident Indians (Voting Rights and Welfare) Bill, 2014*

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने और उन देशों में, जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for voting rights and setting up of a National Commission for Non-Resident Indians for the purpose of providing assistance to them in the countries where they reside and work and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.43 ½ hrs.

(iv) Right to Work Bill, 2014*

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक पात्र नागरिक को काम का अधिकार और प्रत्येक नागरिक को समुचित काम दिए जाने तक भत्ते के संदाय, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा नीति का सृजन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the right to work to every eligible citizen and for payment of allowance till such time as appropriate work is provided to every citizen, constitution of Right to Work Fund, creation of Right to Work Insurance Policy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री भोला सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.44 hrs.

(v) Intangible Cultural Heritage (Protection, Preservation and Promotion) Bill, 2015*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to provide for the protection, preservation and promotion of various forms of intangible cultural heritage in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to provide for the protection, preservation and promotion of various forms of intangible cultural heritage in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I introduce the Bill.

15.44 ½ hrs.

(vi) Medical Therapy Practitioners and Clinics (Regulation and Control) Bill, 2014*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation and control of medical therapy practitioners and medical therapy clinics in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation and control of medical therapy practitioners and medical therapy clinics in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

15.45 hrs.

(vii) Free and Compulsory Education for Children of Parents Living Below Poverty Line Bill, 2014*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory education from pre-primary to senior secondary level and career guidance to the children of parents living below poverty line.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory education from pre-primary to senior secondary level and career guidance to the children of parents living below poverty line. "

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

15.45 ½ hrs.

(viii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of article 148)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.46 hrs.

(ix)Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operations) Bill, 2015*

SHRI RAJU SHETTY (HATKANANGLE): @I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate entry and operation of foreign educational institutions imparting or intending to impart higher education (including technical education and medical education and award of degree, diploma and equivalent qualifications by such institutions) and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate entry and operation of foreign educational institutions imparting or intending to impart higher education (including technical education and medical education and award of degree, diploma and equivalent qualifications by such institutions) and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RAJU SHETTY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.
@ English translation of the speech originally delivered in Marathi.

15.46 ½ hrs.

(x) Two Child Norm Bill, 2014*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for promotion of two child norm to control population in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of two child norm to control population in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

15.47 hrs

(xi) Children Protection Bill, 2014*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection of children from exploitation, domestic violence, trafficking for prostitution, corporal punishment and kidnapping and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of children from exploitation, domestic violence, trafficking for prostitution, corporal punishment and kidnapping and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.
** Introduced with the Recommendation of the President.

15.47 ½ hrs.

(xii) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new article 14A, etc.)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB I introduce the Bill.

15.48 hrs.

(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new article 21B)

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.48 ½ hrs.

(xiv) Insurance (Amendment) Bill, 2015[*]
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938."

The motion was adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH: I introduce the Bill.

15.49 hrs.

(xv) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of Order XXI)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908."

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalikesh Narayan Singh Deo – Not present.

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.49 ½ hrs.

(xvi) High Court of Madhya Pradesh (Establishment of a Permanent Bench at Bhopal) Bill, 2015*

श्री आलोक संजर (भोपाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भोपाल में उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Bhopal".

The motion was adopted.

श्री आलोक संजर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.50 hrs.

(xvii) Domestic Workers (Welfare and Regulation of Employment) Bill, 2015*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of domestic workers, regulation of conditions of their employment and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of domestic workers, regulation of conditions of their employment and for matters connected therewith or incidental thereto".

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.50 ½ hrs.

(xviii) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new article 21B)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

15.51 hrs.

(xix)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of the Eighth Schedule)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.
** Introduced with the Recommendation of the President.

15.51 ½ hrs.

(xx)Special Financial Assistance to the State of Uttarakhand Bill, 2015*

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM (GARHWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Uttarakhand for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for the development, exploitation and proper utilisation of its resources.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Uttarakhand for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for the development, exploitation and proper utilisation of its resources."

The motion was adopted.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM: Sir, I introduce** the Bill.

15.52 hrs.

(xxi) Electronic Waste (Handling and Disposal) Bill, 2015*

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM (GARHWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of electronic waste being generated by discarded electronic devices by prescribing norms and fixing responsibilities and duties on manufactures, re-cyclers and consumers with regard to disposal of electronic waste and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of electronic waste being generated by

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

** Introduced with the Recommendation of the President.

discarded electronic devices by prescribing norms and fixing responsibilities and duties on manufactures, re-cyclers and consumers with regard to disposal of electronic waste and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM: Sir, I introduce the Bill.

15.52 ½ hrs.

(xxii) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015[*]
(Insertion of new section 56A)

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006."

The motion was adopted.

श्री सी.आर. पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.53 hrs.

(xxiii) Free and Compulsory Education for Disabled and Needy Children Bill, 2015*

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory education from primary to intermediate level to disabled and needy children and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory education from primary to intermediate level to disabled and needy children and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY : Sir, I introduce the Bill.

15.53 ½ hrs.

(xxiv)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new article 21B)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.54 hrs.

(xxv) Constitution (Amendment) Bill, 2015[*]
(Amendment of the Preamble, etc.)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 39, Shri Sankar Prasad Datta – not present.

Item No. 40, Shri Sankar Prasad Datta – not present.

Item No. 41, Shri Sankar Prasad Datta – not present.

15.54 ½ hrs.

(xxvi) Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015*

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Andhra Pradesh for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of citizens, developing a new capital city at Vijayawada for the State of Andhra Pradesh and for the development, exploitation and proper utilisation of its resources.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Andhra Pradesh for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of citizens, developing a new capital city at Vijayawada for the State of Andhra Pradesh and for the development, exploitation and proper utilisation of its resources."

The motion was adopted.

SHRI M. MURLI MOHAN: I introduce the Bill.

15.55 hrs.

(xxvii) Children Belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation and Compulsory Display of Seats by Educational Institutions) Bill, 2015*

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों को आरक्षण प्रदान करने तथा सीटों का अनिवार्य संप्रदर्शन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation and compulsory display of seats for the children belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for admission in educational institutions and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सदाशिव लोखंडे : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.55 ½ hrs.

(xxviii) Prohibition on religious conversion (By Inducement or Force) Bill, 2015*

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्प्रेरणा या बल से धर्म-संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition on religious conversions by inducement or by force and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सदाशिव लोखंडे: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.56 hrs.

(xxix) Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Compulsory Notification and filling up of Reserved Vacancies) Bill, 2015*

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केंद्रीय सरकार के अधीन सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना और रिक्तियों को भरे जाने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory notification and filling up of vacancies reserved for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in services and posts under the Central Government and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सदाशिव लोखंडे: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.56 ½ hrs.

(xxx) Central University (Amendment) Bill, 2015*

श्री आलोक संजर (भोपाल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

The motion was adopted.

श्री आलोक संजर : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.57 hrs.

(xxxi) Prevention of Influx of Foreign Nationals into the country Bill, 2015*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विदेशी राष्ट्रिकों का अनधिकृत प्रवेश रोकने और उनके विवासन तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be grated to introduce a Bill to check unauthorized entry of foreign nationals into the country and for their deportation and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.58 hrs.

(xxxii) Youth Welfare Bill, 2015*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive policy for the development of the youth in the country. "

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

15.59 hrs.

(xxxiii) Eradication of Unemployment Bill, 2015*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की स्कीम का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide a scheme for eradication of unemployment from the country. "

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.00 hrs.

(xxxiv) Promotion of Two Child Norm Bill, 2015*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो संतान सन्नियम का संवर्धन किए जाने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of two child norm to control population in the country and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

16.01 hrs.

(xxxv) Beedi Workers Bill, 2014*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का सृजन तथा देश में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण हेतु निधि को प्रशासित करने के लिए एक बोर्ड भी गठित किए जाने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a bill to provide for constitution of the Beedi Workers' Welfare Fund and also a Board to administer the Fund for welfare of beedi workers in the country and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.02 hrs.

(xxxvi) Private Schools (Regulation) Bill, 2014*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राइवेट विद्यालय के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the functioning of private schools and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.02.2015.

16.03 hrs

SENIOR CITIZENS (PROVISIONS OF GERIATRIC AND DEMENTIA CARE) BILL, 2014 -- Contd.

HON. CHAIRPERSON : Now, the House will take up further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Bhartruhari Mahtab on the 12th December, 2014. Shri Bhartruhari Mahtab to continue his speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, thank you. I stand here again to deliberate on the Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014. This Bill was moved last year in the Winter Session and I had just initiated the discussion while presenting this Bill for consideration of this House. I would start saying the population of senior citizens as a percentage of the total population which was at 7.5 per cent during the 2001 census is likely to increase to 12.40 per cent in 2026 as per the Report of the Technical Group constituted by the National Commission on Population. Here I would specifically mention about the United Nations' projection which says that by 2050 the overall population in India will grow by 55 per cent, but the 60 plus group will grow by 326 per cent and 80 plus group will grow by 700 per cent. Because life expectancy is growing, that is why, this number of elderly people will grow in another 15 years, in another 30-35 years. With increased life expectancy, elderly people also become vulnerable to a whole array of diseases and infirmities and need special care. Dementia is a major cause of disability in older people. Dementia is a brain disorder and the most devastated illness of old-age. As it worsens, individuals neglect themselves and become disinhibited, incontinent, restless or wander about by day and sometimes by night.

Although there is no prevention or cure, systematic care coupled with sympathy and understanding can make a difference in the lives of the patients. This is not a hereditary problem but care has to be taken to prevent it. There is necessity to create awareness about the disease. Dementia does not affect the

patients but also their families. The number of people with dementia is expected to be almost doubled to 65.7 million people by 2030, the World Health Organisation has reported. The WHO has said that worldwide, nearly 35.6 million people live with dementia. This is expected to double by 2030 and triple by 2050, that is, 115.4 million.

Dementia is a syndrome usually of a chronic nature caused by a variety of brain illnesses and that affects memory, thinking, behaviour and ability to perform everyday activities. From dementia, it graduates to Alzheimer. Alzheimer disease is the most common cause of dementia and possibly contributes up to 70 per cent cases. Therefore, there is an urgent need to come out with an Action Plan against degenerative diseases like Alzheimer.

In our country, awareness about dementia is very low. In our country, 90 per cent cases of both Dementia and Alzheimer are still unidentified. It is still very distressing as about 3.7 million Indians aged over 60 comprise 2.1 million women. There is a need to bridge up that glaring service gap between the care received and the care needed.

Some initiatives that should be taken immediately are: Promotion of nationwide awareness of this disease; develop policies and legislation for people with dementia and inclusion of dementia care in the next planning period nationally. At old age, those who suffer from this disease lose their dignity as they have to be dependent on others. Therefore, special treatment both medically and emotionally should be given to them. Our country needs to devise appropriate social and economic policies to allow the rapid increase in the number of elderly people who will make up as much as a fifth of the population by the middle of this century. By 2050, about 20 per cent of our population will be above 60 years of age. Though we take credit that because of the population dividend we are a young nation today but slowly this young nation will also become an old nation in comparison to the younger generation of this age by another 15-20 years but very rarely any attention is being given or talked about how to take care of the older

people of this country. Although India will be the youngest country in the world by 2020 with a median age of 29 years, the number of elderly people is likely to increase significantly after that. Are we aware about it? By 2021, the elderly people in the country will be 143 million, that means 14 crore 30 lakh. The elderly population has already crossed the 100 million mark in 2014 out of which 51 million live below the poverty line. When we are all happy that longevity has increased, long years of hopelessness, bereft of family and society, it has also increased our pain. The greatest expectation from the State is that of free medical treatment followed by healthcare.

The aged or elderly people cannot be clubbed – this is another issue which needs to be addressed – as a single uniform category. The aged in rural areas have a different problem as compared to those in the cities. The condition of people who have retired from salaried jobs is very different from those in unorganized sector who never retire. Aged women have altogether different problems in comparison to men. Aged people in upper income brackets are very different from those in the middle and lower income groups. There is no doubt that elderly abuse is on the rise. But the phenomenon has, so far, been viewed generally from one angle only, that is, from the perspective of the elderly.

Sir, I have certain suggestions to make which I have put forth in my Bill. Those suggestions specifically relate to two Ministries. One Ministry is, of course, the Ministry of Health and Family Welfare. The Health Minister is present here and I hope he will also be intervening in this discussion. My suggestions also pertain to the Ministry of Social Justice and Empowerment. I was expecting the Minister of Social Justice and Empowerment also to be present here because today it is only the Ministry of Social Justice and Empowerment which deals with or provides support to certain NGOs dealing with old age benefit programmes. Therefore, I have mentioned that care needs to be taken. Appropriate Governments should set up a Geriatric Care Unit in every District Headquarters Hospital to provide care to geriatric disorder of senior citizens. Every Hospital which is run by

the Government or private entities with a capacity of 200 beds for in-patient treatment should have a Department of Geriatrics. The appropriate Government should constitute Day Care Centres for senior citizens in every district headquarters because in the cities specifically we have nuclear families where both husband and wife go out to work leaving the elderly person at home and if he is suffering from Dementia or Alzheimer's disease, he is left to the care of none. Even if there is a nurse, whether male or female, sometimes they also neglect and this has happened in Delhi recently where a retired person from a high ranking job was in the house who was supposed to be taken care of by the male nurse there. That male nurse left him unattended, so that elderly person migrated out of the house and was found in Sabzi Mandi area after three or four days and he passed away due to hunger. He was loitering there and he was unable to explain his case to people over there and so he died.

These kinds of incidents are happening in our country. That is why I have suggested that there is a need to set up Day Care Centres for senior citizens in every district headquarters. Some attempt should be made in this direction. Then, every State should develop at least one medical college situated in the State with facilities for imparting education in geriatric medicine and also imparting training in geriatric care to nurses and other para-medical staff. This is one of the areas which needs urgent attention today. Though the children of the elderly parents want to take care of their parents because they suffer from Alzheimer's disease or Dementia and they want to recruit nurses, either male or female, they do not find such trained nurses who can take specific care of these types of patients who need a different type of attention and care. At the same time, I have also mentioned that a sub-speciality Dementia Care Unit should be constituted under Section 3 that I have earlier mentioned. There is a need today for survey because this type of survey has never been done in our country. As the number of elderly persons is growing day by day, and we know in another 15 years or another 30 years how big the number would be, there is a necessity that we have a census that how many of

them are actually suffering from this disease. Once we have that number, I think adequate steps can be taken by appropriate Government, by the Central Government and attention can also be drawn so that you have a database and you can proceed accordingly.

My suggestion would be, they need special care. Every family will not be in a position to provide that much of financial support to take care of them. I think the Government also has a responsibility to come in, in a big way, to support those families because it affects both rich and poor. Specifically, when we have an elderly pension scheme, specifically those who suffer from this disease should be identified and should be provided with a separate financial support from the Government.

Sir, I would also mention here that the duty of the children also has to be specified. Many a time in our country, we have heard, we have read in newspapers and many a time the audio-visual media also has put forth, when there is a Kumbh Mela, a large number of elderly people are just left there. They are not taken care of; they are just forgotten. They are left in that big crowd. Many of them do not remember where they have come from. Though how much pride we may have on our past civilization, today the situation is that many children do not take care of their parents, specially when they find that the elderly person is a botheration for their life. So, here I have suggested, and I would invite our hon. Members also to comment on this, the responsibility has to be fixed. If some children do not take care of their parents, there should be a punitive action against them. Somebody has to initiate that. This abandonment and disregard of dementia patients by their children should be an offence which shall be punishable with imprisonment up to six months or fine up to Rs. 5000 or both. These are certain suggestions which I have made; these are certain conditions which I have put forth in my Bill. Here I would commend this Bill for deliberation in this House.

Other than the State responsibility, as I said, the onus also should be fixed on the children. I expect that the Government will come forward with this Bill. It will create awareness in our country. This is a very less spoken about subject in our country. In the Western world, this is one of the major issues because the society is greying and in a greying society where a large number of elderly people live, the State also takes care of them. Our attention today has been that we take care of our children; we take care of our youth. But a large number of people also are crossing the age of 60 and a large number of people also are crossing the age of 80. They not only require health care, they also require emotional care. That emotional care can be provided by their children, by the nursing facility if we train adequately such nurses. But they need to live a dignified life and the State has a responsibility as a welfare State. I would commend this Bill for the consideration of this House.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to provide for care of senior citizens suffering from dementia and provision of geriatric care facilities and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, महताब जी ने यह जो बिल इंट्रोड्यूज़ किया है, इसके लिए हमें अपनी मानवीय व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह केवल सरकार की चीज़ नहीं है। यह सरकार और समाज दोनों की ही जिम्मेदारी है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के पास श्रीकृष्ण गए थे, उन्होंने समाचार पूछा तो गांधारी ने उनको कहा था - केशव जरा कष्टम्, कष्टम् निर्धन जीवनम्, पुत्रशोकम् महाकष्टम्, कष्टाति कष्टम् क्षुधाः। उसमें से जो तीन चीजें हैं, एक वृद्धावस्था हो, ऊपर से गरीबी हो और दूसरे में वे भूख के कारण पीड़ित हों, इन तीनों कारणों से वे वृद्धावस्था में कष्ट पाते हैं। वृद्धावस्था में लोग समृद्ध और संपन्न रहते हुए भी वे कष्ट भोगते हैं। वे इसलिए कष्ट भोगते हैं, क्योंकि उनकी समुचित देखभाल करने के लिए उनके परिवार की ओर से व्यवस्था नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली हैं और ईश्वर की उन पर कृपा है कि उनके बच्चे वृद्धावस्था में उनकी देखरेख के लिए किसी एक रक्षक को या किसी सेवा करने वाले को रख देते हैं जो उन पर ध्यान देते हैं। आदमी की अवस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वृद्धावस्था आने लगती है। सबसे पहले उनकी स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। यह सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, इतनी खोज की लेकिन आज तक दुनिया में विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसी दवा की खोज क्यों नहीं कर पाया? आज के इस तकनीकी युग में, यह विज्ञान की असफलता है। बहुत से बड़े-बड़े लोग हैं, हमारे कई राजनीतिक नेता हैं, जो स्मरण शक्ति के अभाव में पीड़ित हैं और कई वर्षों से उस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन जो इस पीड़ा को झेलते हैं, उनको भी यह अहसास नहीं होता है कि उन्हें इसके कारण कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उनके पास स्मरण शक्ति ही नहीं होती है और मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है कि कुछ वे सोच नहीं पाते हैं। मैं महताब जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को सदन में रखा और इसके जरिए संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। इसके लिए सरकार के तौर पर भी काम होना चाहिए और जो इतनी स्वयंसेवी संस्थाए हैं, हजारों-हजार करोड़ रूपए विदेशों से लेते हैं और दुनिया भर के कामों में और इधर-उधर के कामों में खर्च करते हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें आगे बढ़ कर इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। ऐसे केंद्रों का निर्माण करना चाहिए, जो विधेयक में इन्होंने सुझाए हैं। वहां पर ऐसे वृद्ध लोगों को रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। जो आदमी गरीब है, अगर उसके माँ-बाप इस रोग से पीड़ित हो गए और भुलक्कड़ हो गए तो वह अपने खेत में काम करने के लिए बाल-बच्चे समेत जाएगा कि अपने माँ-बाप की देखभाल करेगा? अगर माँ-बाप की देखभाल करने के लिए घर में बैठा रहेगा तो परिवार का पालन कैसे

करेगा? ऐसे जो लोग गरीबी और निर्धनता में हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने ठीक ही कहा कि सरकार की तरफ से जिले में कोई केंद्र बनाया जाए, जिनको कहते हैं कि सेवा आश्रम के जैसे बनाया जाए, और ऐसे वृद्ध लोगों को को वहां ला कर रखा जाए। वहां उनकी सेवा करने के लिए नर्स हो या डॉक्टर हो या कोई और सेवा करने वाले हों, जो उनके खान-पान को देखे, कपड़े समय पर पहनाए, उनको नहलाए-धुलाए, उनको देखे-सुने, उनकी सेवा-सुश्रुशा करे। इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, हिंदुस्तान में संयुक्त परिवार की जो हमारी व्यवस्था थी, वह ज्यों-ज्यों टूटती गयी, त्यों-त्यों व्यक्ति अकेला होता गया। आज परिवार नहीं है, आज व्यक्ति अकेला है। जब मैं बचपन में था, मैं गाँव में पला-बढ़ा, हमारे तीन दादा थे और मेरे सात चाचा थे, मेरे पिताजी और उनके एक भाई थे, कुल नौ लोग थे, लेकिन मैं देखता था कि सबके सब एक बड़े आँगन में ही रहते थे। वहीं खाते थे, वहीं सब बच्चे खेलते थे और सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन आज व्यक्ति अकेला है, परिवार है नहीं, शहरीकरण के कारण से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि यूरोप में बूढ़ा मर जाता है तो पाँच दिन के बाद पता चलता है कि इस घर से बदबू आ रही है, उसे खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बूढ़ा मरा पड़ा है। उसकी लाश सड़ जाती है। हिन्दुस्तान में भी धीरे-धीरे वह मानसिकता फैल रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमको सांस्कृतिक तौर पर भी इस बात का प्रचार करना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। हमारा वह संस्कार छूट गया है कि वृद्धों की सेवा करें, निर्बल की सेवा करें, निर्धन की सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, इसे इस तरह से जोड़ा गया था कि इससे धर्म लाभ होता है। आज मान्यताएं बदल गई हैं, आज भौतिकवादी युग है। उस मान्यता के आधार पर समाज में ऐसा हो तो मुझे लगता है कि विद्यालयों में भी इस तरह की कोई पढ़ाई पढ़ाई जाए कि बचपन से ही उनकी मनोवृत्ति बदले, उनका संस्कार बदले, उनका स्वभाव बदले, उनकी प्रवृत्ति बदले और वृद्ध लोगों के प्रति उनके मन में स्नेह हो, सम्मान हो, सेवा-भाव हो। यह जागृत होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। ज्यों-ज्यों लोगों की आयु बढ़ी है, मृत्यु-दर कम हुई है, त्यों-त्यों एक समस्या है कि बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मुझे संयोग से श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्री बनाया था, उनकी सरकार में मैं पूरे कार्यकाल मंत्री रहा। एक-दो बार विदेश जाने का मौका मिला। एक-दो जगह गया तो मैंने देखा कि वृद्ध पुरूषों और वृद्ध नारियों का झुण्ड एक साथ चलता था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थीं, मेरे पी.एस. भी साथ थे, मैंने पूछा कि कैसे देश में हम चले आए, यहाँ तो जितने भी बूढ़े हैं, वे सब घर बार छोड़कर केवल सड़क पर भटक रहे हैं। आखिर इनका कहीं ठौर-ठिकाना है या नहीं है, इन्हें कोई रखने वाला है या नहीं, इनका

घर-परिवार होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। ये सब मिलकर जमात बनाते हैं और गिरोह बनकर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, न परिवार वालों को इनकी चिन्ता है, न इनको परिवार से कोई मोह है। वहाँ जाकर लोग देखकर आते हैं और इसी कारण से हमारे यहाँ भी मोह छूट गया है। भाई-भाई के बीच में वह हिन्दुस्तान वाला प्रेम नहीं है। इसको कैसे किया जाए, यह समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए महताब जी ने कई उपाय भी बताए हैं। सरकारी स्तर पर उपाय किया जाए, सामाजिक स्तर पर उपाय किया जाए और जब तक उपाय नहीं किया जाएगा तो यह बढ़ता चला जाएगा, लोग कष्ट झेलते रहेंगे।

यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ इतने बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, सरकार के इतने प्रशासनिक अफसर हैं, जो अपनी योग्यता से, क्षमता से, विद्वता से, प्रतिभा से, प्रतिस्पर्धा से इतनी ऊँची-ऊँची जगहों पर आते हैं। उनको इतनी ऊँची कुर्सी पर बिठाकर इतना देते हैं। हिन्दुस्तान में इतने डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर्स को भी कहना चाहिए कि शोध करके आप कुछ न कुछ तो निकालिए। आयुर्वेद के जो बड़े-बड़े वैद्य हैं, जो जानकार लोग कहीं पर हैं, उनके पास भी इसका कुछ इलाज है। मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आयुर्वेद की किताब को पढ़ लिया है। खासकर रामदेव महाराज जी की जड़ी बूटी की एक मोटी पुस्तक है, मैंने उसका अध्ययन किया है। कई जड़ी बूटियों में ये गुण पाए गए हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थ में सबसे मूल बूटी ब्राह्मी बटी है। जिसका इस्तेमाल लोग वृद्धावस्था के समय में करते हैं ताकि उनकी स्मरण शक्ति कम न हो, वह बढ़े।

इसी तरह से आयुर्वेद में भी बड़े बड़े वैद्य और विद्वान हैं, उनसे यह खोज कराई जाए । एलोपैथी वाले भी निकालें। मेरा आग्रह होगा कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं या इस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध होगा कि यह एक चुनौती है, तो उस चुनौती और समस्या का निदान खोजना ही विज्ञान का कर्तव्य और धर्म होता है। दुनिया भर के सोचने वाले जो चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, इस पर कोई सैमिनार करें, कोई सम्मेलन करें। न हों तो भारत में ही उसको संगठित किया जाए, गोष्ठी का आयोजन किया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, इस पर विचार-विमर्श किया जाए और इसके बुनियादी निदान के लिए उपाय किये जाएँ। मैं साधारण किसान हूँ। मैं भी अब वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ। बीमारियों के बारे में सुनता हूँ तो रोज़ ध्यान करते हुए और पूजा करते हुए परमात्मा से कहता हूँ कि और कुछ करना न करना, ऐसी बीमारी कभी न देना, जो बुढ़ापे में कोई देखने वाला न हो और हमारी हालत खराब हो जाए, हमारी दुर्गति हो जाए। दुनिया के सामने जब यह चुनौती है कि इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए और कहीं न कहीं किसी को आगे बढ़ना चाहिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि भारत आगे बढ़े, नेतृत्व करे, दुनिया भर के ऐसे शोध करने वाले और इस

क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की गोष्ठी आयोजित करे। उनसे आग्रह करे कि इनके निदान निकालो। इतनी बीमारियों के लिए वैक्सीन निकल गए, कालाज़ार का हमने निकाल दिया, चेचक का निकाल दिया, पोलियो का निकाल दिया - पोलियो मुक्त भारत, कालाज़ार मुक्त भारत, चेचक मुक्त भारत, यह सब हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीमारी के लिए भी कोई खोज करके कोई ऐसी वैक्सीन नहीं निकाल सकते कि वृद्धावस्था में लोगों को यह वैक्सीन दे दी जाए कि उनको ये रोग न होने पाएँ, इस रोग से मुक्ति मिले। विज्ञान चाहे तो खोज सकता है लेकिन इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर लोगों ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं है। वे सोचते हैं कि यह तो कहीं कहीं है। जिस घर में है, उस घर में पड़े हैं, यह उनकी निजी समस्या है और उससे निपटना चाहिए। लेकिन यह निजी समस्या नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है, यह परिवार की समस्या है, यह परिवार की समस्या है। जब तक समाज में प्रतिबद्धता नहीं आएगी, जब तक सरकार में प्रतिबद्धता नहीं आएगी, तब तक ऐसी समस्याओं का समाधान हम ढूँढ़ नहीं सकते हैं। इतने पैसे खर्च होते हैं योजनाओं पर। महताब जी कह रहे थे कि केन्द्र बनाना हो, इनके इलाज के बारे में सोचना हो, सेवा सुश्रुषा केन्द्र हो, इसके बनाने में अगर कुछ खर्च होगा तो आखिर इतने बड़े बड़े जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ हैं या उद्योगपति हैं, उनको भी सोशल सैक्टर में काम करने का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए नियम है कि अपनी आय का दो प्रतिशत या पाँच प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में लगा सकते हैं, सोशल सैक्टर में लगा सकते हैं। उसमें इसको भी जोड़ दिया जाना चाहिए कि सोशल सैक्टर में काम करने में प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिए कि जो वृद्ध लोग हैं जो असहाय हैं, ऐसे वृद्ध लोग जो असमर्थ हैं, ऐसे वृद्ध जो अपंग हैं, ऐसे हैं जो निर्धन और गरीब हैं, गरीबी और निर्धनता के कारण उनको कोई देखने वाला नहीं है। न दवा करने वाले हैं न सेवा करने वाले हैं। उनको उठाकर सोशल सिक्यूरिटी फंड से ऐसे केन्द्र बनाए जाएँ कि उसमें उनको लाकर रखा जाए, देखभाल की जाए, दवा की जाए। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की जाए, इस दृष्टि से ममता और करुणा की दृष्टि से समाज को देखना पड़ेगा और सरकार को भी देखना पड़ेगा। केवल इस दृष्टि से नहीं देखना है कि बूढ़ा है। कोई आदमी कहे कि बूढ़ा हो गया, मर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे कहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। मैं बचपन से गाँव में पला और गाँव में बचपन से देखा जो बूढ़े लोग होते हैं, एक अवस्था के बाद जब उनकी तरफ देखता हूँ, उनकी तकलीफ और वेदना को देखता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है और ऊपर से इन जैसे भयंकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनकी दुर्दशा होती है।

महाभारत में सोच कर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को कहा था कि 'केशव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टा अति कष्टम क्षुधा'। सबसे ज्यादा कष्टदायक भूख है और

उसके साथ निर्धनता भी है और वृद्धावस्था भी जुड़ जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति का जीवन नरकमय हो जाता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि यहां बैठे जितने लोग हैं उन्हें एक न एक दिन इस अवस्था में पहुंचना ही है। जब मेरे सामने कुछ नौजवान आते हैं और बातचीत करने लगते हैं तो मैं कहता हूं कि तुम क्या बातचीत करते हो। तुम्हारी दुनिया को तो मैंने चालीस साल देखा है, लेकिन मेरी दुनिया को तुम्हें देखने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तुम्हारी दुनिया को मैं देख कर आया हूं और मेरी दुनिया तुम नहीं देख पाए हो। जब मेरी दुनिया में प्रवेश करोगे, तब आकर मुझसे बात करना। इसलिए तुम अभी नहीं समझोगे। इसलिए मेरी प्रार्थना सदन से भी है और सरकार से भी है तथा दुनिया भर के विज्ञानिकों और चिकित्सा शास्त्र के महापंडितों से भी है कि यह विश्व की चुनौती है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: हुक्मदेव जी, आप तो जवान हैं, फिर भी इस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : कौन जवान है?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: आप अभी जवान हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: कभी तो मैं बूढ़ा होऊंगा। आपको अगर मैं 76 साल की अवस्था में भी जवान दिख रहा हूं तो यही समझिए कि मैं पुराना भारत का नमूना हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: लगता है कि रेड्डी जी को ययाति की कहानी याद नहीं है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आपने सही कहा है कि ययाति अपने अंतिम समय में अपने पुत्र से जवानी उधार मांगी थी। महताब जी, यह भी वेदना की बात है कि एक ऐसी स्थिति आई थी कि ययाति को अपने पुत्रों से जवानी उधार मांगने की याचना करनी पड़ी थी और चार पुत्रों में से तीन पुत्रों ने इंकार कर दिया था। एक पुत्र अपनी जवानी देने के लिए तैयार हुआ था और उसे ययाति ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। प्रसंग कुछ अलग है।

मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए आया हूं क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक न एक दिन बुढ़ापा आने वाला है। सभी को इस बुढ़ापे के समय से गुजरना है, इसलिए सभी को मिलकर इसके निदान खोजने में लगना चाहिए। सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री जी इसे प्राथमिकता दे तथा भारत को इस विषय पर विश्व में सामने

आना चाहिए और विश्व को आमंत्रित करके एक सेमिनार आयोजित करें, इसका निदान निकालें। इस बात की व्यवस्था कैसे हो कि भारत के वृद्ध लोग कष्ट में न रहें, सुख से मरें, खुशहाल हो कर मरें और कम से कम जो इस देश में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, इस देश के लिए खून पसीना बहाया है, तो वह मरते समय कम से कम हंसते-हंसते भारत माता की गोद में अपने प्राण अर्पित करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I rise to support this Bill brought by Shri Bhartruhari Mahtab.

It is a Bill which, I consider, is something which has not come too soon. It was long overdue and, as has already been mentioned earlier by the hon. Member, Hukmdeo Narayan Yadav Ji who has stressed so much on the fact that there was a tradition in our country of taking care of the elders, I think somewhere along the line we have forgotten that.

The Statement of Objects and Reasons of this Bill is very, very clear. It is to take care of senior citizens and specially those who lapse into dementia, Alzheimer's and who cannot take care of themselves and therefore, need the support of both society, of the young, their children and of our medical and health facilities. Mahtab ji has also dwelt on the fact that we are going to become an aging society if we have not already reached there. But today if you see as to how much do we spend on the elders, it is less than 0.038 per cent of our GDP. This goes to show that somewhere along the line the Government has relied more on societies than on the Government's own initiatives.

As you know and it has been already pointed out in the initial speech of Mahtab ji that now there is slowly a break down in our society. The young do not have enough time. There is so much of competition and as a result the elderly are looked upon as not those who can give but as hindrance to the young in pursuing the goals that this globalised and modern world demands of them.

It is here, I think Mr. Mahtab has brought to our notice, that there is another set of elderly people and it is so interested that just before there was a little bit of a discussion between two Members. Do you know that the average age of a parliamentarian in this Parliament is above 65 years and with each year we will be growing one year more? Therefore, it is definitely in the ambit of ourselves and many of us must be already losing our minds in that view. Therefore, I completely support this Bill.

I would like to give two examples. The first example is why this Bill in particular resonates with me. When I saw this Bill, I came here, spent time, did a little bit of research and I have come here. The reason that it resonates with me is that I have a father who is 91 year old. But thank God he has not lost his mind. His mind is as sharp as perhaps 10 years ago and he remembers everything. He goes about his work on a daily basis. I thank the Prime Minister today because in his speech today he talked about going to a pension office yourself on an annual basis proving that you are alive and that he would do away with that. I know for a fact, not so long ago when I asked my father why does he have to go to the pension office to prove that he is alive; why cannot he self-certifies that he is alive or why not does he just phone up the person in charge and asks him to come there and see that he is alive'. This is something why this Bill resonates with me and this is because of the fact that how much at least I have given to the elderly including my mother who passed away some years ago. Therefore, each one of us has to go down this path as Hukmdeo Narayan Yadav ji has said. We have to go down this path and when we go down this path we need to build the security structures for the elderly. We need to give back to our society because as we go along the numbers are going to keep on increasing and it is going to stair at our face. As a Member of Parliament I think it is high time we took up this issue with that much of seriousness that it merits.

The second example I want to give you is about a friend of mine who is about my age. He went off to Australia for greener pastures. After many years, his parents wanted to come back because in Australia, they were lonely as by that time, they had already advanced into their eighties. After they came back, the mother fell into the dementia trap and the amount of times this gentleman had to come up and down just to ensure their well-being cannot be imagined because there was absolutely no structure which would give the necessary medicines or the necessary care. It was not available even when he wanted to pay money for it. Therefore, I think, this merits that we have a deep and hard look at it because we

need to build those structures. In doing so, the first step is to get the validation of numbers and the rate at which this is growing. This means that we need to have the data. To have the data, we need to have a survey done. I urge upon the Minister that this is within his ambit and it will not cost the Government more than maybe Rs. 50 lakh to get this survey done as to how many such kinds of elderly people are going through this process. Therefore, you can then design, after you have got these hard numbers, a response. As the Prime Minister has already mentioned, there is nothing that we cannot do if we look for the means and if we look for the solutions. I think, today in the flavour of the Prime Minister’s speech, we can find a solution to this particular problem.

The second is the question of setting up these care centres. Why would you have these care centres, if you did not have people to man them? Therefore, you need to have capacity building which means education. It means building awareness amongst our young, building awareness in schools and colleges. It also means ensuring that there are more and more such organisations, NGOs and others. Those in the civil society would also pull along. I know that there are many such young people who are actually doing this kind of work as well.

On the issue of the young people getting penalised, I am not quite sure. I think, the jury is still out there whether we can penalise people because they do not take care of them. Are there enough laws in our country, which are already there, which we can utilise for this purpose? I think, there is a moral responsibility on every child and that can only come, if we can raise our children, inculcating in them moral values. The quality of parenting, the quality of our schools and what we teach our children will ensure that this will never happen.

We have a long tradition of taking care of our elderly. I can assure you that if we can just look upon it not merely as a burden, but as something we need to give back to our society and to our elders, that would be much better. It is there in our traditions, especially in the tradition of mountains that we always give back to our elderly.

With these words, I would like to support this and through you, Chairman Sir, would like to inform the hon. Minister of Health and hon. Minister of Social Justice and Empowerment that this particular issue merits a lot of thought. It also merits a lot of exercise. If we can pass this Bill in its present form, there is nothing like it.

Thank you very much.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सदन के सामने भर्तृहरि महताब जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर से आज देश में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बहुत दयनीय है। विशेष तौर से अगर वह गरीब है और बीमारी से ग्रसित है तो उसकी हालत और भी अधिक खराब हो जाती है।

आज डिमेनशिया से अधिकतर बुजुर्ग पीड़ित रहते हैं। धीरे-धीरे उनके मस्तिष्क के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। अगर उनकी उम्र बढ़ते-बढ़ते 60 साल से 75 साल 80 साल हो गई, स्वाभाविक है कि इस उम्र में उनके घुटने काम नहीं करते हैं, वे ठीक से चल नहीं पाते हैं तो उनकी हालत और भी बहुत खराब हो जाती है। यह विधेयक सामयिक रूप से लाया गया है, इस पर सदन को विचार करने की जरूरत है। उसके लिए विभिन्न तरीकों से काम करने के लिए आवश्यकता है। आज परिवार टूट रहे हैं। आज नैतिक स्थिति यह है कि कोई भी बुजुर्ग के साथ नहीं रहना चाहता है, आज उसे सामाजिक स्तर पर भी देखने की जरूरत है। जहां हमकों उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, इस बीमारी से जो ग्रसित हैं उनको व्यवस्था करनी चाहिए और हमारे जो सामाजिक बंधन और पुरानी मान्यतायें रही हैं कि हम वरिष्ठों को सम्मान देते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको अपने साथ रखकर उनकी सेवा करते थे तो हम सबको भी उन सामाजिक मूल्यों को भी ठीक से समझना होगा, उनको लागू करने का प्रयास करना होगा। आज स्थिति यह है कि गरीबी की हालत को कौन कहे, ऐसे बहुत से लोग मिल जायेंगे जो सर्विस करते हैं, उनके पास बुजुर्गों के लिए समय नहीं रहता है और समय भी रहता है तो वे बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जब वे किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो जैसा अभी कहा गया कि उनके लिए नर्सेज या आया रखी जाए। नर्सेज और आया से तो उनकी थोड़ी-बहुत देखभाल कर लेंगे लेकिन उस अवस्था में उनको ममत्व चाहिए, उनको प्रेम चाहिए। उनकी सेवा भावना के आधार पर उनको अपनत्व का एहसास होगा, तभी उनकी बीमारी जल्दी दूर होगी। आज वह स्थिति नहीं है। आज लोगों के पास समय होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी, उनके साथ वे रहकर उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। यह भी गंभीर विषय है, इसको देखना चाहिए।

आज गरीबी की बात की जा रही है, उनको पेन्शन दी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-सारे लोग हैं, जिनको पेन्शन नहीं मिल पा रही है। वे 70 साल और 75 साल की उम्र में भी काम करने के लिए मजबूर है, खेत की कटाई करने के लिए मजबूर हैं। जिनके पास जमीन भी नहीं है, वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। जब उन्हें ऐसी बीमारी हो जाए तो उनकी हालत क्या होगी? मैंने बहुत से वृद्धों को देखा है

कि वे खेत की कटाई करने के लिए जा रहे हैं। जब हम गांव में भ्रमण करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और देखते है कि वे कहीं जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम खेत की कटाई करने के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं। आज इस बीमारी के कारण वृद्धों की ऐसी स्थिति हो गयी है। ऐसे लोगों की विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता है। उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 की बी.पी.एल. सूची में उनका नाम नही है। अभी वर्ष 2011 की बी.पी.एल. की सूची कन्फर्म नहीं हुई है। ऐसे लोगों को पेन्शन भी नहीं मिल पा रही है। उन लोगों को 500 रुपया भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों की हालत बहुत ही खराब है। उनके पास खाने के लिए नहीं है तो वे इस बीमारी का इलाज कैसे करायेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस विधेयक पर ठीक से चर्चा होनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। आप सब ने कहा कि बालकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता-पिता और दादा-बाबा की देखरेख करें, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। वे थानों और तहसीलों में चक्कर लगाते हुए दिख जाते हैं तो उनको पालन कराने का प्रयास होना चाहिए। यह राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार का निर्देश है, कानून तो बना ही है। निश्चित तौर, कानून के आधार पर उनको बंधन में बांधना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी उन पर बंधन लगानी चाहिए। इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों को भी आगे आना चाहिए, स्वयं सेवी संगठन आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी जितनी मात्रा में उस पर काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसके लिए लोगों को देखना चाहिए। पहले लोग सोचते थे कि हम कैसे सौ साल तक जियें, इसके लिए शोध होता था। माननीय देशमुख जी ने चित्रकुट में अरोग्य धाम की स्थापना करके शोध करने का एक प्लेटफार्म दिया था।

वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं सदन में उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने कहा था कि लोग सौ साल तक कैसे जिएं, बीमार न पड़ें और स्वस्थ रहें। इस पर शोध हो रहा था। वहां आज भी ऐसी जड़ी-बूटियां विद्यमान हैं। वह संस्थान आज दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से जरूर चल रहा है जिसमें विचार हो रहा है कि लोग सौ साल तक जिएं और उन्हें कोई बीमारी न हो। लेकिन आज लोगों को बीमारी हो रही है। आज आर्थिक, सामाजिक कारणों से वृद्ध लोग बीमार हैं और उनकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। इस पर विधेयक स्तर पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और कानून बनाकर उसका ठीक से पालन करना चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि उन्होंने ऐसे शिक्षकों को देखा था जिन्हें पैंशन लेने के लिए हर साल जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ता था। एक बार एक शिक्षक की उम्र ज्यादा हो गई थी और वे इसी बीमारी से पीड़ित थे। वे चल नहीं पा रहे थे, उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। वे 85-90 साल के थे। उन्हें कहा गया कि आपको जब तक प्रमाण पत्र नहीं

मिलेगा तब तक यहां नहीं आएंगे। मैंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से एक व्यक्ति जाकर उन्हें देख आए या मेरा प्रमाण पत्र ले लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आना पड़ेगा, हम किसी को भेज नहीं सकते। जब तक वे वहां नहीं आए तब तक उनका प्रमाण पत्र सर्टीफाई नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने जो स्वयं सर्टीफाई करने की बात कही है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों को राहत देने का काम किया है।

अभी माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे के कोटे में नीचे की सीटों को बढ़ाने का काम किया। वृद्धों को लूट लिया जाता था। रेल मंत्री जी ने वृद्धों को बीच की सीट देने का जो एलान किया है, निश्चित तौर से इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और यह सरकार की अच्छी सोच का परिणाम है।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक पर विचार होगा और वृद्ध लोगों की देख-रेख विशेष तौर से ऐसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की देख-रेख के लिए केयर होम बनाए जाएंगे। हर जिला स्तर पर एक केयर होम की बहुत आवश्यकता है जहां गरीब लोगों की देख-रेख हो सके, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सम्पन्न लोग कहीं भी जाकर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वहां रखकर उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग लेना चाहिए। यही बात कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I rise to support the Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014 moved by my friend, Shri Bhartruhari Mahtab. Sir, not only myself, but also my Party – Telangana Rashtra Samiti – supports this Bill.

I am very happy that more than four Cabinet Ministers are here, especially the Health Minister who is listening to the proceedings. Normally, it is the Minister concerned or the Minister on roster system who generally sits during the discussion on Private Members' Bills or Resolutions, but today I am very happy that the hon. Health Minister is here and he is seriously listening to the views of all hon. Members.

HON. CHAIRPERSON: Even the hon. Law Minister is also here.

SHRI B. VINOD KUMAR : Yes, Sir, the Law Minister is also here. I do not want to go into those details which were expressed by the earlier speakers or my colleague MPs. This Bill is drafted in such a manner that it not only looks cute, but also it tries to solve the problems which are being faced by the dementia patients.

17.00 hrs.

Sir, India has the population of about 120 crore. At the time of Independence, the average age of a man was 35 or 40 years. Now, it has increased to more than 60 years. We know that the Western countries are seriously pursuing for the research to eradicate this disease. However, as expressed by Shri Mahtab, there are more than 4 million senior citizens in our country who are patients but there is an apprehension that there are more than 4 million patients. It is expected by 2020, the number of patients will increase to 10 million. As expressed by my friend, initially the doctors felt that it is an age related disease. The problem of memory loss, decline in reasoning and judgement language and communication skills are generally found in these patients. Even the doctors ignore these things, when patients come and complain about the memory loss or communication skills. I too faced in my family. My father's elder brother has suffered with this kind of problem. We tried to medicate him. Doctors very casually said that it is an age

related problem. What I heard and what I read is that the centres which are taking care of these patients are about 350 in India. A majority of them are in Tamil nadu and Kerala.

Sir, there are no trained professional personnel in this country for this disease. Though the family members are ready to pay and engage some doctors, there are no trained doctors in this country. As suggested in the Bill by the Member, the Clauses 4, 5 and 6 are very important. We should train the nursing staff. For that, there are no geriatric education centres in this country. It is very unfortunate. I request the hon. Minister to see that one medical college in each State should give training for para-medical as well as trained doctors. We do not have MD Geriatric medicine. In our country, there are only a few medical colleges. There are around 350 medical colleges out of which 200 colleges are giving post-graduate education. In MD General medicine college, they should train some geriatric students also. We are going to enter into a state where there will be more old aged persons in this country. For them, we should have geriatric centres, medical professionals and nursing staff. For that, I request the hon. Minister to take cognisance of this fact and at least see in the coming days, the Medical Council of India will initiate such programmes in medical colleges both in private and Government colleges.

As per the analysis or study made this Alzheimer's And Related Disorder Society of India (ARDSI), even a lower middle class family has to shell down around Rs.50,000 to Rs.60,000 in a year for treatment. That is a study made by ARDSI. Coupled with this, as there are no trained caretakers, the family members are put to psychological stress. The study also said that the care-givers also develop some sort of psychiatric illness after this. This is another issue. The family members who take care of these dementia patients, they are also facing psychiatric illness after this. This is another big problem that is affecting the families. In this context, it is good for us to start some geriatric centres at least in urban centres. The hon. Minister has initiated this National Health Policy and also the National

Urban Health Centres. I am very happy that many urban centres are being started by this Government. I would request the hon. Minister to take steps for setting up these urban health centres which are being opened under the National Urban Health Policy. I support this Bill. I hope that the Government will also support this Bill. The financial burden is also not much. The recurring expenditure for each hospital is only Rs.20 lakh. So, allocating a Budget of Rs.20 lakh for each district is not a big burden for this Government. I hope that the Financial Memorandum which is annexed to this Bill shows that except the recurring expenditure of around Rs.5 crore per annum for each medical centre is not a big issue for us because we are having a very good Budget. I request the hon. Minister to pass this Bill.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Chairman Sir, I thank you very much for affording me this opportunity to participate in the Bill moved by Shri Bhartruhari Mahtabji regarding the Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014.

If you see the Objects of the Bill, it is discernable from it and there is no quarrel on the issue that there is a sizeable population of senior citizens in our country. It is also growing day by day. Senior citizens normally suffer from geriatric disorders and the most common among them is the cognitive disorders like the Alzheimer's disease and other forms of dementia. As on today, there is no such enactment on this subject for giving proper care to the patients. Even the children in most of the cases have abandoned their parents suffering from such diseases. From the Government side also, proper care is also required. But in the absence of such an enactment, no heed is being given to this. This is a right time that such an enactment is passed by this august House. Shri Mahtab has rightly stated in the Bill that care units are required to be set up for the senior citizens. He stated that promotion of medicine, education and training as well conducting a survey in this direction is also required. Constitution of such care units in hospitals is necessary. The Bill seeks to provide suitable punishment of six months, etc., to children who abandon their parents or persons suffering from this disease.

This basically is an issue of human rights. Protection of human rights in a democratic setup is the primary duty of Parliament. These are moral issues. It is a moral duty on the part of Parliament to protect the moral rights of its senior citizens. Our Parliament has from time to time taken care of the moral issues while exercising its moral duty by way of enactment on matters related to empowerment of women, atrocities against women, prohibition of child marriage, and atrocities against children. Therefore, there is a corresponding duty and a corresponding right. And we are accountable to the public at large, especially the senior citizens, to provide such type of enactment.

I would like to mention that a very bold initiative was taken in 2014 by our Government under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. The Union Government had made public the Draft National Health Policy 2015. Basically the policy is a first step in achieving universal health coverage by advocating health as a fundamental right. It is also provided in the draft policy that denial of that is justiciable, and that it can be enforced as it is being done in the case of Right to Education Act.

While it makes a strong case for moving towards initial access to affordable healthcare services, there are innumerable challenges to overcome before the objective becomes a reality. But this is a right step taken by the Government.

17.13 hrs (DR. P. Venugopal *in the Chair*)

It is true that Government spending on healthcare is a dismal 1.04 per cent of Gross Domestic Product, one of the lowest in the world. This translates to Rs.957 *per capita* in absolute terms. The Draft Policy has addressed this critical issue by championing an increase in government spending to 2.5 per cent of the GDP, that is Rs.3,800 *per capita*, in the next five years. But even this increase in allocation falls short of requirement to set right the dysfunctional healthcare services in the country. Citing the healthcare system's low absorption capacity and insufficient utilization of funding as an alibi for not raising the spending to three per cent of GDP is nothing but a specious argument. Insufficient funding over the years combined with other faulty practices has led to a dysfunctional healthcare system in the country. Undivided focus is an imperative to strengthen all the elements of healthcare delivery.

The failure of the public healthcare system to provide affordable services has been the main reason that has led to increase in out of pocket expenditure on healthcare. As a result, 63 million people are driven into poverty every year. So, this is the need of the hour and it is high time that a Bill like this regarding protecting the senior citizens from serious diseases be enacted. I fully support this Bill and I extend my thank to Shri Mehtab who has brought this Bill.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Chairman, Sir, thank you very much for giving me time to speak today on the provisions of geriatric and dementia care. I am very much thankful to Shri Bhartruhari Mehtab and other Members who have elaborately described the provisions of this Bill. I will be taking very little time to speak some thing about dementia and geriatric medicine.

Dementia is a syndrome usually characterized by a progressive global deterioration in intellect including memory, learning, orientation, language, comprehension and judgment. It mainly affects older people. About 2 per cent of the cases start before the age of 65 years. After this, the prevalence doubles every 5 years. Dementia is one of the major causes of disability in late life. The affected areas in the body are memory, visual-spatial, language, attention and function. In case of dementia patients, there is disorientation, depression and anxiety, agitation, balance problems, tremor, speech and language difficulty, trouble in eating and swelling, delusions and hallucinations, memory distortions (believing that a memory has already happened when it has not, thinking an old memory is a new one, and combining two memories or confusing the people in a memory).

What measures should be taken for these people? India is gradually undergoing a demographic change. With decline in the fertility and mortality rates accompanied by an improvement in child survival and increased life, a significant feature of demographic change has taken place leading to a progressive increase in the number of elderly persons. Nowadays the joint family, the concept of integrity has been disintegrated, mainly because of urbanisation and industrialisation which has caused the movement of people from one place to another. In most of the cases the senior citizens those either affected with dementia or not like to stay back at their native places far away from their forerunners (sons/daughters/relatives). And they are the most ignored and neglected segment in our society. They are neglected by their own children.

There is growing number of insecurity, injustice and abuse against elderly people in India. According to rough estimate, nearly 40 per cent of older people living with their families are reportedly facing abuse of one kind or another. But only 1 in 6 cases actually comes to light. Most elders are ill-treated by their own children, who have emerged as the largest group of perpetrators. Neglect is the most common form of abuse at 40 per cent, followed by emotional, psychological, financial exploitation, physical abuse, and abandonment.

We have old age homes, training for treating the elders etc., but it is not up to the mark to render service or protection to elderly people either affected by dementia or not.

We have so many laws like the Hindu Adoption and Maintenance Act and Domestic Voilence Act for protection of the old aged people but none is at its pure form to sort out the problems that usually happen at old age. Hence, we need an Act which could be a solace for the old aged people.

Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय महताब जी ने उठाया है, आज यह सम्मानित सदन उस पर चर्चा कर रहा है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। निश्चित तौर से इस सदन की भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार डिमेंशिया के शिकार लोगों और ओल्ड एज में जो तमाम कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में कोई रूप-रेखा बनाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी। मैं अपने तमाम साथियों की भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। मुझे लगता है कि अगर यह बात हम इस सदन में कुछ वर्ष पूर्व करते तो आश्चर्य लगता, क्योंकि जब दस-बीस साल पहले हम लोग यूरोप या यू.एस. में जाते थे और वहां पर ओल्ड एज होम्स देखते थे, लोगों को देखते थे कि किसी सोसाइटी में लोग ओल्ड एज होम्स में रहते हैं तो हमें एक भारतीय होने के नाते आश्चर्य होता था। भारत की एक परंपरा है कि हमारे परिवार का जो ओल्ड सदस्य होता है, उसको जैसे कहा गया है - Old is just like a gold, उस तरह से देख-रेख एवं सेवा करने का दायित्व निभाते थे और इसमें हम लोग गौरव महसूस करते थे। देश का हर परिवार और हर व्यक्ति अपने बड़े-बुजुर्गों की अंतिम क्षण तक सेवा करते हैं। आज भी वह परम्परा काफी हद तक कायम है। इस तरह की बीमारियों के शिकार जो लोग हैं, ओल्ड एज में रिटायर होने के बाद भी उसका बच्चा यह चाहता है कि हमारा पिता, हमारी माता का साया हमारे ऊपर बना रहे, उसके लिए जितनी दवाओं का उसे इंतजाम करना पड़ता है और वह जितना एफोर्ड कर सकता है, करने का प्रयास करता है।

साथ ही यह बात भी सही है कि अब भारत में भी वह प्रक्रिया शुरू हो गयी, चाहे गांव हो या शहर हो, लोग ओल्ड एज में अपने परिवार से अलग-थलग हो जाते हैं या जिन लोगों का दायित्व है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, वे उनसे परित्यक्त हो जाते हैं और वे एक तरीके से अनाथ की स्थिति में आ जाते हैं। निश्चित तौर से वह एक चुनौती बढ़ रही है। इसी संबंध में मैं समझता हूं कि भारत में डिमेंशिया के बारे में एक रिपोर्ट - दि डिमेंशिया इंडिया रिपोर्ट, 2010 आई है, जिसमें प्रिविलेंस, इम्पैक्ट, कॉज, सर्विसेज फॉर डिमेंशिया पेशेंट्स के बारे में जानकारी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह अपना उत्तर दें तो कम से कम यह बताएं कि वर्ष 2010 की इस रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार ने क्या स्टडी कराई है और क्या उस स्टडी के बाद कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट दी गयी है या उसके बारे में कौन-कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं? यह एक अच्छी रिपोर्ट है, जो अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑडर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2010 में 3.7 मिलियन इंडियन्स डिमेंशिया के शिकार थे और उसमें सोसाइटल कॉस्ट 14700 करोड़ रुपये थी। इस रिपोर्ट में यह भी संभावना व्यक्त की गयी है कि

हमारे देश में वर्ष 2030 तक डिमेंशिया के शिकार व्यक्तियों की संख्या इससे दोगुनी हो जाएगी और इस पर आने वाली सोसाइटल कॉस्ट तीन गुना बढ़ जाएगी।

निश्चित तौर से यह एक चिंता का विषय है। इस पर हमारी सरकार उपाय करेगी। डेमेंशिया से पीड़ित लोगों के चार रीजन हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और नाइजीरिया से कम्पैरिज़न करना चाहते हैं। डिमेंशिया के शिकार लोगों में से केवल पांच परसेंट को ही सरकार से केयर मिल रही है। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास 56 परसेंट पेशेंट्स जाते हैं, जबकि हॉस्पीटल में एडमिटिड 11 प्रतिशत हैं और ट्रेडीशनल हीलर्स एक परसेंट हैं। जिन लोगों को कोई सर्विस नहीं मिल रही है, उनकी संख्या 33 परसेंट है। चीन बीस साल पहले हम से पीछे था। आज हमारे पांच परसेंट ही सरकारी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जबकि चीन में यही 36 परसेंट हैं। सरकारी हॉस्पीटल में हमारा पांच परसेंट है, उनका 54 प्रतिशत है। प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे 56 परसेंट हैं, उनके दस परसेंट हैं। यह स्वाभाविक है कि चीन ने हम से ज्यादा इस दिशा में काम किया है। अगर लेटिन अमेरिका और केरीबियन देशों में देखना चाहें तो सरकारी प्राइमरी केयर में 45 परसेंट हैं, सरकारी हॉस्पीटल में 51 परसेंट हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स के यहां 42 परसेंट हैं। नाइजीरिया में भी सरकारी हॉस्पीटल्स में 90 परसेंट डिमेंशिया के शिकार लोगों का इलाज होता है। प्राइमरी केयर केवल पांच परसेंट है। इस तरह से डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के इलाज के संबंध में यदि देखें तो इन चार रीजन में हम अभी पीछे हैं। निश्चित तौर से आज हमें यह महसूस होता है कि हम इसका इलाज कम्यूनिटी सेंटर्स बना करें या अन्य तरीके से करें। डिमेंशिया के शिकार लोगों के लिए जो फेसिलिटी है, वह पूरे देश में अभी केवल छः रेज़ीडेंशियल केयर फेसिल्टीज़ हैं, जिनमें से चार केरल में, पुत्तापरदी, मालाबार हॉरमनी होम कालीकट में है, त्रिवेन्द्रम में है और कोचीन हॉरमनी होम, कोच्ची में है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक में है। डेमेंशिया के शिकार लोगों को रेज़ीडेंशियल केयर फेसिलिटी देनी हो तो केरल में चार सेंटर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक-एक सेंटर है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या आज देश के सभी हिस्सों में बढ़ रही है, चाहे वह शहर हो या गांव हो। सभी राज्यों में इसके लिए सेंटर खोलने पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले दिनों वह इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर गए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। डिमेंशिया के शिकार लोगों के लिए देश के सभी जिलों में कम से कम उनको क्लीनिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर खोलने से उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फैसिलिटी मिल सकेगी। आज उन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जिनको घर का सपोर्ट नहीं है। जिन बुजुर्गों को बच्चों ने छोड़ दिया है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, इसलिए सोसायटी की जिम्मेदारी बनती है। यह भी सही है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जैक्ट है। आज आपने पार्लियामेंट में कहा कि आप स्वाइन फ्लू के

लिए सभी राज्यों को वैक्सीन देने को तैयार हैं, टेमी फ्लू देने को तैयार हैं। अगर सभी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आज गंभीर बीमारी के लिए रेज़ीडेंशियल केयर फैसिलिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। डे केअर सेंटर्स भी देश में केवल अभी तक दस उपलब्ध हैं। जो प्रोविंशियल केअर सर्विसेज हैं, वे भी केवल 6 हैं और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उनका कोई एग्जेक्ट डाटा भी इस रिपोर्ट में नहीं मिला है कि आज एन.जी.ओज इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज एन.जी.ओज. भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज इस पार्लियामेंट में डिशकशन हो रहा है। एन.जी.ओज को हम बहुत से कामों में पैसा दे रहे हैं, चाहे उनको इम्युनाइजेशन के लिए पैसा दे रहे हैं या एड्स पर हम पैसा दे रहे हैं। यह एक बीमारी डिमेंशिया है। आज जो बुजुर्ग हो जाता है, उसमें बुढ़ापा भी अपने आप में एक बीमारी मानी जाती है। वह बुजुर्ग केवल एक बीमारी का शिकार नहीं होता है बल्कि उसे मल्टी-डिजीजेज हो जाती हैं जिसमें प्रोस्टैट की बीमारी सबसे ज्यादा एज के साथ होती है। हार्ट, किडनी और लीवर की बीमारी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने यहां अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि आज बुनियादी तौर से सारे कदम नहीं उठाये जा सकते हैं तो जो यह डिमेंशिया है, जिसमें मैमोरी लॉस होता है, कम से कम इसके लिए एक मैमोरी क्लीनिक होना चाहिए। जो हम आईसीएमआर के डॉक्टर्स को स्पेशिलाइज करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इस दिशा में भी कम से कम उनको प्रशिक्षित किया जाए कि किस तरीके से मैमोरी क्लीनिक की फैसिलिटी के आधार पर उनकी मैमोरी वापस हो सके। इसके लिए भी कोई हैल्प लाइन होनी चाहिए, जैसे रेलवे में हो रहा था कि हम एक हैल्प लाइन तैयार करेंगे। इसी तर्ज पर हम अपनी हैल्थ मिनिस्ट्री में भी एक हैल्प लाइन तैयार करें जिससे कि गांव का कोई व्यक्ति अगर उस हैल्प लाइन पर फोन कर दे तो यदि उसको कोई सपोर्ट न भी हो तो कम से कम उसको हैल्प मिल सके। मैं समझता हूं कि ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनको करने के बाद इस क्षेत्र में निश्चित तौर से राहत मिलेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस संबंध में हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कदम उठा सकता है।...(व्यवधान) किसी के लिए घंटी नहीं बजी, हमारे लिए बजी है। मैं समझता हूं कि मैं केवल विषय तक सीमित हूं। अगर इसके लिए कोई प्रपोज्ड मॉडल हो, जिसमें हम डिमेंशिया के लोगों को उनकी केअर के लिए सर्विसेज दे सकते हैं, अगर हम सैवन एंड ट्विटी फोर स्ट्रैटेजी अख्तियार करें और उस रिपोर्ट की स्टडी करें तो स्वाभाविक है कि इसमें सबसे ज्यादा काम हो सकता है जिसमें सबसे पहले तो अवैयरनैस क्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा Effective use of media and films, disability benefits to people with dementia and care fight stigma, improve quality and accessibility of

services also. भी शामिल है। इसमें एन.जी.ओज भी कर सकते हैं और जो हैल्थ प्रोफैशनल्स हैं, वे भी कर सकते हैं। इसमें मीडिया का भी रोल हो सकता है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी जितने एक्टिव हैं, इन सबको इंवाल्व करने की कोशिश करेंगे और यह डिलीवर करने की बात होगी तो इसमें कम से कम एक कम्युनिटी डवलपमेंट शुरु हो जिससे प्राइमरी केअर मिल सके और इस दिशा में काम हो सके।

तीसरे, एक कैपेसिटी बिल्डिंग एवं हैल्थ केअर टीम इस तरीके से बने कि जो हम हैल्थ केअर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और उस टीम के लिए हमें निश्चित तौर से एक ट्रेनिंग पर जोर देना होगा और हमारी जो ट्रेनिंग मेडिकल नर्सिंग- डेमेंशिया मैनेजमेंट या ट्रेन्ड हैल्थ केअर वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आशा बहिनें या आशा बहुएं हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विचार कर लें, क्योंकि मैं उन एसोशिएशंस, उन आशा बहुओं, उन एन.जी.ओज से जुड़ा रहा हूं और उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। आज भी आशा बहुएं अच्छे घरों की बहनें और बेटियां हैं जो किसी भी गांव में अपने पैसे से शुरु में ले जाती हैं और पी.एच.सी. तक जाकर रिपोर्ट करती हैं। रात भर वहां रुकती हैं और फिर डिलीवरी के लिए भी ले जाती हैं जबकि उनको 800 रुपया मिलता है। उनमें एक कंविक्शन भी है, एक डिवोशन भी है। इसलिए जो लोग डेमेंशिया के शिकार हैं, जो बुजुर्ग इस रोग से ग्रस्त हैं, उनको जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, उन लोगों के साथ आशा बहुओं को हमें जोड़ना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। जब से हैल्प लाइन 108 हो गई, तो निश्चित तौर से फोन कॉल कर देने के बाद लोग जा रहे हैं। जो महीने में दो तीन केसेज भी आशा बहुएं करती थीं, जिससे उनको दो ढ़ाई हजार रुपया मिल जाता था, आज वह भी नहीं मिल रहा है।

मैं तो चाहता हूं कि आप जो एक तरीके से केसवाइज मानदेय देते थे, वह अगर महीने का मानदेय कर दें तो हमारे लिए आशा बहू गांवों में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। क्योंकि आज गांवों की जो महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं, जिन्हें यह मालूम नहीं है कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, क्या न्यूट्रीशन है, कितना जच्चा-बच्चा की जिंदगी और सेहत के लिए ठीक है। इसके अलावा गांवों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं समझता हूं कि यह उनकी हैल्थ और डिमेंशिया से ही जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं या जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं, हम लोग इनसे पल्स पोलियो का काम लेते हैं, इनसे जनगणना का काम लेते हैं, इनसे जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम इन्हें इनवोल्व करते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस पर एक प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से जो सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों पर माननीय मंत्री जी निश्चित तौर से अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा उन संगठनों को अगर जोड़ेंगे तो उन संगठनों के लोगों के द्वारा आज गांवों में जिन्हें केयर नहीं मिल पा रही है और जिनके बारे में लगता है कि

अब ये बुजुर्ग हो गये हैं, अब इनकी याददाश्त भी नहीं रह गई है। They have become a liability for the society. वे सोसाइटी की एक लॉयबिलिटी नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि एक अफोर्डेबल ट्रीटमैन्ट उन्हें दिया जा सकता है और इसमें सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि जेनरिक ड्रग्स का इस्तेमाल हो। जो एंटी-डिमेंशिया ड्रग्स हैं और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एन.आर.एच.एम. में हैं, मैं समझता हूं कि कुछ हिस्सा इनके लिए भी हो। एन.आर.एच.एम. में हम सबके लिए पैसा देते हैं, मैडिसन के लिए पैसा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देते हैं, अपग्रेडेशन के लिए पैसा देते हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी पांच डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को मैडिकल कालेज बनाने का पैसा भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। स्वाभाविक है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि 42 जी.एन.एम. और ए.एन.एम. के हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल खुलेंगे। आज हमारे यहां पैरा मैडिकल सर्विसेज का इतना अभाव है कि एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हमारे सिद्धार्थ नगर में हैं, हमारे पड़ोस में संत कबीर नगर में है, अगर वहां 76 डाक्टर्स की पोस्ट्स हैं तो वहां केवल 37 डाक्टर्स काम कर रहे हैं। केवल चार नर्सेज है तो आज निश्चित तौर पर पैरा मैडिकल का कितना अभाव है। अगर इस दिशा में जिस तरीके से आज पैरा मैडिकल के लिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हास्पिटल्स को पहली बार अपग्रेड करके मैडिकल कालेजेज बनाये जा रहे हैं, चाहे बस्ती हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो तो मैं समझता हूं कि एन.एच.आर.एम. के माध्यम से भी यह हो सकता है।

मैंने इसमें शार्ट टर्म की बात कही है, मैं समझता हूं कि अगर इसमें कुछ लांग टर्म उपाय भी करेंगे तो इफैक्टिव होगा, Effective long-term care and community based programme. हम इसे कुछ इस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनायें, जिससे निश्चित तौर से इस तरह के मरीजों को एक लांग टर्म का ट्रीटमैन्ट मिले और वह तभी हो सकता है जब Trained caterers to establish support groups, or domicile visit to families of people with Dementia. आज ऐसे लोगों की जिस तरह से संख्या़ बढ़ रही है, वह अपने आप में एक गंभीर विषय होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए ट्रेनिंग सर्विसेज डैवलप की जाएं और इनके लिए लीगल सर्विसेज भी रिपोर्ट में आई हैं, मैं उस रिपोर्ट की जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, चूंकि माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को लीगल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए और उनके लिए day care facilities; residential facilities हों, जिसमें गवर्नमैन्ट जो कर सकती है,, एन.जी.ओ. जो कर सकते

हैं, हमारे कम्युनिटी सैंटर्स से भी जो किया जा सकता है। इस तरीके से अगर यह किया जायेगा तो भारत बड़े फख्र के साथ कह सकता है कि जो वसुधैव कुटुम्बकम् या पूरी दुनिया में जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली का हमारा कंसैप्ट है, हम अपने बड़े बुजुर्गों को भगवान की तरह से मानते हैं, देवता की तरह से मानते हैं तो हम निश्चित तौर से उनकी उसी तरह से केयर कर सकते हैं, चाहे उन्हें डिमेंशिया हो गया हो या अन्य इस तरीके की बीमारियां हो गई हों, तब भी वे हमारे लिए बहुत वैल्युएबल हैं, कीमती हैं और उनकी सर्विसेज से हमारे ऊपर जो पांच ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृभूमि का ऋण, हम उन ऋणों से उत्रृण हो सकते हैं, अगर डिमेंशिया के मरीजों की सेवा करें। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Chairman Sir, I will be very brief. I fully support the Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014.

I thank our respected colleague, Shri Bhartruhari Mahtab, for bringing this Bill. He is the most thinking Member among all the hon. Members. I thank him for having thought out this Bill and drawn the pointed attention of the House to this problem. I not only support the Bill but I also support every clause and every point of the Bill.

I want to mention only one or two points. Some people say that not looking after old people is a modern vice. It was much better in the olden days. May I remind you of history that in olden days, they said that all old people should go to *vanaprastha*, that is, to the forest, with nobody to look after them. That is not a very good tradition.

Again, in Bengal, among the high class Brahmins, there was a practice called *antar jali yatra*. When a man becomes old, he is left on the banks of a river to die and if he had a young wife, then the wife would have also to stay with him and will be burnt at the stake along with the husband. These are not good traditions.

Good modern tradition demands that the nation takes care of its old people. Now, I am an old man myself and I am 67 years old. So, I would require the support of others. Everyone of us has seen the effects of dementia.

As Mahtabji said, cognitive functions are not there. He cannot recognise; he cannot remember and in some cases, he cannot even see. So, such a man needs help. It is not limited to dementia and Alzheimer only. Parkinson's disease is also a function of old age in which you can see but your limbs cannot move in synchronisation.

Myasthenia gravis is another serious neurological disease which normally also happens in old age.

Now, abroad and especially in Britain, millions of dollars are being spent in research on geriatric medicine. We know of Arab Sheikhs spending billions of rupees for extending their life or maintaining youthful faculities. But unfortunately, such research or treatment is not available to our country. We have not even done basic research in dementia.

Shri Mahtab has pointed out certain necessities. He has said that in every hospital with more than 200 beds, there should be a Special Geriatric Care Unit. He also said that every person afflicted with dementia should be paid attendance allowance.

In our country, old age pension is there under the National Social Assistance Programme but it does not even cover 20 per cent of the old people. We are all the time besieged by people asking for old age pension but they have a fixed quota and so, we are not able to cover them. Mahtabji has said that at least those who have this disease have to be paid compulsorily attendance allowance which is twice the rate of the old age pension prevailing in the particular State.

I think he has again mentioned very proper things that Day Care Centres for citizens should also have to be set up and one Medical College should have facilities for imparting education in geriatrics because it is a changing subject. We do not fully know about the functioning of the brain yet. So, there should be greater research.

I only want to say that it is the vice of the modern affluent chattering classes that they do not look after their parents. We have a famous song in Bengali called *Vridhaashram* on how a man who is a corporate officer sends his own father to a old age home. In our lower middle-class families, there is still some respect and care for the parents. But they do not have the knowledge as to how to help them in the case of either dementia or Alzheimer or Parkinson. Mahtabji has made a penal provision here. Very often there are cases in courts where father or mother goes and complains that his or her son does not take care of him or her. The court decides it. But once this law is effected, then it will be

obligatory for the son to take care of the parents. Otherwise, there will be punishment for the son who is not looking after the parents.

We are thankful to Mahtabji for having pointed out this serious malaise in the society. The Minister of Health is present here. I am sure he will assure that proper care will be taken to tackle this problem of dementia, alzheimer, masthenia gravis. Of course, orthopaedic disablement is there. We have got the National Institute for Orthopaedically Handicapped, Hearing Impaired, Visually Handicapped, etc. We have got a National Institute for Mentally Handicapped. We have got NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurological Sciences. But we do not have geriatric institute nationally. We should think very seriously about this matter. I am sure that we have a very active and enthusiastic Minister in Shri Nadda. He will definitely look into this problem and take some action in the interest of the older people in the country. Unfortunately, one Bengali poet wrote *Vinay Vridher vidya dambhik jouban mone kore surjo tar* …. What does it mean? It means, humility is for us, the older people. Youth is always proud. They think that the world is for them. But the world is also for us, the older people. We have served our time. We should not be overwhelmed by their pride.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, for your information I would like to say that in Chennai we have started running OPD and ward for geriatric care for the past 25 years.

PROF. SAUGATA ROY: Tamil Nadu and and Kerala are the two States in India which are very high in human development index.

HON. CHAIRPERSON: We have also started PG for geriatric.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: We are thankful to you for providing us the experience. If I have a problem then I go to Chennai as many of Bengalis go to Chennai for health problems.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, आज हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, उनकी देख रेख और जरा रोग देख रेख सुविधाओं का उपबंध करने और उससे सशक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ। मैं श्री भर्तृहरि महताब जी को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद भी देती हूँ।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग वरिष्ठ नागरिकों का है और इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लगभग सभी वरिष्ठ नागरिक जरा रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे रोग से कई पीड़ित व्यक्तियों की उनके बच्चों द्वारा देख रेख नहीं की जाती है और उनका परित्याग भी किया जाता है। इस जरा और डिमेंशिया रोग से पीड़ित लोगों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। आजादी के 67 वर्ष के आसपास की पीढ़ी जब सोचती है कि उसने क्या पाया और क्या खोया तो उसके सामने सिवाय शून्य के कुछ भी नहीं होता है।

महोदय, हमारी संस्कृति है - मातृ देवोभवः, पितृ देवोभवः, लेकिन भारतीय समाज में बुजुर्गों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वर्तमान दौर में परिवार द्वारा क्षमता से ज्यादा खर्च और कर्ज से गड़बड़ाते बजट का प्रभाव बुजुर्गों के जीवन पर भी पड़ रहा है, साथ ही हमारी आर्थिक और वित्तीय नीति भी बुजुर्गों को कोई सहारा नहीं दे पा रही है। डिमेंशिया, स्मरण शक्ति का न रहना, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। यह किसी व्यक्ति के भूलने और उसकी सोच की प्रक्रिया तथा बोलने की क्षमता के बीच संपर्क के टूट जाने अर्थात संपर्क के न रहने की स्थिति में है। जैसा कि अभी बताया गया कि भारत की जो रिपोर्ट है, वर्ष 2010 के अनुसार भारत में 3.7 मिलियन से अधिक लोग स्मृति लोप रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 2.1 मिलियन महिलाएँ हैं और 1.5 मिलियन पुरुष हैं। इस आँकड़े का प्रत्येक बीस वर्ष में दो गुना होने की संभावना है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रणाली के चलते हमारे देश में लगातार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 12.4 प्रतिशत हो जाएगी। हमारे बुज़ुर्ग और देश के वरिष्ठ नागरिक समाज पर बोझ नहीं हैं। उनसे परिवार को अनुभव मिलता है। वे हमारे संयुक्त परिवार की धुरी और धरोहर हैं। देश में हमें भावनात्मक और व्यवस्थात्मक तरीके से काम करना चाहिए। देश में जिसे जानकारी का अभाव है और इनका अभाव होने के कारण कई सम्मानित सदस्यों ने अपने कुछ सुझाव भी दिये हैं। मैं अपने कुछ सुझाव यहाँ कहना चाहती हूँ। आयुर्वेदिक उपचार, योग और प्राणायाम कैम्प अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाएं। पीड़ित को बीमा तथा मैडिकल क्लेम दिया जाना चाहिए। राज्यों की जो बसें

हैं, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज़ हैं, उनमें भी उपचार के साधन होने चाहिए। रोगी कल्याण समिति के तहत क्रियान्वयन होना चाहिए। राज्य व केन्द्र को खास बजट इनके ज़रिये देना चाहिए तथा द्वितीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए। बुज़ुर्गों के लिए होम तथा डे केयर सैन्टर खोले जाने चाहिए। बुज़ुर्गों की सेवा के तहत मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। विशेषकर डॉ. अंबेडकर तथा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में करिकुलम तथा सर्टिफिकेट कोर्स भी लागू किया जाना चाहिए। इस कोर्स के छात्रों को हॉस्पिटल्स में सर्विस के तौर पर अग्रिमता दी जानी चाहिए। हर तीन महीने में सर्वेक्षण के तौर पर एन.जी.ओ. की सहायता से लेकर डैटाबेस बनाए जाएँ। उनको स्पेशल वरिष्ठ नागरिक तथा मैडिकल कार्ड दिये जाएँ। आशा वर्करों एवं नर्सेज़ को इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर बुज़ुर्ग नागरिक पैंशनेबल हों तो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसके मैडिकल भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। बैंकिंग प्रक्रिया में भी मरीज़ों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। वैसे हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी संवेदनशील हैं। मैं आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर से कहना चाहूँगी, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन पर गौर करें और सही मायने में हम सब वृद्धों की वन्दना करें। धन्यवाद।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Hon. Chairperson, Sir, I would thank you very much for calling me to speak now.

Sir, when the Discussion on the Private Members' Bill goes on and on, it is just like the future ahead of an old man. It is bleak, if not vacuum. What wonders the life of a man at a terminal stage? In general, I wholeheartedly support this Bill initiated by my learned friend Shri B. Mahtab. To be frank, I feel envy of him because our hon. Ministers of Health, Law and Tribal Affairs are present here. They are very hon. Ministers, very senior leaders who are here. From this, we can understand the importance that you give to this particular Bill. It is because you will also become grey, you will also become bald, you will also become old and you will also feel the pain at a particular stage. I may be the youngest of the Members who speak on this Bill.

Sir, even at my age, I have enrolled myself as a member in an Old Age Home. If fortune allows me, I will also become old. In the Eleventh Lok Sabha, when I came first, my seat was in the last row beginning 181-270 – in that row. While seeing very hon. senior leaders of this House like Advaniji and Murli Manohar Joshiji, I thought that my hair will not become grey and I can read without specs throughout my life and I will not become bald. But now I understand not only from my own physical experience but also from my psychological trauma which is being experienced by my father who is more than 90 years of age who was a Member of the Fourth Lok Sabha. He started as a freedom fighter. He joined active politics after hearing the thunderous speeches of E.V.Ramasamy Naicker 'Periyar' because he was studying in Madras Law College. He became active in the communist movement and more than thrice he was a Member of the Legislative Assembly and he was a Member of Parliament here also. I personally feel his agony and I personally take his feelings. He had to undergo amputation of his left leg. It has become difficult for him to read the newspapers and even to see television. Of course, he is a bit fortunate because both of his sons are educated, one became a Member of Parliament, another

became a Design Engineer, we are in a middle class family and so we are able to afford 24 hours care for him. But this is not the case of each and every old aged man or woman in this country. Even in Delhi we can see hundreds, if not thousands, of elderly persons languishing in the streets, lying on the pavements and ploughing through the streets in their wheel carts begging for something. This is their state of affairs in this nation.

Sir, while supporting this Bill, I may be permitted to suggest certain additions. Here in Clause 3 (i) of the Bill, my learned friend has suggested that the appropriate Government shall set up a Geriatric Care Unit in every District Headquarters Hospital to provide care in geriatric disorders to senior citizens. I will not take much time. On my left here sits the former Health Minister of Kerala Shrimati P.K. Sreemathi Teacher. She is the only teacher in this august House. She has the tag of 'teacher' with her name and it was she who initiated the palliative movement which has now become a part and parcel of the Government policy of Kerala. Kerala was the first State to initiate such a Government policy. Here in Clause 3 (i), I would like to add the words, 'or at a separate place where the atmosphere is more suitable and with adequate infrastructure'. We all know the atmosphere and the infrastructure facilities in many of our District Hospitals. They are over crowded and if we put our geriatric patients in such hospitals, it will not be conducive for their physical as well as for their psychological health. That is my humble submission. Anyway, this has to be considered by the Government, especially by the Health Minister himself.

Again, in Clause 7 it is stated that every Dementia patient shall be paid a Monthly Attendant Allowance at such rate as may be prescribed by appropriate Governments etc. Now there are patients suffering from Arthritis. They cannot move, they cannot even take a single cup of tea, they cannot write or sign and they cannot take a piece of paper on their own because they will be suffering from pain. So, what about them? Similarly, there are differently abled persons. It is a new

terminology as we all know. Previously they were called disabled persons. Those who do not have eye sight cannot see and some persons do not have both the arms.

18.00 hrs.

Anyway, these people also need special assistance. So, their plight should also be catered. Here, as per Clause 8, the maintenance and care of the dementia patients shall be the responsibility of their children. In general, I can support that. If it is the case of we people, of course, we should be punished. But what should happen to a poor man?

HON. CHAIRPERSON: Sampath *ji*, one minute. Hon. Members, we extend time of the House up to the completion of the speech of Dr. Sampath and thereafter we will take up 'Zero Hour'.

Please continue.

DR. A. SAMPATH: Sir, what will be the position of a family, a man or a woman, for example, a widow who does not have any means of livelihood? So, we have to look at this also. Even though this is a Private Member's Bill, actually this Bill should have been received with both hands. This should have been converted into an official Bill and this should have been passed unanimously by this House.

In Mahabharata, there is a saying that when Ghatotkacha fell, Lord Krishna told Bhima: "These are old clothes. The soul does not vanish. It is eternal. Forever it will be there. Only you are disposing the old clothes." But when Abhimanyu was murdered, butchered, killed, then everybody could see that tears were falling off the eyes of Lord Krishna. When it becomes our own blood, when it becomes our own flesh, we conveniently forget the simile of the old clothes.

Sir, here, our nation is spending very little for the health sector. Today, we all got two volumes of the Economic Survey, Volume I and Volume II. There are only a few lines devoted for the health in this Economic Survey. It means, it resembles our Budget also. As you also know, it is one of the nations in the whole world where the lowest of the GNP share is for health. Here, in the Economic Survey, in Page A 140, it is very evident from that. And in Page A 138 of the

Economic Survey, regarding the health – it is not my complaint but it is my pain; it is a self-criticism on me also – adequate importance which should be given to the health sector is not at all given. I think, I need not say much about the psychological aspect of it, the mental health of it.

Sir, in Kerala, recently what has happened is, not only the Government, many NGOs, even the political parties, the CPI(M), the Congress and in some parts even the BJP, have taken this palliative care movement. They have already engaged the volunteers to go to the homes of those who need palliative care and to attend the geriatric patients. It is the house visits. Once in a week they go. Anyway, now the school children have also taken this practice. Under the leadership of a particular teacher, they visit the houses of very old people. They go there; they talk with them and they clean the body of the people who are bed-ridden. So, it is a state of mind also.

We all accept that this is a very important Bill. This nation is ageing. The number of senior citizens is on the rise. Our nation lacks hospices.

We talk about private hospitals and Government hospitals. What about hospices? I hope the hon. Minister can very well understand that. This concept has been adopted not only in Europe, United States but even in developing nations also. They have started hospices where the patients at a terminal stage, even geriatric patients, can be admitted and treated. They will feel at home. They can talk with each other. Now, they have a feeling that they are being loved as wanted citizens of the nation. Instead of pushing them to death and feeling as a burden and unwanted, they provide a good feeling. That is a sin in this nation.

Sir, I am very much thankful to you for allowing me to speak on this very important issue. It was my learned friend Mr. P.D. Rai, who insisted me to speak. I should have been only hearing the speeches. It was he who gave me the spur.

My friend Mr. B. Mahtab was also asking me to speak on this important Bill. This is the first time I am opening my mouth during the hours of the Private Members' Bill. Actually, I did not participate in any of the discussions related to Private Members' Bill. On this Bill we need a very positive reply from the Government of India, not only the action but the financial support also.

Thank you.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण बिल महताब जी के द्वारा लाया गया है जो हमारे सदन के ब्रिलिएंट, इंटेलीजेंट और सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने सीनियर सिटिजन्स की चिन्ता जताते हुए एक अच्छा बिल पेश किया है। हर चीज को आपने क्लॉजवाइज अच्छा क्लियर किया है। What does he want in the Bill? How should care be taken? What should the Government do? सारी बातें इन्होंने की हैं। इसके पश्चात् हुक्मदेव नारायण जी ने सोशल स्ट्रक्चर को पेश किया, यानी सोसायटी पहले कैसी थी, अब परिवार की परिभाषा क्या हो रही है, इस पर काफी प्रकाश डाला। मेरे सभी साथियों ने इस बिल पर बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो-तीन बातें अर्ज करना चाहूँगा कि वास्तव में जो सीनियर सिटिजन्स हैं, वे समाज की धरोहर हैं, देश की धरोहर हैं।

HON. CHAIRPERSON: Chaudhary ji, you can continue your speech next time

HON. CHAIRPERSON: Now, Zero Hour – Shri Ramesh Bidhuri.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ज्वलन्त समस्या और एक सामाजिक बुराई, गुमशुदा लोग और गुमशुदा बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, आज स्थिति ऐसी नहीं है, जैसे पहले बच्चे कुम्भ मेले या अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर गुम हो जाया करते थे। आज कई इस प्रकार के गिरोह संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग बच्चों को अगवा कर अवैध मानव व्यापार, उन्हें विक्लांग बनाकर उनसे भीख मंगवाकर, उनसे चोरी करवाना और बाल मजदूरी जैसे कार्यों में धकेल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गायब बच्चों में 55 परसेन्ट लड़कियाँ होती हैं तथा लापता बच्चों में 45 परसेन्ट बच्चे कभी नहीं मिलते हैं। देश में लगभग एक लाख बच्चे हर वर्ष गायब हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली में ही 18 बच्चे प्रतिदिन गायब होते हैं। यूनीसेफ के अनुसार भारत में तीन लाख भीख मांगने वाले बच्चे हैं। उधर पड़ोसी मुल्क चाइना जिसकी जनसंख्या बहुत है, लेकिन वहाँ केवल 10 हजार प्रतिवर्ष के करीब यह संख्या है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भी कठोर टिप्पणी कर चुका है। कई बार राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज को तलब भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ मानसिक बीमार होने के कारण बच्चे ही नहीं कुछ लोग भी गुम हो जाते हैं। गुम होने के कारण वे मिल नहीं पाते हैं। सरकार इसे कैसे गंभीरता से लेती है, आप भलीभांति जानते हैं। मैं इस गंभीर समस्या पर सभी संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करने और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

अब मैं मूल बात पर आता हूँ। इन गुमशुदा बच्चों या उनके परिवार की कंप्लेंट की जो ऐड दिखाई जाती है, वह केवल दूरदर्शन पर दिखाई जाती है, जो केवल इंटीरियर गांव में चलता है। लेकिन मेट्रोपोलिटन सिटी के अन्दर बच्चों से अवैध कार्य कराये जाते हैं और जो बच्चे वहां पर होते हैं, देश के अन्दर जितने भी प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, सरकार द्वारा सभी निजी न्यूज चैनलों के लिए इस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे हर चैनल दिन में कम से कम 15 मिनट का समय तय करके, सरकार के आंकड़ों के अनुसार उन गुमशुदा बच्चों के चित्र प्रदर्शित करें और समाज को जानकारी दें, केवल दूरदर्शन के माध्यम से यह न किया जाए। वे गुमशुदा बच्चों का अनिवार्य विज्ञापन दिखायें ताकि वे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का ठोस परिचय दे सकें। हम सभी इस समस्या व सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे कदम बढ़ायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, I would like to bring an important issue to the notice of the Government that more than 500 granite cutting and polishing industries and 255 tile cutting and polishing

industries, which are major source of employment providers in the unorganized sector, in my constituency, Khammam in the State of Telangana, are on the verge of closure due to the Government’s stringent Granite Policy for Granite Industry and 95 per cent of its leases and mineral deposits, whose area is less than five hectares.

As per the Granite Policy, Approved Mining Plan, CFE and CFO from the Pollution Board and Environmental Clearance from MoEF are necessary. But the Ministry of Environment and Forests, Government of India has given a clarification through its OM No. J 11013 dated 4th February, 2013, that the mining projects of major minerals of the size of the lease area less than five hectares will not be under the purview of the Supreme Court Order. Hence, there is no need for getting prior environmental clearance for the mining process.

Nowadays, the granite industry is using a sophisticated technology which facilitates for ‘no sound pollution’ and ‘no dust/air pollution’, and hence, the granite industry has become pollution free industry.

Due to stringent rules, the small-scale granite cutting and polishing industries are forced to stop their activities, and more than five lakh skilled and unskilled workers will be affected in the State of Telangana. More particularly, 80 per cent small-scale industry of cutting and polishing in India is concentrated in my constituency, Khammam.

I would, therefore, appeal to the Government for implementing the MoEF Order in letter and spirit, and also exempt the granite quarries from environmental clearances for leases of mines and minerals whose area is less than five hectares.

Thank you.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मशरूम के बारे में आग्रह करना चाहता हूं कि जो मशरूम पैदा की जाती है, वह घास-फूस और तुड़ी से, खासकर धान की पराली से जो खाद बनायी जाती है, उसमें उसको पैदा किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि

से, सब्जी की दृष्टि से, और एक अच्छा न्यूट्रियस फूड होने के नाते, मशरूम आज देश के विभिन्न भागों में पैदा किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार मशरूम उत्पाद को कृषि का दर्जा देगी तो उत्पादकों को भी लाभ मिलेगा। आज बहुत से प्रदेशों में इस उत्पाद को कृषि का दर्जा दिया गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश से चुन कर आया हूं, वहां भी इसे कृषि का दर्जा दिया गया है। क्योंकि, उन उत्पादकों का यह कहना है कि प्रदेश में इसे कृषि का दर्जा देने से उनको कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। अगर केन्द्र सरकार इसे कृषि का दर्जा दे देगी तो कृषि उत्पाद होने के नाते इससे इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलता है, वह मिलेगा। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मशरूम को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिक्लेयर किया जाए ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसका ज्यादा से ज्यादा बैनीफिट लोगों को मिल सके, लोगों को न्युट्रिशियस फूड मिल सके। धन्यवाद।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान देश का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थान है। वहां विशेषकर उत्तर भारत के लोग दवाई आदि के लिए आते हैं। वे काफी प्रयास के बाद दिल्ली पहुंचकर एम्स में इलाज कराने के लिए पर्ची लेकर खड़े होते हैं। लेकिन इस संस्थान की क्षमता इतनी नहीं रह गई है क्योंकि उन्हें ओपीडी में दिखाने के लिए भी दो से चार महीने तक का समय लग रहा है। अगर एमआरआई करानी हो तो उसके लिए दो से चार साल तक का समय दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति यहां आने में ही असमर्थ रहता है। अगर किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके अपना इलाज कराने के लिए एम्स में आता है तो उसके सामने दोहरा संकट खड़ा हो जाता है। उसे यहां आने के बाद पता लगता है कि उसका नम्बर अभी नहीं आ सकता, तो उस गरीब व्यक्ति को और पीड़ा होती है और उसके सामने मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता। उसे एम्स में तारीखों के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दी है, उसे पूरा करने के लिए एम्स जैसे संस्थान की क्षमता को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise an important issue concerning my State of Odisha.

I would like to mention that the funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in respect of the financial years 2013-14 and 2014-15, have not been released yet. In spite of repeated requests made by the State, the Ministry of Rural Development had sanctioned only Rs. 757 crore

instead of the due amount, that is, Rs. 1,364 crore. Due to non-receipt of the remaining amount under this scheme, the State Government of Odisha has been facing difficulties in paying the wages and other liabilities.

Hence, I would request the Minister concerned to ensure timely release of funds to Odisha along with the pending balance of the financial years 2013-14 and 2014-15. Thank you.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का समय दिया। सरकार द्वारा अल्प आय एवं गरीब रोगियों की असाध्य बीमारी की चिकित्सा हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि एवं स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के लिए वर्षों पूर्व निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये है जो काफी कम है।

ज्ञातव्य है आज की महंगाई में अल्प आय को अपने परिवार की जीविका चलाना भी दुर्लभ हो गया है। यह सर्वविदित है कि इन दिनों इलाज इतना खर्चीला हो गया है कि मध्यवर्गीय अल्प आय के व्यक्ति को असाध्य रोग की चिकित्सा कराना काफी कठिन हो गया है जिससे बहुतायत असाध्य रोगियों को अर्थाभाव में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण मृत्यु का शिकार होना पड़ता है, विशेषकर अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव जनहित में सरकार से आग्रह है कि आसाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय सरकार ले। इसके साथ ही आय सीमा के लोगों को बड़ी दुर्घटना में लंबी अवधि तक चलने वाले इलाज एवं अचानक गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की भी चिकित्सा हेतु उपरोक्त सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त होना चाहिए। मैं राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे इसका बहुत बड़ा अनुभव है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें समुचित निर्णय ले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को आप निर्देशित करें।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदय, नागौर मेरा संसदीय क्षेत्र है। भारत में नागौर इसलिए जाना जाता है, क्योंकि पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 2 अक्तूबर, 1959 को यह की थी। उस समय पंचायती राज में त्रिस्तरीय पद्धति थी जो अभी भी है। पहले पंच और सरपंच के अलावा बाकी लाग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरों के लिए अलग से कांस्टीट्यूएंसी बनाई गई है। अब उनका चुनाव होता है। चुनाव होने के पश्चात् पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबरों के पास काम नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि they are Centrally sponsored schemes and the State Government schemes are

being implemented through the Panchayat Ward Members and the Sarpanch or the Panchayat Samiti Pradhan and not through the Members. सामान्यतः सभी लोगों की एक डिमांड थी कि पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर का काम केवल जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक सीमित रह गया है। उसकी छह महीने के पश्चात् मीटिंग होती है, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता है। लिहाजा ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, जैसे एम.पी.लैड और एम.एल.ए. लैड होता है, प्रति ईयर उनको 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख रुपये दिया जाना चाहिए, जिससे वे भी अपने क्षेत्र में काम करा सकें, जिससे इनके पास कुछ काम रहे। मेरा अनुरोध है कि पंचायती राज मंत्री कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स को भी कुछ काम मिल सके।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही गंभीर विषय को उठाने का मौका दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम, छपरा शाखा-एक और दो के अभिकर्ताओं और बीमाधारकों के हित में कई बातें हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला, धारा 44 अभिकर्ता अधिनियम, 1938 के अनुसार अभिकर्ता को मिलने वाली सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाए। दूसरा, अभिकर्ताओं को मिलने वाली ग्रेच्युटी को 5,00,000 (पांच लाख) रुपये किया जाए। तीसरा, समूह बीमा की राशि 10,00,000/- (दस लाख) रुपये की जाए, चौथा, अभिकर्ता क्लब नियम में छूट दी जाए। आई.आर.डी.ए द्वारा पारित 18.02.2013 बजट जो अभिकर्ता कमीशन से संबंधित है, उसे लागू किया जाए। डायरेक्ट एवं कैरियर अभिकर्ता को इन्सेंटिव दिया जाए। अभिकर्ता संशोधन विधेयक, 1972 को लागू किया जाए। सी.एल.आई.ए को वेतन एवं कन्वेंस दिया जाए। पॉलिसीधारक को मिलने वाली बोनस की राशि को बढ़ाते हुए प्रीमियम एवं परिपक्वता पर लगने वाली कर से छूट दी जाए।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार को बाध्य किया जाए कि अभिकर्ता के हित के खिलाफ उठाए जा रहे सरकारी कदम रोके जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यन्त लोक महत्व के अविलंबनीय और तात्कालिक प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। आपने स्वयं और इस सम्मानित सदन में भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इस बात को स्वीकार किया कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू के लगभग 17 हजार मरीज तमाम राज्यों में पाये गये हैं। उन्होंने उन 17 हजार मरीजों में से 965 मरीजों की मृत्यु का भी उल्लेख किया। इस देश में यह बीमारी वर्ष 2009

से शुरू हुई और आज वर्ष 2015 चल रहा है, इस साल अभी तक लगभग एक हजार लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। यह हमारे समक्ष एक गंभीर चुनौती है।

माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया कि हमने राज्यों से बात की है, मुख्यमंत्रियों से बात की है, स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि टेमी फ्लू, अल्टीमो, बाइबर आदि दवाओं की कोई कमी नहीं होने पायेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने महसूस किया होगा कि शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के डी.एम. को स्वाइन फ्लू हो गया। नैशनल पुलिस ऐकेडमी, हैदराबाद, जो अपने आप में एक बड़ी प्रेस्टीजियस पुलिस ऐकेडमी है, उसके पांच आई.पी.एस. ट्रेनीज को स्वाइन फ्लू हो गया। इतनी जागरुकता के बावजूद भी भारत सरकार के कई लोगों को स्वाइन फ्लू हो गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी दो दिन पहले हम लखनऊ जा रहे थे तो जिस पायलट ने उस जहाज को लेकर जाना था, उसके परिवार को स्वाइन फ्लू हो गया, इस कारण वह फ्लाइट चार घंटे बाद गयी। स्वाभाविक है कि आज इस स्वाइन फ्लू का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बात की गंभीरता के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि तीन दिन के अंदर टेमी फ्लू और तीन लाख मास्क लोगों को उपलब्ध कराये जायें। स्थिति यह है कि अभी भी राज्यों के जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के टैस्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था है जैसे दिल्ली, लखनऊ है। वहां पर किसी को स्वाइन फ्लू के लक्षण पाये जाते हैं तो समय रहते उसका इलाज हो जाता है। लेकिन किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट या गांव में रहने वाले व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो जाता है तो उसका इलाज न होने के कारण वह मर जाता है और वह डेथ रिपोर्टेड भी नहीं है। आज लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल या संजय गांधी, पी.जी.आई. में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। पिछले दिनों गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का पोजीटिव टैस्ट हुआ। सिद्धार्थ नगर में भी लोगों की इस बीमारी से डेथ हुई है। अभी हम लोग एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बात कर रहे थे। उसी तरह यह दूसरी बीमारी देश के तमाम राज्यों में फैल रही है। मैं जानता हूं कि हैल्थ राज्य का विषय है, लेकिन इस बीमारी का प्रकोप पूरे देश में बढ़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए एक टास्क फोर्स बनायी जाये और इस मर्ज को कैसे कर्व किया जा सकता है, यह देखा जाये। ...(व्यवधान) मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि प्रिवैंशन के लिए वैक्सीन हो और ट्रीटमैंट प्रॉपर हो, इन दोनों की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विशाखापट्टनम से किरनडोल 445 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है, जो जापान सरकार के पैसे से वर्ष 1966 में बनी थी। यह एरिया बहुत ही बैकवर्ड एरिया है जहां 55 प्रतिशत आदिवासी लोग, 15 प्रतिशत एस.सी. और 20 प्रतिशत ओ.बी.सी. के भाई रहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस 445 किलोमीटर के एरिया में 90 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं। यह लाइन इनीशियली वहां के लौह अयस्क को ले जाने के लिए बनी थी। उसका एग्रीमेंट काल भी खत्म हो गया है। इस लाइन पर पैसेंजर्स के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और कोई सुविधा नहीं है। इस 445 किलोमीटर में सिर्फ एक पेयर ऑफ पैसेंजर ट्रेन चलती है, सिवाय एक सौ किलोमीटर एरिया को छोड़कर, जहां दो पेयर एक्सप्रैस ट्रेन कोरापुट और जगदलपुर के बीच में चलती है। वहां 10 मिलियन लोग वास करते हैं। बस्तर का पूरा एरिया कोरापुट, आरक और वाल्टेयर इसमें आता है। इतने बड़े एरिया में, 445 किलोमीटर की इस लंबाई में कोई एक्सप्रैस ट्रेन नहीं है, इसलिए वहां एक एक्सप्रैस ट्रेन होनी चाहिए। स्टेशनों का बुरा हाल है। यहां करीब 45 स्टेशनों में से 5 में एफ.ओ.बी. हैं और आठ स्टेशनों पर प्लेटफार्म शैल्टर, हाई लैवल प्लेटफार्म हैं और बाकी स्टेशनों में हाई लैवल प्लेटफार्म भी नहीं है, न पानी की सुविधा है, न टाएलेट की सुविधा है और न ही एप्रोच रोड है। यहां के बाकी स्टेशनों पर सुविधा होनी चाहिए और एक्सप्रेस ट्रेन होनी चाहिए ताकि लोगों को ट्रेन होने का कोई लाभ मिल सके।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, आपने मुझे देश के किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्ष 2013-14 में भुगतान नहीं हुआ और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है जबकि गन्ना एक्ट में प्रावधान है कि दस दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो इस पर 10 प्रतिशत का ब्याज लगता है। उत्तर प्रदेश में नौ चीनी मिलें हैं जिन पर 6.5 करोड़ रुपए का बकाया है। गन्ना किसान बहुत उम्मीद से गन्ना लगाते हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ाई कराना चाहते हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं, बीमारी में इलाज कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और मिलों की संवेदनहीनता के कारण गन्ना किसान बदहाली की स्थिति में हैं। मिलों

का रवैया दिन-प्रति-दिन किसानों को परेशान करने का होता जा रहा है। किसानों के गन्ने को लिया नहीं जाता है, रफ वैराइटी बताकर वापस कर दिया जाता है। गन्ना मिलों द्वारा शोषण और प्रताड़ित करना एक कार्य सा बन गया है। संसदीय क्षेत्र पोवायां में सहकारी चीनी मिल है, यहां कई वर्ष पहले कर्मचारियों को वी.आर.एस. दी गई थी। आज भी उनके बच्चे बेघर हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनका भुगतान नहीं किया गया। आज भी जब किसी तरह से मिल को चलाया गया है तो कर्मचारी चाहते हैं कि उनको रखा जाए, क्योंकि उनको जबरदस्ती निकाला गया था।

मेरा आपसे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि बेघर कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए, किसानों को गन्ने का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था की जाए और अगर दस दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया है तो उन पर कार्रवाई की जाए।

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon'ble Chairman Sir. Vanakkam. The Union Government has been taking several measures for holding talks between India and Sri Lanka regarding safe return of Sri Lankan Tamil refugees to Sri Lanka on the basis of their wish. Even after the end of civil war in Sri Lanka, the Army of Sri Lanka has not left the areas which were once held by Tamils. This has instilled fear in the minds of Tamils. Tamils, who were internally displaced in Sri Lanka, are not even resettled and rehabilitated. This issue was not discussed during the recent meeting between Hon'ble President of Sri Lanka Shri Maithripala Sirisena and Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. Self-rule by Tamils and their democratic rights should be restored in Sri Lanka. The Government of Tamil Nadu, under the able guidance of Puratchithalaivi Amma, has urged upon the Union government that only after resettlement and rehabilitation of internally displaced Tamils in Sri Lanka, the issue of repatriation of Sri Lankan Tamil refugees living in India should be thought of. I therefore urge the Union government to stress upon the Government of Sri Lanka to ensure that Sri Lankan Tamils get their self-rule and democratic rights which are due to them and withdrawal of Sri Lankan Army camped in areas which were once held by Tamils.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 28th February, 2015 at 11 a.m.

18.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, February 28, 2015/Phalguna 9, 1936 (Saka).

---

* English translation of speech originally delivered in Tamil.